

19



अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
चौदहवीं रिपोर्ट
वर्ष 2011

FOURTEENTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2011

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI
2015

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
चौहदवीं रिपोर्ट
वर्ष 2011

Fourteenth Report
of the
Director General of Archives
on the Implementation of the
Public Records Act, 1993
for the Year
2011

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

Government of India
National Archives of India
New Delhi
2015

अनुक्रम

क्र. सख्या	अध्याय	पेज न.
1.	प्राथमिकताएं	2
2.	सिंहावलोकन	5
3.	आंकड़ों का विश्लेषण	7
4.	अभिलेख कक्षों की स्थापना	8
5.	अभिलेख अधिकारियों का नामांकन	10
6.	अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी	12
7.	अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण	14
8.	अभिलेखों का सूचीकरण	16
9.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन	18
10.	वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	20
11.	निष्क्रिय आयोग / समितियाँ	22
12.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई	24
13.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों का संगठनात्मक इतिहास	26
14.	'क' श्रेणी अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग	28
15.	अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	30
16.	संदर्भ माध्यम तैयार करना	32
17.	अभिलेख अवाप्ति / अधिग्रहण	34
18.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों के स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की पुनरीक्षा	36
19.	परामर्शी कार्य	38
20.	प्रशिक्षण	40
21.	अभिलेख जागरुकता कार्यक्रम	42

Contents

Sl.No.	Chapters	Page No.
1.	Priorities	2
2.	An Overview	5
3.	Analysis of the Data	7
4.	Records Rooms – Setting Up Of	8
5.	Records Officers – Nomination Of	10
6.	Sharing of Space for Semi-current Records	12
7.	Recording, Reviewing and Weeding Out Of	14
8.	Indexing Of Records	16
9.	Compilation of Retention Schedules for Records By Records Creating Agencies	18
10.	Downgrading of Classified Records	20
11.	Defunct Commissions/Committees	22
12.	Action Initiated By Records Creating Agencies on Appraisal of Non-current Records	24
13.	Organisational History of Records Creating Agencies	26
14.	Microfilming of 'A' Category Records	28
15.	Appraisal of Non-current Records	30
16.	Preparation of Reference Media	32
17.	Acquisitions/ Accessions	34
18.	Vetting of Retention Schedules of Records of Substantive Functions of Records Creating Agencies	36
19.	Advisory Work	38
20.	Training	40
21.	Archival Awareness Programme	42

अनुलग्नक-I	लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची	46
अनुलग्नक-II	अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची	49
अनुलग्नक-III	वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची	51
अनुलग्नक-IV	वर्ष 2011 में पांच दिवसीय अभिलेख प्रबंधन अभिविव्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभिलेख अधिकारियों के नाम	52

Annexures

ANNEXURE – I	List of Records Creating Agencies who have furnished information on the Implementation of the Public Records Act, 1993.	46
ANNEXURE – II	List of Records Creating Agencies who have furnished half-yearly returns June & December on Recording, Indexing, Reviewing, and Weeding of Semi-current Records.	49
ANNEXURE – III	List of Records Creating Agencies who have furnished half-yearly returns June & December on Downgrading of Classified Records.	51
ANNEXURE – IV	Names of the Records Officers who have attended five-day Orientation Courses in Records Management in 2009.	52

प्राथमिकताएं

वर्ष 2011, लोक अभिलेख नियमावली 1997 की अधिसूचना के 15वें वर्ष को चिह्नित करता है। यह वर्ष भारत सरकार और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन की विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 को लागू करने के 17 महत्वपूर्ण वर्षों को भी चिह्नित करता है। लोक अभिलेख नियमावली में प्रतिष्ठापित मुख्य पहलें कुछ राज्यों द्वारा लागू किए गए इसी प्रकार के विधानों में भी परिलक्षित हुई हैं। तथापि, इन कानूनी प्रावधानों और सार्वजनिक अभिलेखों के उचित रखरखाव के महत्व के प्रति बढ़ती जागरूकता के बावजूद अभिलेख प्रबंधन पद्धतियों तथा अभिलेख सर्जक एजेंसियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई नहीं देता।

सूचना का अधिकार अधिनियम के बाद की अवधि में सरकारी संगठनों में लोक अभिलेखों के प्रबंधन ने किस तरह एक महत्वपूर्ण आयाम प्राप्त कर लिया है। यह एक ऐसा तथ्य है जो शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लोक अभिलेखों के महत्व के संबंध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) की टिप्पणियों के साथ मेल खाता है। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को सूचना और अधिकार देने की मांग को पूरा करने के एकमात्र उपाय के रूप में भारत सरकार के कार्यालयों में अभिलेख प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पर जोर दिया जाए।

राष्ट्रीय अभिलेखागार ने लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को पूरा सहयोग और समर्थन दिया था। तथापि, उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में दर्शाई गई प्रतिक्रिया से उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव प्रदर्शित होता है। कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे कि अभिलेख अधिकारी का नामांकन करने, धारा 5(1) और अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यात्मक अभिलेख कक्ष की स्थापना करने तथा धारा 5(2) को भी अधिकांश अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लागू नहीं किया गया है। प्राथमिक बिंदुओं को रखने से पहले मैं आपके सम्मुख कुछ तथ्य रखना चाहूंगा:-

1.1 पिछले वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 के दौरान अपने संगठनों में लोक अभिलेख अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों से प्राप्त समग्र प्रतिक्रिया में मामूली सुधार हुआ है। प्रतिशत के अनुसार वर्तमान रिपोर्ट की कुल प्रतिक्रिया केवल 2.87 प्रतिशत रही है जो 2010 के 2.3 प्रतिशत की तुलना में मामूली सुधार को दर्शाती है। भारत सरकार के मुख्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रतिक्रिया 7 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई है। तथापि, यह भी देखा गया कि मुख्य मंत्रालयों के अधीन कई अधीनस्थ विभागों और उपक्रमों, जिन्होंने अनुपालन पर रिपोर्ट नहीं किया था, ने अपेक्षित सूचना दी है। अभिलेख अधिकारियों के नामांकन जैसे मामलों पर विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना जैसे कुछ अन्य अनिवार्य प्रावधानों जैसे विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना और रिकार्डिंग, सूचकांक तैयार करना, आदि की तुलना में प्रतिक्रिया बेहतर रही है।

Chapter—1

Priorities

The year 2011 marked the fifteenth year of the notification of The Public Records Rules, 1997. It also marks 17 eventful years of the implementation of The Public Records Act, 1993 by various Records Creating Agencies of the Government of India and Union Territory Administrations. Major initiatives set forth in the Public Records Rules have also got reflected in similar legislations enacted by some of the States. However, in spite of these legislative provisions and increasing awareness about the importance of proper upkeep of public records, no remarkable transformation can be observed in the records management practices followed by the Records Creating Agencies.

In the post-Right to Information Act era, the management of public records in the Government organizations has assumed a critical dimension, a fact which also resonates with the observations of the second Administrative Reforms Commission (ARC) regarding the importance of public records as a vital tool to ensure accountability in governance. Therefore, it is extremely imperative to implement serious measures to streamline the records management practices in the Government of India as the only way to cope with the demands of an informed and empowered citizen under the Right to Information Act.

The National Archives of India had extended full cooperation and support to the Records Creating Agencies towards the implementation of the Public Records Act, 1993. However, the response as reflected in the Reports submitted by them is a reflection of lack of commitment to the implementation of the said Act. Some of the mandatory requirements such as the nomination of Record Officer under Section 5(1) and setting up of a functional Record Room under Section 5(2) of the Act have not been complied with by majority of Records Creating Agencies. Before I lay down the priority points, let me place some facts on record before you:-

- 1.1 The overall response received from various Records Creating Agencies about the state of implementation of the Public Records Act in their organisations during 2011 reflects a slight improvement as compared to 2010. Percentage wise, the total response is only 2.87 per cent for the present report which is a slight improvement over 2.3 per cent of 2010. Response from the main Ministries/Departments of the Government of India has increased from 7 to 11. However, it has also been observed that many of the subordinate Departments, Undertakings under many of the main Ministries that did not report on compliance have furnished requisite information. On some issues like nomination of Record Officers, the response has been better compared to some other mandatory provisions like setting up of Departmental Record Room and recording, preparation of Indices, etc.

- 1.2 लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अंतर्गत नामांकित किए गए अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण एक बेहद जरूरी पहलू है जो अभिलेख सर्जक एजेंसियों में एक ठोस अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करता है। अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार और अपने विभाग के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1998 से अभिलेख अधिकारियों के हित में नियमित रूप से अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित करता आ रहा है। जबकि वर्ष 2010 में इस पाठ्यक्रम में 144 अधिकारियों ने भाग लिया था, जबकि वर्ष 2011 में यह संख्या बढ़कर 151 अधिकारी हो गई थी। अभिलेख प्रबंधन में ये अभिविन्यास पाठ्यक्रम एनएआई मुख्यालय, नई दिल्ली, एनएआई क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा भुवनेश्वर, जयपुर और पुडुचेरी स्थित एनएआई अभिलेख केन्द्रों में आयोजित किए गए थे।
- 1.3 भारत सरकार द्वारा सभी लोक अभिलेखों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें अंतिम भंडार गृह के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार को महत्वपूर्ण मूल्य के अभिलेखों का अंतरण करना लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 द्वारा परिकल्पित अनुसार अभिलेख प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन कई वर्षों में स्थायी महत्व के ऐसे अभिलेख बहुत बड़ी संख्या में अभिलेख सर्जक एजेंसियों में जमा हो गए हैं। इस विभाग द्वारा निरंतर पहल करने के बावजूद ऐसे अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि वर्ष 2010 के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार को केवल 93,003 फाइलें स्थायी परिरक्षण हेतु स्थानांतरित की गई थीं, वहीं वर्ष 2011 के दौरान यह संख्या काफी अधिक बढ़कर 2,76,597 तक पहुँच गई। यहां यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे सभी अप्रचलित अभिलेख, जो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, का राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है और उन्हें लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 5 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा कराए जाने की आवश्यकता है। इस अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन से यह सुनिश्चित होगा कि ये बहुमूल्य अभिलेख वैज्ञानिक रूप से संरक्षित किए जा सकेंगे और अनुसंधानकर्ताओं तक इनकी पहुँच लम्बे समय तक बनी रहेगी।
- 1.4 इस विभाग ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव की अनुमोदित कार्य-योजना पर पहले ही पहल शुरू कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों की स्वतंत्रता के बाद की अवधि के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन और स्थानांतरण करना शामिल है। विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से लगभग 2,76,597 मूल्यांकित फाइलों को स्थायी तौर पर रखने के लिए चुना गया है, जिनमें से अधिकांश फाइलें गृह मंत्रालय से प्राप्त हुई हैं। इस कार्य को अभिलेखीय सहायकों द्वारा इस विभाग के अभिलेखविदों और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया गया है।

इसके अलावा, उक्त अधिनियम और नियमों को और अधिक कारगर बनाने के लिए आवश्यक संशोधन करने हेतु लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 की समीक्षा का कार्य चल रहा है, जो अग्रिम चरण में है।

1.5 पूर्व-वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं के बिंदु निम्नलिखित हैं:

- अधिनियम की धारा 5(1) और लोक अभिलेख नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेख अधिकारियों का नामांकन करना।
- इस विभाग द्वारा आयोजित अभिलेख प्रबंधन में अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण।
- अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार अभिलेख कक्षों की स्थापना।
- मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करना।
- 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना।

- 1.2 Training of the record officers nominated under The Public Records Act, 1993 is a vital component for establishing a sound records management system in the Records Creating Agencies. The record officers serve as a link between the National Archives of India and their own departments. The National Archives of India has been, since 1998, conducting regular Orientation Courses in records management for the benefit of the record officers. While 144 officers attended the courses in 2010, the number increased to 151 officers in 2011. These Orientation Courses in Records Management were held at National Archives Of India Headquarters, New Delhi, National Archives Of India Regional Office, Bhopal and National Archives Of India Records Centers located in Bhubaneswar, Jaipur and Puducherry.
- 1.3 Transfer of records of enduring value to the National Archives of India as the final repository of all public records of the Government of India after their appraisal is another critical area of records management as envisaged by The Public Records Act, 1993. However, over the years, a large number of such records have accumulated in various Records Creating Agencies. Notwithstanding the continuous initiatives taken by this Department, these records still await their transfer to the National Archives of India. While only 93,003 files were transferred to the National Archives of India for permanent preservation during 2010, this number witnessed a significant increase to 2,76,597 files during 2011. It cannot be overemphasized here that it is absolutely imperative that all non-current records of more than 25 years old be deposited with the National Archives Of India as delineated in Section 6 of Public Records Act, 1993 and Rule 5 of Public Records Rules, 1997. Compliance of this mandatory provision will ensure that these invaluable records are preserved scientifically with a view to prolong their longevity and facilitate their access to researchers.
- 1.4 This Department has continued the approved Action Plan of the Cabinet Secretary on critical area projects concerning National Archives of India which includes, *inter-alia*, appraisal and transfer of non-current records of the Post-Independence period of Ministries/Departments, etc. Approximately 2,76,597 appraised files selected for permanent retention have been transferred from various Ministries/Departments, bulk of which has come from the Ministry of Home Affairs. This work has been done by the Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department.

Besides, the process of reviewing the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 with a view to carry out necessary amendments to make the said Act and Rules more effective, is in an advanced stage.

1.5 In the light of the foregoing facts, I may reiterate the priorities as enumerated below:

- Nomination of the Record Officers by the Records Creating Agencies under provision of Section 5(1) of the Act and Rule 3 of The Public Record Rules.
- Training of Record Officers in records management conducted by this Department.
- Establishment of Record Rooms as envisaged under section 5(2) of the Act.
- Downgrading of classified records by Ministries/ Departments.
- Appraisal of non-current records more than 25 years old and

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- स्थायी अभिरक्षा और वैज्ञानिक परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को अभिलेखों का समय पर अंतरण करना, और
- अभिलेखों की रिकार्डिंग, समीक्षा और सूचीकरण करना।

मैं सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से हृदय से यह अपील करता हूँ कि वे स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और इन बिंदुओं पर कार्रवाई प्रारंभ करें ताकि उनके संबंधित संगठनों में अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों को व्यवस्थित किया जा सके।

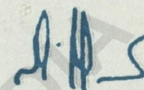
दिनांक: 8/12/2014

(वी. श्रीनिवास)
अभिलेख महानिदेशक
भारत सरकार

National Archives of India

- Ensure timely transfer of appraised records to the National Archives of India for permanent custody and scientific preservation.
- Recording, reviewing and indexing of records.

It is my sincere appeal to all the Records Creating Agencies to take a serious view of the situation and initiate action on these points so as to streamline records management activities in their respective organisations.



(V. Srinivas)
Director General of Archives
Government of India

Date: 8/12/2014

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जिसे राष्ट्र की दस्तावेजी विरासत के परिरक्षण का कार्य सौंपा गया है। यह लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 8 (2) के उपबंधों के तहत अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (ठ) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को विभागीय अभिलेख अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है। तदनुसार, भारत सरकार के 85 मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों को अभिलेख महानिदेशक द्वारा दिनांक 14 मई, 2012 का परिपत्र सं. 16-12(क)/2012-आरएम भेजा गया था, जिसमें उनसे वर्ष 2011 के दौरान ऊपर उल्लिखित खण्डों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में निर्देशानुसार लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म-5 में रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालयों/विभागों से उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को ऊपर उल्लिखित खंडों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में फार्म-5 में वांछित रिपोर्ट देने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक निकाय, आदि शामिल थे जिससे अभिलेख महानिदेशक लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 पर अमल करने के बारे में रिपोर्ट संकलित कर भारत सरकार को प्रेषित कर सकें।

2.1 प्रस्तुत रिपोर्ट को अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2011 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर की गई कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है:-

1. अभिलेख कक्ष की स्थापना करना;
2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन करना;
3. अभिलेख अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना;
4. अप्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार में जगह की भागीदारी करना;
5. अप्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण करना;
6. 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना;
7. स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण समय-सूची का संकलन/संशोधन करना;
8. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करना;

Chapter—2

An Overview

National Archives of India is an attached office of the Ministry of Culture entrusted with the preservation of the documentary heritage of the nation. It is also the nodal agency for the implementation of The Public Records Act, 1993 and the Public Records Rules, 1997. Under the provisions of the Rule 8 (2) of The Public Records Rules, 1997, Director General of Archives is required to submit to the Government of India, an Annual Report every year on the action taken by the record officers in compliance with the provisions of clauses (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of The Public Records Act, 1993. Accordingly, a circular letter No. 16-12(A)/2012-RM dated 14 May 2012 from Director General of Archives was issued to all the Secretaries of the 85 Ministries/Departments of Government of India requesting them to furnish their report in Form-5 of The Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2011. The Ministries/Departments were also requested to issue necessary directives to all their attached and subordinate offices, including Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. under their administrative control to furnish the desired report in Form-5, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above, so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of The Public Records Act, 1993.

2.1 The present report has been prepared on the basis of the data received from various Records Creating Agencies on the action taken by them during the year 2011 on the following aspects:-

1. Setting up of Record Rooms;
2. Nomination of Record Officers;
3. Training of record officers and staff;
4. Sharing of space in National Archives of India for housing semi-current records;
5. Recording, reviewing and weeding out of semi-current records;
6. Appraisal of non-current records more than 25 years old;
7. Compilation/ revision of retention schedules of records of substantive functions;
8. Downgrading of classified records;

आंकड़ों का विश्लेषण

सामान्य निष्कर्ष

वर्ष 2011 में लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर 85 मंत्रालयों/विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि से सूचना मांगी गई थी। उनसे अपनी रिपोर्ट वर्ष 2011 के दौरान लोक अभिलेख अधिनियम 1993 तथा लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के कार्यान्वयन पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म-5 में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तथापि, उक्त अधिनियम और नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में केवल 46 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचना भेजी है। तथापि, मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न अभिलेख सृजन एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन को दर्शाने वाले विभिन्न अन्य पहलुओं पर भी सूचना लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से फार्म 4 और 7 में उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त उत्तरों को नीचे तालिका के रूप में दिया जा रहा है:-

अभिलेख सर्जक एजेंसियाँ	कुल संख्या	प्राप्त उत्तर
मंत्रालय/विभाग/स्वतंत्र	85	11 (12.9%)
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, आदि	1239	18 (1.4%)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि	241	15 (6.2%)
योग	1565	44 (2.81%)

- 3.1 उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान रिपोर्ट के लिए कुल प्रतिक्रिया केवल 2.81 प्रतिशत ही बैठती है; जो पिछले वर्ष की रिपोर्ट की तुलना में मामूली वृद्धि (2010 में 2.3%) दर्शाता है। इतने कम आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं हैं और अभिलेख सर्जक एजेंसियों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी अभिलेख अधिकारियों की ओर से गंभीर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए।
- 3.2 जिन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि ने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है उनके नाम अनुलग्नक-1 में देखे जा सकते हैं।

Chapter—3

Analysis of the Data

General Observations

Information on the implementation of The Public Records Act, 1993 for the year 2011 was sought from 85 Ministries/Departments and their attached and subordinate offices including Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. They were requested to furnish their report in Form-5 of The Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the implementation of The Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 during the year 2011. However, only 46 Records Creating Agencies furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act and Rules. However, information on various other aspects reflecting on the implementation of the Public Records Act, 1993 have also been provided by various Records Creating Agencies including Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings in Form 4 and 7 as mandated under Public Records Rules, 1997. Response/s received during the period under report from various Records Creating Agencies in various Forms is indicated below in a tabulated form:

Records Creating Agencies	Total Number	Response received
Ministries/Departments/Independent	85	11 (12.9%)
Attached/Subordinate Offices etc.	1239	18 (1.4%)
Public Sector Undertakings etc.	241	15 (6.2%)
Total	1565	44 (2.81%)

- 3.1 An analysis of the above data reveals that the total response elicited is only 2.81 per cent for the present report, which is a marginal increase (2.3% in 2010) from last year's report. Such low figures are not very encouraging and serious action is required on the part of the Records Creating Agencies as well as Record Officers of different Ministries/ Departments/Public Sector Undertakings to ensure that the provisions of the Act are adhered to.
- 3.2 The names of the Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings, etc. which have furnished information for this report may be seen at *Annexure-I*.

अभिलेख कक्षों की स्थापना

एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष का होना अभिलेखों की बेहतर प्रबंधन प्रणाली के लिए बुनियादी पूर्वापेक्षा है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उप-धारा (2) में यह निर्धारित किया गया है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को उपयुक्त स्थानों पर अपने अभिलेख कक्षों की स्थापना करनी चाहिए और प्रत्येक अभिलेख कक्ष, अभिलेख अधिकारी के प्रभार में होना चाहिए। विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित करने का उद्देश्य अभिलेखों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण करने तथा उन्हें अभिलेखबद्ध करने, समीक्षा, सूचिकरण करने और उन अभिलेखों को नष्ट करने, जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई है, के लिए समय पर कार्यवाई करना है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों का उक्त प्रावधान की ओर ध्यान आक भट करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उन्हें अपने-अपने मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि में अभिलेख कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया। तथापि, इस संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रीय अभिलेखागार अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी एजेंसियों से अपने विभागीय अभिलेख कक्ष वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित और स्थापित करने का अनुरोध करता आ रहा है, इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

इस संबंध में प्राप्त की गई सूचना का विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है:

4.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष सुव्यवस्थित हैं:

जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; बेतवा नदी बोर्ड, झांसी (जल संसाधन मंत्रालय); वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर; प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) नई दिल्ली; केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा (रेल मंत्रालय); जनजातीय सहकारी विपणन विकास (जनजातीय मामले मंत्रालय), नई दिल्ली

4.2 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष हैं:

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय); मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय); नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर (नाल्को) (खान मंत्रालय); ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम (पोत परिवहन मंत्रालय)।

Chapter—4

Records Rooms – Setting Up Of

A well-organised Record Room is one of the basic pre-requisite of a sound Records Management system. Sub-Section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 stipulates that all Records Creating Agencies should set up their records room at suitable locations and also place each records room under the charge of a Record Officer. The objective of setting up of the records room is to preserve the records scientifically and take timely action for their recording, reviewing, indexing and weeding out of those records which are no longer required. Drawing the attention of the Records Creating Agencies to the said provision, National Archives of India requested them to set up Record Rooms in their respective Ministry/Department/Office/ Public Sector Undertakings, etc. However, the response received in this regard reveals that in spite of the fact that National Archives of India has been requesting all agencies falling under the purview of the Act to organize and set up their records room in a scientific way, very little attention has been paid towards this important aspect.

Detailed analysis of information received in this regard is given below:

4.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that their records rooms are well organised:

Ministry of Water Resources, New Delhi; Ministry of Mines, New Delhi; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi; Central Water Commission (Ministry of Water Resources), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Office of The Secretary, Betwa River Board, Jhansi (Ministry of Water Resources); Department of Commerce (Ministry of Commerce And Industry), New Delhi; Narmada Control Authority, Indore; Prime Minister's Office, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry), New Delhi; Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; Railways Staff College, Vadodara (Ministry of Railways); Tribal Co-Operative Marketing Development (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi

4.2 The following Public Sector Undertakings have reported that they have well organised records rooms:-

Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum & Gas); National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC), Faridabad (Ministry of Power); Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals; Ministry of Chemicals & Fertilizers) ; Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence); National Aluminium Corporation Limited, Bhubaneswar (NALCO) (Ministry of Mines); Dredging Corporation of India Ltd, Visakhapatnam (Ministry of Shipping)

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- 4.3 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, (औषध विभाग; रसायन और उर्वरक मंत्रालय) ने सूचित किया है कि उनके मौजूदा अभिलेख कक्ष में पर्याप्त जगह नहीं है।
- 4.4 निम्नलिखित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके यहां कोई अभिलेख कक्ष नहीं है: केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुंबई; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नागपुर (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय)।
- 4.5 विश्लेषण – यह देखा गया है कि कार्यात्मक अभिलेख कक्षों की स्थापना करने का बार-बार अनुरोध करने पर भी अधिकांश अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने ऐसा नहीं किया है। यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि अभिलेख प्रबंधन पद्धतियों के लिए यह कोई बहुत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को कार्यात्मक अभिलेख कक्षों की स्थापना करना तथा केन्द्रीय कार्यालय पद्धति सचिवालय नियमावली (13वां संस्करण 2010) के पैरा 136 (2) के प्रावधान के अनुसार इस विभाग के सहयोग से वर्ष में एक बार उनकी जांच कराना अनिवार्य है।

- 4.3 Another Public Sector Undertaking Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata(Department of Pharmaceuticals; Ministry of Chemicals & Fertilizers) has informed that they have insufficient space in their existing Record Room
- 4.4 The following Departments/ Public Sector Undertakings have reported that they have no Record Rooms: Central Government Health Scheme (Ministry of Health & Family Welfare), Mumbai; National small Industries Corporation Limited, Nagpur (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprise)
- 4.5 **Analysis-** It has been observed that despite repeated requests to set up functional records rooms, majority of Records Creating Agencies have not done so. It is pertinent to mention here that this is not a very positive approach to records management practices as all Records Creating Agencies are mandated to set up functional Record Rooms and get them inspected in association with this Department once a year as per the provision of para 136 (2) of the Central Secretariat Manual of Office Procedure (Ed.13th 2010).

अभिलेख अधिकारियों का नामांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपने एक अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के तहत निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करने के लिए नामित करना होगा। अभिलेख अधिकारी से अपेक्षित है कि वह अपने संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में विभिन्न अनुभागों/प्रभागों में समन्वय रखे एवं महानिदेशक अभिलेखागार के साथ विभिन्न कार्यकलापों पर संपर्क बनाए रखे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण समय-सारणी का संकलन, अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन, स्थायी प्रकृति के 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित करने के संबंध में महानिदेशक अभिलेखागार के साथ संपर्क भी बनाए रखना शामिल हो। इसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अधिनियम के दायरे में आने वाली सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से अभिलेख अधिकारियों को जल्द से जल्द नामित करने का अनुरोध किया था। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 68 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/पीएसयू ने इस संबंध में अपेक्षित सूचना भेजी है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत कई अधिकारी ने अपने विभागीय अभिलेख अधिकारियों को मनोनीत किया है। प्राप्त उत्तरों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अभिलेख अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है:

संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली; गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, चेन्नई; रक्षा मंत्रालय, गाजियाबाद; कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; आयुध निर्माणी नालंदा (रक्षा मंत्रालय), राजगीर; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), मसूरी; कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नई दिल्ली; नीति और संवर्धन विभाग, (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) नई दिल्ली; नमक आयुक्त का कार्यालय (वित्त मंत्रालय), जयपुर; पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), नई दिल्ली; अंतर-राज्य परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; डीजल लोको माडर्नाइजेशन वर्क्स (रेल मंत्रालय), पटियाला, मध्य रेलवे (रेल मंत्रालय), सोलापुर; भारतीय रेल इंटीग्रेल कोच फैक्टरी (रेल मंत्रालय), चेन्नई; उत्तर रेलवे (रेल मंत्रालय) सुरक्षा संगठन, नई दिल्ली; ट्रेक्शन मशीन कार्यशाला, मध्य रेलवे (रेल मंत्रालय), नासिक; पूर्वी रेलवे (रेल मंत्रालय), गोरखपुर; मध्य रेलवे (रेल मंत्रालय), मुंबई; मध्य रेलवे सिग्नल एवं दूरसंचार शाखा सीएसटी, मुंबई; रेलवे स्टाफ कॉलेज (रेल मंत्रालय), वडोदरा; उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली; सचिवीय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली; उत्तर रेलवे (रेल मंत्रालय), जम्मू तवी; एफए एंड सीएओ कार्यालय, मध्य रेलवे, मुंबई; वरिष्ठ

Chapter—5

Records Officers – Nomination Of

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 stipulates that every Records Creating Agency shall nominate one of its officers as Record Officer to discharge the functions as outlined under Section 6(1) of the said Act. The Record Officer is required to coordinate and guide various sections/ divisions of their respective Records Creating Agencies as well as liaising with the Director General of Archives for various activities which include *inter-alia*, the compilation of records retention schedule of substantive functions, appraisal of non-current records and transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for scientific preservation. Taking into consideration the said provisions, National Archives of India had requested all the Records Creating Agencies falling under the purview of the Act to nominate their Record Officers at the earliest. During the period under report, over 68 Ministries/ Departments/Offices/ PSUs have furnished the requisite information in this regard. It is significant to note that many offices under Ministry of Railways from across the country have nominated their Departmental Record Officers. Replies received are detailed below:

5.1 Following Ministries/Departments/Offices have trained Record Officer:

Ministry of Culture, New Delhi; Ministry of Home Affairs, New Delhi; Ministry of External Affairs, New Delhi; Department of Health and Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare), New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Ministry of Defence, Chennai; Ministry of Defence, Ghaziabad; Ministry of Personnel & Public Grievances, New Delhi; Prime Minister's Office, New Delhi; Ordnance Factory Nalanda (Ministry of Defence), Rajgir; Lal Bahadur Shastri National academy of administration (Ministry of Personal P,G & Pensions), Mussoorie, Department of Personal and Training, (Ministry of Personal, Public Grievances & Pensions), New Delhi; Department of Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry), New Delhi; Office of the Salt Commissioner (Ministry of Finance), Jaipur; Power Grid Corporation of India Limited (Ministry of Power), New Delhi; Inter – State Council Secretariat, (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Diesel Loco Modernisation works (Ministry of Railways), Patiala, Central Railways (Ministry of Railways) Solapur; Indian Railways Integral coach Factory (Ministry of Railways), Chennai; Northern Railways (Ministry of Railways) Safety organization, New Delhi; Traction Machine Workshop, Central Railways (Ministry of Railways), Nasik; Eastern Railways (Ministry of Railways), Gorakhpur; Central Railways (Ministry of Railways), Mumbai; Central Railways Signal & Telecom Branch CST, Mumbai; Railways Staff College (Ministry of Railways), Vadodara; Northern Railways, Baroda House, New Delhi; Institute of Secretarial Training & Management, Department of Personnel & Training,

डीओएम का कार्यालय ई कंपनी रेलवे (रेल मंत्रालय), खुर्दा; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; मध्य रेलवे भंडार नियंत्रक (रेल मंत्रालय), मुंबई; यांत्रिक भाखा मध्य रेलवे (रेल मंत्रालय), भुसावल; मध्य रेलवे प्रभागीय कार्यालय, संचालन और प्रशिक्षण शाखा बीएसएल, भुसावल; भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय), नई दिल्ली; मध्य रेलवे सीईई का कार्यालय, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई डीआरएम का कार्यालय भंडार शाखा, मध्य रेलवे, भुसावल; मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय, मुंबई; मध्य रेलवे कार्मिक शाखा, सीएसटी, मुंबई; मध्य रेलवे अदन (मुख्यालय) कार्यालय, भुसावल; मध्य रेलवे (रेल मंत्रालय) वरिष्ठ प्रभागीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, भुसावल; मध्य रेलवे डीआरएम (एस एंड टी) का कार्यालय, भुसावल; मध्य रेलवे वरिष्ठ डीएफएम का कार्यालय, भुसावल; मध्य रेलवे, रक्षा उत्पादन विभाग, भुसावल; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; एएंडआरएम प्रभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली; मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय इंजीनियरिंग शाखा, मुंबई; भारतीय रेलवे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, पश्चिम बंगाल; एन एफ रेलवे, गुवाहाटी; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय), नई दिल्ली; श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लुधियाना; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली, वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय); वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन, स्थापना (इंजी. ईक्यूपी), रक्षा मंत्रालय, चेन्नई; वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन, स्था. (धातु) (रक्षा मंत्रालय), मुरादनगर।

5.2 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) ने सूचित किया है कि उनके यहाँ कोई अभिलेख कक्ष और कोई अभिलेख अधिकारी नहीं है।

5.3 सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख अधिकारियों को नामित किया है:

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (कार्य, आवास एवं आपूर्ति मंत्रालय); भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय), नई दिल्ली; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), लखनऊ; मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय); पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (विद्युत मंत्रालय); राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली; नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी), फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम (पोत परिवहन मंत्रालय), नाल्को (खान मंत्रालय), भुवनेश्वर; भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, कांचीपुरम (परमाणु ऊर्जा विभाग); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय); बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर (खान मंत्रालय; राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (जनजातीय मामले मंत्रालय), नई दिल्ली।

5.4 विश्लेषण – सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को अपने अभिलेख अधिकारियों को नियुक्त करना अनिवार्य होता है और इस कार्यालय आदेश की एक प्रति सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजनी आवश्यक होती है। अधिकारियों को राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में भेजा जाना चाहिए। कैलेण्डर की विस्तृत सूचना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अवधि के दौरान आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का ब्यौरा अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

New Delhi; Northern Railways (Ministry of Railways), Jammu Tawi; FA& CAO's Office Central Railways, Mumbai; Sr. DOM's Office E. Co. Railways (Ministry of Railways), Khurda; Department of Electronics & Information Technology (Ministry of Communication & Information Technology), New Delhi; Central Railways Controller of Stores (Ministry of Railways), Mumbai; Mechanical Branch Central Railways (Ministry of Railways), Bhusawal; Central Railways Divisional Office, Operation and training Branch BSL, Bhusawal; Department of Heavy Industries (Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises), New Delhi; Central Railways CEE's Office, Chhatrapati Shivaji Terminus, Mumbai; D.R.M.'s Office Stores Branch, Central Railways, Bhusawal; Central Railways Headquarters Office, Mumbai; Central Railways Personnel Branch, CST, Mumbai; Central Railways ADEN (HQ) Office, Bhusawal; Central Railways (Ministry of Railways) Sr. Divisional Elect. Engineer, Bhusawal; Central Railways DRM(S&T)'s Office, Bhusawal; Central Railways Sr. D.F.M's Office, Bhusawal; Central Railways, Bhusawal Department of Defence Production, Ministry of Defence, New Delhi; A & RM Division, Ministry of External Affairs, New Delhi; Central Railways Headquarter Office Engineering Branch, Mumbai; Indian Railways Chittaranjan Locomotive Works, West Bengal; N. F. Railways, Guwahati; Ministry of Defence, New Delhi; Department of Agriculture & Cooperation, (Ministry of Agriculture), New Delhi; Ministry of Labour & Employment, Ludhiana; Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi; Central Industrial Security Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi, Department of Commerce (Ministry of Commerce & Industry); Senior Quality Assurance, Estt. (ENGG. EQP), Ministry of Defence, Chennai; Senior Quality Assurance, Estt. (Metals) (Ministry of Defence), Muradnagar

5.2 Central Government Health Scheme, Mumbai (Ministry of Health & Family Welfare) has reported that they have no Record Room and no Record Officer.

5.3 The following 13 Public Sector Undertakings have reported that they have nominated Records Officers:

National Building Construction Corporation limited (Ministry of works, Housing & supply; Bharat Heavy Electricals limited (Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises), New Delhi; National Handloom Development Corporation Ltd,(Ministry of Textile), Lucknow; Mazagon Dock Limited , Mumbai (Ministry of Defence; Power Finance corporation Limited, New Delhi (Ministry of Power; The National small Industry Corporation Ltd (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprise, New Delhi; National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC), Faridabad (Ministry of Power); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); NALCO (Ministry of Mines), Bhubaneswar; Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited, Kancheepuram, (Department of Atomic Energy); Hindustan Antibiotic Ltd., Pune (Department of Pharmaceuticals; Ministry of Chemicals & Fertilizers); Bengal Chemical &Pharmaceutical Limited, Kolkata (Department of Pharmaceuticals), Ministry of Chemicals &Fertilizers); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur (Ministry of Mines; National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (Ministry of Tribal affairs), New Delhi

5.4 Analysis—It is mandatory for all Records Creating Agencies to nominate their Records Officers and a copy of this office order is required to be forwarded to Director General, National Archives of India, as per provision of Rule 3 of the Public Records Rules, 1997. The Officers should be sent for Orientation Courses on Records Management conducted by National Archives of India. Detailed information on the Calendar is available on the Departmental website. Details of the Orientation Courses conducted during the period is at Annexure IV.

अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी

यह देखा गया है कि अर्द्ध-प्रचलित चरण में अभिलेखों का उनकी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं रखा जाता, विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ अलग से अभिलेख कक्ष नहीं बनाए गए हैं। इन अधिकांश अभिलेखों को गलियारों में रख दिया जाता है या अलमारियों में बेतरतीब ढंग से रख दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति अभिलेखों के रखरखाव के लिए उपयुक्त नहीं है और परिणामस्वरूप इनमें से कई अभिलेख, जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, कट-फट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से उनके एनेक्सी भवन, नई दिल्ली में तथा भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पुडुचेरी और भुवनेश्वर के अभिलेख केंद्रों में स्थान की भागीदारी करने का प्रस्ताव दे रहा है। इस संबंध में कुल 20 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचना भेजी है, उनमें से 11 सरकारी और 09 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इनमें से किसी ने भी राष्ट्रीय अभिलेखागार के किसी परिसर में उपलब्ध जगह का इस्तेमाल करने की इच्छा नहीं दर्शाई है। इस संबंध में प्राप्त उत्तरों के विवरण इस प्रकार हैं:

- 6.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे वर्तमान में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, भोपाल में उसके क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पुडुचेरी और भुवनेश्वर में अपने अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए स्थान की भागीदारी के लिए तैयार नहीं हैं:

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, (खान मंत्रालय), नागपुर; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), मसूरी; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; रेलवे स्टाफ कॉलेज (रेल मंत्रालय), वडोदरा; केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मुंबई; औद्योगिक नीति एवं प्रचार विभाग, (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) नई दिल्ली।

- 6.2 निम्नलिखित विभाग ने अपनी रिपोर्ट 'शून्य' भेजी है:

केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर।

- 6.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/प्राधिकारियों आदि ने सूचित किया है कि वे विभिन्न कारणों से अभिलेख भण्डारण स्थान को बांटना नहीं चाहते।

Chapter—6

Sharing of Space for Semi-current Records

It has been observed that during their semi-current stage the records are not well cared for by the Records Creating Agencies, especially in cases where a separate records room has not been organised. Most of these records are placed in the corridors or stacked haphazardly in the Almirahs. Such conditions are not conducive for the health of the records resulting in wear and tear or destruction of many records containing valuable information. Keeping these issues in mind, National Archives of India has been inviting all the Records Creating Agencies to share space in its headquarters at New Delhi and also in its Regional Office at Bhopal and its three Records Centres at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar. In all 20 Records Creating Agencies have furnished information in this regard, out of which 11 are Government Records Creating Agencies and 09 are Public Sector Undertakings. None of them are willing to take up the offer of sharing of space at any of the premises of the National Archives of India. Details of replies received in this regard are as follows:

- 6.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they do not want to share space at present in the National Archives of India, New Delhi or its Regional Office at Bhopal and Records Centers at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar for housing their semi-current records:

Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Prime Minister's Office, New Delhi; Indian Bureau of Mines, (Ministry of Mines), Nagpur; Ministry of Mines, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personal P,G & Pensions), Mussoorie; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi; Railways Staff College (Ministry of Railways), Vadodara; Central Government Health Scheme, Mumbai (Ministry of Health & Family Welfare); Department of Industrial Policy & Promotions, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry), New Delhi

- 6.2 The following Department has given their report as 'Nil':

Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur;

- 6.3 The following Public Sector Undertakings/ Statutory bodies/Authorities etc. do not want to share records storage space for varied reasons:

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापत्तनम; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), लखनऊ; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर; नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय), नई दिल्ली; जनजातीय सहकारी विपणन विकास (जनजातीय मामले मंत्रालय), नई दिल्ली।

6.4 मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई ने उल्लेख किया है कि यह उनके संगठन पर लागू नहीं होता है।

6.5 विश्लेषण – अर्ह-प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी के लिए अभिलेख सर्जक एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त होने पर राष्ट्रीय अभिलेखागार राष्ट्रीय अभिलेखागार (मुख्यालय), नई दिल्ली तथा भोपाल में अपने क्षेत्रीय कार्यालय और जयपुर, पुडुचेरी और भुवनेश्वर में स्थित अपने तीन अभिलेख केन्द्रों में भी अपेक्षित जगह उपलब्ध करा सकता है।

Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum & Natural Gas) ; National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC), Faridabad (Ministry of Power) ; Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Dredging Corporation of India Ltd (Ministry of Shipping), Visakhapatnam; National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles), Lucknow; Narmada Control Authority, Indore; National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); National small Industries Corporation Ltd (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprise), New Delhi; Tribal Co-Operative Marketing Development (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi.

6.4 Mazagon Dock Limited, Mumbai have mentioned that it is not applicable to their organization:

6.5 Analysis—On receipt of request from Records Creating Agencies for sharing of space for their semi-current records, National Archives of India can provide the requisite space in its Regional Office at Bhopal and three of its Records Centers located at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar.

अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण

प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी अपने दिन-प्रतिदिन के लेनदेन में अभिलेखों का सृजन करती है। महत्वपूर्ण अभिलेखों को अल्पावधि वाले अभिलेखों से पृथक् करने और इनका उचित प्रबंधन/रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए भी, उनका समय पर अभिलेखन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण करने, आदि ऐसे आवश्यक कदम हैं जिन्हें सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ख) तथा लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 9 उपबंधित करता है कि किसी भी अभिलेख को अभिलेखन और समीक्षा के बगैर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 9(1) आगे उपबंधित करता है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को इस विषय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के समक्ष अर्द्ध वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को दिनांक 05 अप्रैल, 2011 को एक परिपत्र सं० एफ.16-4/2011-आर.एम. जारी किया गया था जिसमें सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि सहित भारत सरकार के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। सूचना भेजने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची अनुलग्नक-II में देखी जा सकती है। दिनांक 14 मई, 2012 के परिपत्र सं० एफ.16-12क/2012-आर.एम. के उत्तर में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों, आदि ने संबंधित सूचना भेजी है। इन दोनों परिपत्रों के उत्तर में प्राप्त सूचना का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

7.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण और अभिलेखों को नष्ट करने की कार्यवाही कर रहे हैं:

रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय (सीआरपीएफ), नई दिल्ली; केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय), नमक आयुक्त का कार्यालय (वित्त मंत्रालय), जयपुर; प्रधान लेखा कार्यालय (नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, (खान मंत्रालय), नागपुर; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय); आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; रेलवे स्टाफ कॉलेज (रेल मंत्रालय), वडोदरा; पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, मध्य क्षेत्र, कोच्चि (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय); पर्यावरण और वन मंत्रालय, चंडीगढ़; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय, (केन्द्रीय), (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) कोच्चि; विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, एटीआई कैपस, लुधियाना (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।

Recording, Reviewing and Weeding Out Of Semi-Current Records

Every Records Creating Agency creates records in their day-to-day transactions. To segregate the important records from those ephemeral in nature and to ensure their proper management/ maintenance, timely recording, reviewing and weeding of records are essential steps which are required to be taken by all the Records Creating Agencies. Section 6(1) (b) of Public Records Act, 1993 and Rule 9 of Public Records Rules, 1997 stipulates that no record shall be destroyed without being recorded and reviewed. Rule 9(1) of the Public Records Rules, 1997 further stipulates that each Records Creating Agency shall furnish half-yearly returns on the subject to National Archives of India. Accordingly, a circular letter No. F. 16-4/2011-RM dated 5 April, 2011 was issued to all Ministries/Departments wherein all the Records Creating Agencies were requested to issue necessary directives to all the attached and subordinate offices including the Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. A list of Records Creating Agencies that have sent information may please be seen in *Annexure-II*. In response to another circular letter No. 16-12A/2012-RM, dated 14 May 2012 the following Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have sent related information. The analysis of information received in response to both these circulars is given below.

7.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they are attending to the job of recording, reviewing and weeding of records:

Office of the Registrar General, (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Directorate General Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi; Central Industrial Security Force (Ministry of Home Affairs), Office of The Salt Commissioner (Ministry of Finance), Jaipur; Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation & Tourism), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Prime Minister's Office, New Delhi ; Indian Bureau of Mines, (Ministry of Mines), Nagpur; Department of Industrial Policy & promotion (ministry of Commerce & Industry); Directorate General of Supplies & Disposal (Ministry of Commerce & Industry), New Delhi; Railways Staff College (Ministry of Railways), Vadodara; Department of Posts, Office of the Postmaster General, Central Region, Kochi (Ministry of Communication & Information Technology); Ministry of Environment & Forests, Chandigarh; Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi ; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), (Ministry of Labour & Employment), Kochi; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, ATI Campus, Ludhiana (Ministry of Labour and Employment); Vice President's Secretariat, New Delhi

7.2 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने 'शून्य' और 'लागू नहीं होता' रिपोर्टें भेजी हैं:

केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नागपुर; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; मुख्य अभियंता एवं प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर (पोत परिवहन मंत्रालय); बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (जल संसाधन मंत्रालय); लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय); केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय); क्षेत्रीय सैन्य उपयुक्तता विकास केंद्र, सुल्तानपुर (रक्षा मंत्रालय); ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली।

7.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/प्राधिकारियों आदि ने सूचित किया है कि वे अभिलेखन एवं समीक्षा कर रहे हैं तथा अभिलेखों को नष्ट कर रहे हैं:

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद; बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड, कोलकाता; मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई; नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर; ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम (पोत परिवहन मंत्रालय); राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय), इंदौर।

7.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकायों आदि ने अपनी रिपोर्टें 'शून्य' प्रस्तुत की हैं:

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन लिमिटेड (वर्तमान में जनजातीय मामले मंत्रालय के अधीन), नई दिल्ली।

7.5 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग; रसायन और उर्वरक मंत्रालय), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय), नई दिल्ली; चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) ने सूचित किया है कि वे अभिलेख करने, उनकी समीक्षा करने और अभिलेखों को नष्ट करने की कार्यवाही की प्रक्रिया अपना रहे हैं।

7.6 विश्लेषण — लोक अभिलेख नियम, 1977 तथा केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय नियमावली के अंतर्गत अभिलेखन, पुनरीक्षण और सूचीकरण एक अनिवार्य प्रावधान है। अतः अभिलेख सर्जक एजेंसियों को पूरी गंभीरता के साथ कार्य करना होता है तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोक अभिलेख नियम, 1977 के फार्म 7 में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करनी होती है।

7.2 The following Records Creating Agencies have furnished 'Nil' and 'Not Applicable' reports:

Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), Nagpur; Ministry of Mines, New Delhi; Office of the Chief Engineer & Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair (Ministry of Shipping); Bansagar Control Board, Rewa (Ministry of Water Resources); Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions); Central Government Health Scheme, Mumbai (Ministry of Health Family Welfare); Regional Centre for Development of Military Airworthiness, Sultanpur (Ministry of Defence); Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi

7.3 The following Public Sector Undertakings/Statutory Bodies/ Authorities, etc. have reported that they are attending to the recording, reviewing and weeding out of records:

National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) Limited, Faridabad; Bengal Chemical & Pharmaceutical Limited, Kolkata; Mazagon Dock Limited, Mumbai; National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar; Dredging Corporation of India Limited Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow; Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore;

7.4 The following Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have furnished 'Nil' reports:

Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (presently under Ministry of Tribal Affairs), New Delhi;

7.5 Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals; Ministry of Chemicals & Pharmaceuticals), National small Industries Corporation Ltd (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprise), New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum & Natural Gas) have mentioned that they are following their own procedure of recording, reviewing and weeding of records.

7.6 Analysis—Recording, reviewing and indexing is a mandatory provision under The Public Records Rules, 1997 as also under the provision of Central Secretariat Manual of Office Procedure. Hence, the Records Creating Agencies are required to carry out the work with all seriousness and submit the requisite information in Form 7 of The Public Records Rules, 1997 to the National Archives of India.

अभिलेखों का सूचीकरण

किसी भी अभिलेख सर्जक एजेंसी की प्रशासनिक दक्षता, प्राधिकारियों द्वारा समय पर सूचना देने और निर्णय लेने पर निर्भर करती है। अभिलेखों से तुरंत सूचना प्राप्त करने के लिए अच्छे संदर्भ मीडिया और वार्षिक विभागीय सूचियों को अभिलेखों का श्रेणी 'क' और 'ख' में नियमित रूप से संकलन करना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना लोक अभिलेख नियम, 1997 के फार्म 5 में देने का अनुरोध (परिपत्र सं० एफ. 16-12(क)/2012-आर.एम. दिनांक 14 मई, 2012 देखें) किया था। प्राप्त सूचना का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

8.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने सूचियों का संकलन कर लिया है या संकलन कार्य चल रहा है:

जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (जल संसाधन मंत्रालय); वाणिज्य विभाग, (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) नई दिल्ली; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) नई दिल्ली; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, नई दिल्ली (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय); प्रधान लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (नागरिक विमानन और पर्यटन मंत्रालय); डाक विभाग, पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, मध्य क्षेत्र, कोच्चि (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय); नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर (वित्त मंत्रालय); केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (मध्य), कोच्चि (श्रम और रोजगार मंत्रालय); मुख्य अभियंता एवं प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर (जहाजरानी मंत्रालय); उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।

8.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने कई तरह के नकारात्मक उत्तर भेजे हैं उदाहरण के लिए संकलन नहीं कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है, अपेक्षित नहीं है, आदि:

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (खान मंत्रालय); खान मंत्रालय, नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) मसूरी; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर (कृषि मंत्रालय); रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा (रेल मंत्रालय); क्षेत्रीय सैन्य उपयुक्तता केंद्र, सुल्तानपुर (रक्षा मंत्रालय); पर्यावरण और वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़; रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, लुधियाना (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)।

Chapter—8

Indexing Of Records

Administrative efficiency of a Records Creating Agency depends upon the timely furnishing of information to the decision making authorities. To facilitate quick retrieval of information from records, a good reference media and regular compilation of annual departmental indices of 'A' and 'B' Category of records is necessary. The National Archives of India had requested all the Records Creating Agencies (vide its circular No. 16-12(A)/2012-RM dated 14 May 2012) to furnish information in Form 5, Public Records Rules, 1997 on the action taken by them. Details of information received are as follows:

- 8.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they have compiled indices or compilation of indices is in progress:

Ministry of Water Resources, New Delhi; Bansagar Control Board, Rewa (Ministry of Water Resources).; Department of Commerce, New Delhi (Ministry of Commerce and Industry) ; Narmada Control Authority, Indore ; Ministry of Water Resources, New Delhi; Directorate General of Supplies & Disposal , New Delhi (Ministry of Commerce & Industry) ; Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); Principal Accounts Office, New Delhi (Ministry of Civil Aviation & Tourism; Department of Posts, Office of the Postmaster General, Central Region, Kochi (Ministry of Communications & Information Technology); Office of the Salt Commissioner , Jaipur (Ministry of Finance); Central Industrial Security Force, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affairs); Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Kochi (Ministry of Labour & Employment), Office of the Chief Engineer & Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair (Ministry of Shipping) ; Vice President's Secretariat, New Delhi

- 8.2 The following Ministries/Departments/Offices have sent varied negative responses like Not compiling, Not necessary, Not required, Nil reports, etc.:

Ministry of Defence, New Delhi; Prime Minister's Office, New Delhi; Indian Bureau of Mines, Nagpur (Ministry of Mines); Ministry of Mines, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Ministry of Personal Public Grievances & Pensions), Mussoorie; Upper Yamuna River Board, New Delhi (Ministry of Water Resources); Central Agmark Laboratory, Nagpur (Ministry of Agriculture); Railways Staff College, Vadodara (Ministry of Railways); Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur (Ministry of Defence); Ministry of Environment & Forests, Regional Office, Chandigarh; Office of the Registrar General, (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ludhiana(Ministry of Labour & Employment)

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- 8.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/कार्पोरेशन आदि ने सूचित किया है कि उनके अभिलेखों के वार्षिक सूचकांक तैयार करने का कार्य चल रहा है:

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय), चेन्नई।

- 8.4 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों ने विविध नकारात्मक उत्तर भेजे हैं जैसे "संकलन नहीं कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है, अपेक्षित नहीं है, शून्य":

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, कोलकाता; रसायन एवं औषध मंत्रालय; हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय); नाल्को (खान मंत्रालय), भुवनेश्वर; नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम (पोत परिवहन मंत्रालय); राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय)।

- 8.5 बेतवा नदी बोर्ड, झांसी (जल संसाधन मंत्रालय) ने सूचित किया है कि संयुक्त बोर्ड के अनुमोदन के माध्यम से आगे कार्रवाई की जाएगी।

- 8.6 मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), नई दिल्ली; ट्राइफेड, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, नई दिल्ली (जनजातीय मामले मंत्रालय); केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) ने सूचित किया है कि अभिलेखों का सूचीकरण करना उन पर लागू नहीं होता।

- 8.7 विश्लेषण-अभिलेख सर्जक एजेंसियों को सूचना के पुनरुद्धार के महत्व को समझना चाहिए और नामित अभिलेख अधिकारियों द्वारा सूची तैयार करने के कार्य पर बल दिया जाना चाहिए।

- 8.3 The following Public Sector Undertakings/Committees/Corporations etc. have informed that work on preparation of annual indices of their records is in progress:

Chennai Petroleum Corporation Limited (Ministry of Petroleum and Natural Gas), Chennai

- 8.4 The following Public Sector Undertakings have sent varied negative responses including "Not compiling, not necessary, not required, Nil":

Bengal Chemicals and Pharmaceuticals, Kolkata Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Hindustan Antibiotics Limited, Pune(Department of Pharmaceuticals; Ministry of Chemicals & Pharmaceuticals); NALCO (Ministry of Mines), Bhubaneswar; National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC), Faridabad (Ministry of Power); Dredging Corporation of India Ltd, Visakhapatnam (Ministry of Shipping); National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow (Ministry of Textiles)

- 8.5 Betwa River Board, Jhansi (Ministry of Water Resources) has informed that further action will be taken through the approval of the Joint Board.

- 8.6 Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence), National small Industries Corporation Ltd (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprise, New Delhi; TRIFED, Quality Control, Research & Development Centre, New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); Central Government Health Scheme, Mumbai (Ministry of Health & Family Welfare) have informed that indexing of records is not applicable to them.

- 8.7 **Analysis: Records Creating Agencies should realize the importance of Indices in retrieval of information and due stress should be given by the nominated Record Officers to the work of preparation of Indices.**

The following officers have informed that they have compiled retention schedules:

Ministry of Defence

New Delhi

The following officers have informed that they have not compiled retention schedules and have been asked to do so:

Central Government Health Scheme, Mumbai (Ministry of Health & Family Welfare)

Information provided by the National Central Authority, India: Upper Pradesh River Board, Ministry of

Retention Schedules

अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ड.) के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार स्थायी कार्यों से संबंधित अपना सरकारी कामकाज करते समय प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर ऐसी प्रतिधारण सारणी संबंधी एक ठोस अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सुव्यवस्थित अभिलेख प्रतिधारण सारणी की आवश्यकता होती है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि द्वारा सजित किए जा रहे विभिन्न अभिलेख समूहों के लिए प्रतिधारण अवधि निर्धारित की गई हो। ऐसी प्रतिधारण सारणियों का उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके संकलन किया जाना चाहिए। कुल 36 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने परिपत्र सं० एफ.16-12(क)/2012-आर.एम. दिनांक 14 मई, 2012 के संदर्भ में उत्तर दिया है जिसमें वर्ष 2010 की मौजूदा रिपोर्ट का संकलन करने के संबंध में अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची बनाने की सूचना मॉगी गई थी। इनमें से 22 सरकारी अभिलेख सर्जक एजेंसियां हैं और 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि हैं। प्राप्त उत्तरों का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

9.1 निम्नलिखित कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन कर लिया है:

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली।

9.2 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने अपने अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन नहीं किया है और 'शून्य' रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं:

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

9.3 नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर (कृषि मंत्रालय) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना स्पष्ट नहीं है।

9.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन किया है:

Chapter—9

Compilation of Retention Schedules for Records By Records Creating Agencies

A sound records management system requires a well drawn up records Retention Schedule and laying down of correct retention periods for various records groups created by different Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc. while conducting their official business pertaining to substantive functions, as envisaged under Section 6(1)(e) of the Public Records Act, 1993. Such retention schedules should be compiled in consultation with the National Archives of India under the aforesaid section of the said Act. In all, 36 Records Creating Agencies have furnished information in response to the circular letter No.F. 16-12(A)/2012 RM dated 14 May 2012 on formulation of records retention schedules in connection with compiling the present report for the year 2010. Out of these, 22 are Government Records Creating Agencies and 14 belong to the Public Sector. Details of the replies received are indicated below:-

9.1 The following offices have informed that they have compiled retention schedules:

Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Ministry of Mines, New Delhi; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Ministry of Defence, New Delhi; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry), New Delhi;

9.2 The following Records Creating Agencies have not compiled retention schedules of their records and have furnished 'nil' reports:

Central Government Health Scheme, Mumbai (Ministry of Health & Family Welfare);

9.3 Information provided by the Narmada Control Authority, Indore; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi ; Central Agmark Laboratory, Nagpur (Ministry of Agriculture) is not clear/vague.

9.4 The following Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have reported that they have compiled their Records Retention Schedules:

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय); राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय); नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम (पोज परिवहन मंत्रालय); जनजातीय सहकारी विपणन विकास (जनजातीय मामले मंत्रालय), नई दिल्ली;

- 9.5 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों के संकलन का कार्य प्रारंभ नहीं किया है और अपनी रिपोर्ट 'शून्य' भेजी है:

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, पुणे (रसायन और उर्वरक मंत्रालय); राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय)।

- 9.6 मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय) और रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा (रेल मंत्रालय) ने सूचित किया है कि वे प्रतिधारण अनुसूची के लिए अपनी निजी प्रणाली का पालन कर रहे हैं।

- 9.7 विश्लेषण—यह देखा गया है कि बहुत कम मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अपनी अभिलेख प्रतिधारण सारणियों का संकलन किया है और हमेशा से 'शून्य' रिपोर्टें भेज रहे हैं। चूंकि अभिलेख प्रतिधारण सारणी का संकलन एक अनिवार्य प्रावधान है अतः सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से उनकी अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन से पूर्व भारतीय अभिलेखागार से जांच करने की अपेक्षा की जाती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार उन सभी सर्जक एजेंसियों को सहायता देगा जिन्होंने अभी तक अपनी प्रतिधारण सारणियां तैयार नहीं की हैं या उनमें संशोधन नहीं किया है।

Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum & Natural Gas); National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) Limited, Faridabad (Ministry of Power) ; Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers) ; National small Industries Corporation Ltd (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprise), New Delhi; National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); Tribal Co-Operative Marketing Development (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi;

- 9.5 The following Public Sector Undertakings have informed that they have not yet started work on the compilation of the records retention schedules and have submitted 'nil' reports:

Hindustan Antibiotic Limited, Pune (Ministry of Chemicals &Fertilizers ; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow (Ministry of Textiles)

- 9.6 Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence) and Railway Staff College, Vadodara (Ministry of Railways) has informed that they are following their own system for Retention Schedule.

- 9.7 **Analysis—It has been observed that very few Ministries/Departments/Offices have compiled their records retention schedules and are furnishing 'nil' reports. Since the compilation of record retention schedule for substantive functions is a mandatory provision, all Records Creating Agencies are required to expedite the preparation of their record retention schedules and get it vetted by National Archives of India before its implementation. The National Archives of India would assist all creating agencies who have not prepared or revised their retention schedules so far.**

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(च) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 7 अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों के लिए अपने वर्गीकृत अभिलेखों को पाँच वर्षों में एक बार समीक्षा को अनिवार्य बनाता है ताकि इनकी श्रेणी को घटाया जा सके। इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को दिनांक 05 अप्रैल, 2011 को एक परिपत्र सं० एफ.16-3/2011-आर.एम. जारी किया गया था। सूचना भेजने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची अनुलग्नक-III में देखी जा सकती है। सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 14 मई, 2012 को जारी एक अन्य परिपत्र सं० एफ.16-12क/2012-आर.एम. के उत्तर में केवल 36 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने संगत सूचना भेजी है। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:

10.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अपने वर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकृत किया है:

वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय); प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी;

10.2 रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) ने सूचित किया है कि विवर्गीकरण की कार्रवाई चल रही है।

10.3 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों, जो वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं या जिनके पास वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं, ने अवास्तविक रिपोर्टें भेजी हैं:

खान मंत्रालय; मुद्रण निदेशालय (शहरी विकास मंत्रालय); आईडब्ल्यूएसयू, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय); बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (जल संसाधन मंत्रालय); रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय); मुख्य अभियंता और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स (जहाजरानी मंत्रालय), नई दिल्ली; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली; महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय); केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर; खान मंत्रालय, नई दिल्ली; (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय); पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर; परमाणु ईंधन परिसर (परमाणु ऊर्जा विभाग); केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई; महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय); टैरिफ आयोग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (मध्य), कोच्चि, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय (डीजीक्यूए), वरिष्ठ गुणवत्ता

Chapter—10

Downgrading of Classified Records

Downgrading of classified records is one of the most important aspects of records management. Section 6 (1)(f) of Public Records Act, 1993 and Rule 7 of Public Records Rules, 1997, lays down that all Records Creating Agencies falling within the purview of said Act shall review all these classified files once in five years with a view to downgrading them. A circular letter No. 16-3/2011-RM dated 5 April, 2011 was issued to this effect to all Ministries/ Departments/Offices including Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. A list of Records Creating Agencies (RCAs) who have sent information may please be seen at *Annexure-III*. In response to another circular letter No. 16-12A/2012-RM dated 14 May 2012 issued to all Records Creating Agencies, only 36 Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have supplied relevant information. A detailed analysis of the information received is given below:

10.1 The following Ministries/Departments/Offices have downgraded their classified records:

Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry); Prime Minister's Office, New Delhi ; Directorate General of Supplies and Disposals (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie;

10.2 Railway Board (Ministry of Railways) has conveyed that the work of downgrading is in progress

10.3 The following Ministries/Departments/Offices have provided varying comments like they are not downgrading classified records / do not have classified records or have submitted insubstantial reports:

Ministry of Mines; Directorate of Printing (Ministry of Urban Development); IWSU, Ministry of Water Resources, New Delhi ; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources); Bansagar Control Board, Rewa (Ministry of Water Resources); Railways Board (Ministry of Railways); Office of Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works (Ministry of Shipping), New Delhi; Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi (Ministry of Commerce and Industry); Directorate General, Border Security Forces (Ministry of Home Affairs) ; Central Government Health Scheme, Jabalpur; Ministry of Mines, New Delhi ; Petroleum and Explosives Safety Organisation, Nagpur (under Department of Industrial Policy & Promotion; Ministry of Commerce & Industry); Nuclear Fuel Complex (Department of Atomic Energy); Central Government Health Scheme, Mumbai; Directorate General, Border Security Force (Ministry of Home Affairs); Tariff Commission (Ministry of Commerce and Industry); Office of Regional Labour Commissioner (Central), Kochi, (Ministry of

आश्वासन स्थापना (जीएस), नई दिल्ली; महानिदेशालय का कार्यालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय), इंदौर; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर (कृषि मंत्रालय); नई दिल्ली; रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा (रेल मंत्रालय); वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)।

10.4 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) ने सूचित किया है कि उनके पास कोई वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं जिनका विवर्गीकरण करने की आवश्यकता हो।

10.5 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कार्पोरेशन/सांविधिक निकायों आदि ने विभिन्न नकारात्मक उत्तर भेजे हैं, उदाहरण के लिए "संकलन नहीं कर रहे हैं, आवश्यक नहीं हैं, अपेक्षित नहीं हैं":

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), (जनजातीय मामले मंत्रालय), नई दिल्ली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (रक्षा मंत्रालय) चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई; नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, कोलकाता एमईसीएल (खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड), नागपुर; वैपकोस लिमिटेड; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय) (नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय)।

10.6 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि वे अपने वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण कर रहे हैं:

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड; ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय), विशाखापट्टनम; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय)।

10.7 विश्लेषण—यह देखा गया है कि बहुत कम मंत्रालय/विभाग/अधिकारी अपने वर्गीकृत अभिलेखों का नियमित रूप से विवर्गीकरण कर रहे हैं और इस संबंध में भारतीय अभिलेखागार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिकांश मंत्रालय/विभाग/कार्यालय मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तथा अपने वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि उनके पास कोई वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं या गैर-प्रतिबद्ध उत्तर दिया है।

Labour and Employment); Ministry of Defence (DGQA), Senior Quality Assurance Establishment (GS), New Delhi; Office of Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi; Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources), Indore; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines) Nagpur; Central Agmark Laboratory, Nagpur (Ministry of Agriculture) New Delhi; Railway Staff College, Vadodara (Ministry of Railways); Forest Research Institute, Dehradun (Ministry of Environment & Forest)

10.4 Central Industrial Security Force (Ministry of Home Affairs) has informed that they have no classified records which may require downgrading.

10.5 The following Public Sector Undertakings/Corporations/Statutory Bodies etc. have sent varied negative responses like "Nil, Not compiling, Not necessary, Not required":

Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED), (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad (Ministry of Defence); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) Limited, Faridabad; Bengal Chemicals & Pharmaceuticals, Kolkata; MECL (Mineral Exploration Corporation Limited), Nagpur; WAPCOS Limited; National Small Industries Corporation Limited (Ministry of Commerce & Industry); Hindustan Antibiotics Limited (Department of Pharmaceuticals), Ministry of Chemicals & Fertilizers; National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines)

10.6 The following Public Sector Undertakings have informed that they are downgrading their classified records:

Chennai Petroleum Corporation Limited; Dredging Corporation of India Limited, (Ministry of Shipping), Vishakhapatnam; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow (Ministry of Textiles);

10.7 Analysis—It has been observed that very few Ministries/Departments/ Offices are declassifying their classified records regularly and submitting report in this regard to National Archives of India. Most of the Ministries/ Departments/Offices/ Public Sector Undertakings are not downgrading their classified records. Many of the Ministries/Departments have informed that no classified records are lying with them or have given non-committal responses.

निष्क्रिय आयोग/समितियाँ

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) के साथ पठित धारा 3(2)(ठ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों के अंतरण से संबंधित सूचना एकत्र करने के प्रयास जारी रखे ताकि उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षित रखा जा सके और शोधकर्ताओं के परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे निष्क्रिय निकायों के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें निहित सूचना उन परिस्थितियों को समझने, जिनमें उनका गठन किया गया, और उनके द्वारा किए गए कार्य को जानने के लिए स्रोत सामग्री का काम करती है। इस संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 05 अप्रैल, 2011 का एक परिपत्र सं० 16-5/2011-आर.एम. जारी किया था। कुल 36 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि ने सूचना भेजी है। इनमें से 22 सरकारी अभिलेख सर्जक एजेंसियां हैं और 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।

11.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय निकायों के कोई अभिलेख नहीं हैं:

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली खान मंत्रालय, नई दिल्ली भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, नई दिल्ली जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ोदरा (रेल मंत्रालय) य औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) नई दिल्ली नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नई दिल्ली केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई।

11.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि ने 'उन पर लागू नहीं होता' या 'शून्य' रिपोर्टें भेजी हैं:

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); जनजातीय सहकारी विपणन विकास (जनजातीय मामले मंत्रालय), नई दिल्ली हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (रसायन और उर्वरक मंत्रालय); मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली नेशनल एल्युमिनियम कंपनी इण्डिया लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम (पोत परिवहन मंत्रालय); राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय)।

Chapter—11

Defunct Commissions/Committees

In pursuance of Section 3(2) (n) read with Section 6(1) (I) of Public Records Act, 1993, National Archives of India continued its efforts to gather information in respect of transferring of records of defunct bodies with a view to preserve them in a scientific manner and to make them available for consultation by the researchers. It is needless to mention here that the records of such defunct bodies are very important as information contained therein serves as valuable source material for understanding the circumstances under which these were set up and the work accomplished by them. To collect information in this regard, National Archives of India issued circular letter No. 16-5/2011-RM dated 5 April, 2011, to all Records Creating Agencies. In all, 36 Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc. have furnished information. Out of these, 22 are Government Records Creating Agencies and 14 are Public Sector Undertakings. Detailed analysis of information received is indicated below.

11.1 The following Ministries/Departments/Offices etc. have intimated that they do not have any records of defunct bodies:

Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Mines, New Delhi; Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Railway Staff College, Vadodara (Ministry of Railways); Department of Industrial Policy & Promotion, (Ministry of Commerce And Industry), New Delhi; Narmada Control Authority, Indore; Prime Minister's Office, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi; Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), New Delhi; Central Government Health Scheme, Mumbai

11.2 The following Public Sector Undertakings/Corporations/Statutory Bodies etc. have submitted 'Not applicable to them' or 'nil' reports:

National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) Limited, Faridabad (Ministry of Power); Tribal Co-Operative Marketing Development (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; Hindustan Antibiotics, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Ministry of Chemicals & Fertilizers); Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence), National Small Industries Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum & Natural Gas); Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); National Handloom Development Corporation Limited (Ministry of Textiles)

- 11.3 **विश्लेषण**—संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में कार्य कर रहे विभागीय अभिलेख अधिकारियों में निष्क्रिय आयोगों/समितियों के अभिलेखों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के प्रति अभिलेख सर्जक एजेंसियों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। इसे संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में राष्ट्रीय अभिलेखागार या कार्यशालाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में उनकी भागीदारी के जरिए प्राप्त करने की संभावना है।

अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना एक सांविधिक आवश्यकता है। यदि इसे कार्यान्वित किया जाए तो इससे नए अभिलेखों को वैज्ञानिक ढंग से रखने के लिए अतिरिक्त भोत्व जगह उपलब्ध होगी तथा स्थायी प्रकृति के अभिलेखों का अंतरण करने की सुविधा भी होगी। उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 14 मई, 2012 का परिपत्र सं० 16-12क/2012-आर.एम. जारी किया गया था ताकि इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया जा सके। उपर्युक्त परिपत्र के उत्तर में 36 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना दे दी है। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:

12.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन कर रहे हैं:

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, नई दिल्ली (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)।

12.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि ने सूचित किया है कि उन्होंने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं किया है: ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय) नई दिल्ली नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नई दिल्ली (खान मंत्रालय) नई दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरीय केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (कृषि मंत्रालय), नई दिल्ली रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा (रेल मंत्रालय); केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)।

12.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कॉर्पोरेशनों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि वे अपने अभिलेखों का मूल्यांकन करा रहे हैं:

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) लिमिटेड, फरीदाबाद।

Chapter—12

Action Initiated By Records Creating Agencies on Appraisal of Non-current Records

Appraisal of non-current records of the Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings is a statutory requirement under Section 6(1)(c) of the Public Records Act, 1993. If implemented this provides additional shelf space for the scientific storage of fresh records and also facilitates the transfer of records of permanent nature. Keeping in view the above said provision, a circular letter No. 16-12A/2012-RM dated 14 May 2012 was issued to all Records Creating Agencies so as to ascertain the extent of action initiated by them in this regard. In response to the aforementioned circular, 36 Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings have furnished information. Detailed analysis of information received is indicated below:

- 12.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they are conducting appraisal of non-current records in consultation with National Archives of India: Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Prime Minister's Office, New Delhi; Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry);
- 12.2 The following Ministries/Departments/Offices etc. have intimated that they have not conducted appraisal of non-current records: Upper Yamuna River Board, New Delhi (Ministry of Water Resources); Narmada Control Authority, Indore; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines) , New Delhi; (Ministry of Mines) New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussorie; Central Agmark Laboratory (Ministry of Agriculture), New Delhi; Railway Staff College, Vadodara (Ministry of Railways); Central Government Health Scheme, Mumbai (Ministry of Health & Family Welfare)
- 12.3 The following Public Sector Undertakings/ Corporations/ Statutory Bodies, etc. have informed that they are getting their records appraised:
- Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited , Kolkata; National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) Limited, Faridabad

राष्ट्रीय अभिलेखागार

12.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कॉर्पोरेशनों/सांविधिक निकायों आदि ने अपने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं कराया है:

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई; हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय)(मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर; ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम (पोत परिवहन मंत्रालय)(जनजातीय सहकारी विपणन विकास (जनजातीय मामले मंत्रालय), नई दिल्ली राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (वस्त्र मंत्रालय)।

12.5 विश्लेषण—प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन न करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की संख्या राष्ट्रीय अभिलेखागार सहित कार्य करने वाली एजेंसियों की तुलना में अधिक है। संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाओं के भाग के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने “विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अप्रचलित सार्वजनिक अभिलेखों के निरीक्षण और स्थानांतरण” परियोजना के अंतर्गत मामले में अपनी ओर से कार्रवाई प्रारम्भ की है। इस परियोजना के माध्यम से एक नियमित मूल्यांकन; फाइलों की अंतरण सूची तैयार करने, इस विभाग अर्थात् एआईएमएस के कस्टोमाइज्ड सॉफ्टवेयर में अप्रचलित फाइलों की डॉटा एंट्री तथा उन्हें स्थायी वैज्ञानिक परिरक्षण को अंतरित करने की कार्रवाई को ऑउट सोर्सिंग के जरिए प्रशिक्षित अभिलेख सहायकों द्वारा किया जाता है। हालांकि इस मामले में संबंधित सर्जक एजेंसियों द्वारा भी गंभीर उपाय/कार्रवाई किए जाने अपेक्षित हैं।

12.4 The following Public Sector Undertakings/ Corporations/Statutory Bodies etc. have not appraised the non-current records:

Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai Hindustan Antibiotics Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Mazagon Dock Limited, Mumbai; National Small Industries Corporation Limited (Ministry of Commerce & Industry), New Delhi; National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar; Dredging Corporation of India Ltd, Visakhapatnam (Ministry of Shipping); Tribal Co-Operative Marketing Development (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; National Handloom Development Corporation(Ministry of Textiles)

12.5 Analysis—As per the information received, the number of Records Creating Agencies not getting their non- current records appraised exceeds those getting the work undertaken along with the National Archives of India. As part of the Critical Area Projects initiated with the approval of the Ministry of Culture National Archives of India has continued the action started last year under the project “Survey, inspection and transfer of non-current public records of various Ministries/ Departments”. Through this project, regular appraisal, preparation of transfer lists of files, data entry of non-current files in the customized software of this department i.e. AIMS and their transfer to National Archives of India for permanent scientific preservation is done by trained Archival Assistants engaged through out-sourcing. However, serious steps/ action is also required from the concerned Records Creating Agencies in the matter.

अभिलेख सर्जक एजेंसियों का संगठनात्मक इतिहास

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) में यह निर्धारित किया गया है कि अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपने संगठनात्मक इतिहास को संकलित करना चाहिए क्योंकि यह वर्षों से सृजित अभिलेखों का स्वरूप समझने के लिए आवश्यक साधन है। इस लेख में उसकी स्थापना, कार्य, विभिन्न स्कंधों, प्रभागों, इत्यादि के विकास के बारे में सूचना होनी चाहिए। इसके अनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि को दिनांक 05 अप्रैल 2011 के परिपत्र सं० 16-2/2011 आर.एम. जारी करते हुए उनसे अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन करने के लिए उनके द्वारा 2010 में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया था। 36 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि से प्राप्त उत्तरों को नीचे संक्षेप में दिया गया है:-

13.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उन्होंने संगठनों के इतिहास का संकलन किया है और उनकी प्रतियां प्रस्तुत की हैं:

जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली खान मंत्रालय, नई दिल्ली पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली भारत तिब्बत सीमा पुलिस (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), नई दिल्ली (गृह मंत्रालय) य भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुरय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय); केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली नक्सल प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली (गृह मंत्रालय) महानिदेशालय असम राइफल, शिलांगय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली समन्वय निदेशालय, पुलिस वायरलेस, (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली एलएनजेएन राष्ट्रीय अपराध संस्थान और फॉरेंसिक विज्ञान (गृह मंत्रालय), दिल्ली केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल, संचालन निदेशालय, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौरय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरीय आईडब्ल्यूएसयू, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय)।

Chapter—13

Organisational History of Records Creating Agencies

Section 6 (1)(i) of the Public Records Act, 1993 stipulates that each Records Creating Agency shall compile its organisational history, as it is an essential tool for having proper appreciation of the nature of records generated by it over the years. This write up should include the information about its setting up, functions, growth of different wings, divisions etc. In accordance with this, National Archives of India issued a circular letter No. 16-2/2011-RM dated 5 April, 2011 to all Ministries/ Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc. requesting them to furnish the information with regard to the action taken by them during the year 2010 for compiling their organisational histories. Response/s received from 36 Ministries/Departments/ Offices and public sector undertakings etc. is summarized below:-

13.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they have compiled organisational history and submitted copies of the same:

Ministry of Water Resources, New Delhi; Ministry of Mines, New Delhi; Bureau of Police Research & Development (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Indo Tibetan Border Police, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Directorate General Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affairs); Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Department of Personnel & Training (Record Room), New Delhi (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions); Central Industrial Security Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Central Translation Bureau (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Naxal Management Division, Ministry of Home Affairs, New Delhi; Directorate of Forensic Science Services (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Bureau of Police Research & Development (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Directorate General Assam Rifles (Ministry of Home Affairs), Shillong; National Investigation Agency (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Directorate of Coordination, Police Wireless, New Delhi (Ministry of Home Affairs); LNJNI National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs), Delhi; Central Forensic Science Laboratory Central Bureau of Investigation, New Delhi; Directorate General Border Security Force, Operations Directorate, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Narmada Control Authority, Indore; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; IWSU, Ministry of Water Resources, New Delhi; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi; Inter State Council Secretariat, New Delhi (Ministry of Home Affairs)

13.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की है:

प्रधानमंत्री कार्यालयय रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा (रेल मंत्रालय); केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)।

13.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्रों/सांविधिक निकायों/समितियों/कॉर्पोरेशनों/आयुक्तों ने अपने संगठनात्मक इतिहास पर सूचना उपलब्ध कराई है:

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); मैजागन डॉक लिमिटेड, मुंबई (रक्षा मंत्रालय); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, पुणे (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय); राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय), नई दिल्ली ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम (पोत परिवहन मंत्रालय); भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, कलपक्कम, कांचीपुरम (परमाणु ऊर्जा विभाग); ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (विद्युत मंत्रालय); पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (विद्युत मंत्रालय); स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)।

13.4 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों ने 'शून्य' सूचना दी है:

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नईय राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय); भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), (जनजातीय मामले मंत्रालय), नई दिल्ली।

13.5 विश्लेषण-लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(i) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रतिवर्ष उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन के संबंध में एक परिपत्र जारी करता है। हालांकि कुछ अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने अभी तक अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन नहीं किया है। संबंधित अभिलेख एजेंसियों को अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन करने/उसे तैयार करने/अद्यतन बनाने के लिए गंभीर उपाय किए जाने अपेक्षित हैं और उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रस्तुत करना चाहिए।

13.2 The following Ministries/ Departments/ Offices have submitted 'Nil' report:

Prime Minister's Office; Ministry of Defence, New Delhi; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry), New Delhi; Railway Staff College, Vadodara (Ministry of Railways); Central Government Health Scheme, Mumbai (Ministry of Health & Family Welfare);

13.3 The following public sector undertakings/ statutory bodies/ committees/ corporations/ commissioners have provided information on their organizational history:

National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC), Faridabad (Ministry of Power); Mazagon Dock Limited, Mumbai (Ministry of Defence); Hindustan Antibiotic Limited, Pune (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers); National small Industries Corporation Ltd (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprise), New Delhi; Dredging Corporation of India Limited, Vishakhapatnam (Ministry of Shipping); Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited, Kalpakkam, Kancheepuram (Department of Atomic Energy); Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Power); Power Finance Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Power); The State Trading Corporation of India Limited, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry)

13.4 The following Public Sector Undertakings have conveyed 'Nil' information: National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar (Ministry of Mines); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow (Ministry of Textiles); Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED), (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi

13.5 Analysis—As part of information being gathered on the implementation of section 6(1)(i) of the Public Records Act, 1993, National Archives of India issues a circular letter every year to all the Central Government Ministries/Departments and Public Sector Undertakings in respect of compilation of their organisational histories. Many organizations under Ministry of Home Affairs have submitted their organizational history. While information has been provided by some of the Records Creating Agencies, a large number of the Records Creating Agencies have not compiled their organisational histories so far. Concerned record creating agencies need to understand the importance of compiling/preparing/updating their organisational histories and submit the same to the National Archives of India.

“क” श्रेणी अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग

अभिलेख सर्जक एजेंसियों की अभिरक्षा में रखे ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग के कार्य में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों को दिनांक 14 मई, 2012 का परिपत्र सं० एफ. 16-6/2012-आर.एम. जारी किया था जिसमें उनसे यह मामला उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया गया था ताकि वे इस विभाग को अपेक्षित सूचना भेज सकें। अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा भेजा गया ब्यौरा निम्नानुसार है:

14.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि अभिलेखों की ऐसी कोई श्रेणी उपलब्ध नहीं हैं और सूचना को ‘शून्य’ समझा जाए:

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरीय नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरीय बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा (जल संसाधन मंत्रालय); औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), नई दिल्ली।

14.2 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि अभिलेखों की ऐसी कोई श्रेणी उपलब्ध नहीं हैं और सूचना को ‘शून्य’ समझा जाए:

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वरय वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय); भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), नई दिल्ली (जनजातीय कल्याण मंत्रालय)।

14.3 ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पोत परिवहन मंत्रालय) ने सूचित किया है कि उन्हें किसी अभिलेख की माइक्रोफिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं है।

14.4 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि वह न तो कोई सांविधिक निकाय है और न ही कोई कॉर्पोरेशन है जो लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के क्षेत्राधिकार में आता हो और जिसे अभिलेख सर्जक एजेंसी के रूप में माना जाए।

14.5 केन्द्रीय पल्प और पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), बेस कार्यालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि “क” श्रेणी के अभिलेख के रूप में दस फाइलों की पहचान की गई है जिसके लिए 2011 वर्ष को शामिल किया गया है। इसके अलावा, इन्हें विभागीय अभिलेख कक्ष में रखा गया है और उनकी वर्तमान वास्तविक स्थिति अच्छी सूचित की गई है।

Chapter—14

Microfilming of 'A' Category Records

To accelerate the work of microfilming of 'A' category records lying in the custody of Records Creating Agencies, The National Archives of India issued a circular letter No. F.16-6/2012-RM dated 14 May 2012 to all Ministries/Departments/Offices of the Government of India with the request to bring the matter to the knowledge of their attached/ subordinate offices and Public Sector Undertakings which are functioning under their control as this would enable them to furnish the requisite information to this Department. Details provided by the record creating agencies are as under:

- 14.1 The following Ministries/Departments have informed that no such category of records are available and the information may be treated as 'nil':

Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry), New Delhi; Ministry of Commerce & Industry, New Delhi; Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, New Delhi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Bansagar Control Board, Rewa (Ministry of Water Resources); Department of Industrial Policy and Promotion (Ministry of Commerce and Industry); Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi

- 14.2 The following Public Sector Undertakings have informed that no such category of records are available and the information may be treated as 'nil':

National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar; WAPCOS Limited, New Delhi (Ministry of Water Resources); Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED), New Delhi (Ministry of Tribal Welfare);

- 14.3 Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping) has informed that they do not need microfilming of any record.

- 14.4 Engineers India Limited has stated that it is neither a statutory body nor a corporation so as to come within the purview of Public Record Act, 1993 and to be treated as Records Creating Agency.

- 14.5 Central Pulp & Paper Research Institute, Saharanpur (Ministry of Commerce & Industry), Base Office, New Delhi has informed that ten files have been identified as "A" category record for which the inclusive year is 2011. Also that they are kept in the departmental records room and their present physical condition is reported as good.

14.6 विश्लेषण—यह देखा गया है कि केवल कुछ मंत्रालयों/विभागों ने 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाने के संबंध में आवश्यक प्रारंभिक पहल और रचनात्मक उपाय किए हैं। अधिकांश सर्जक एजेंसियों ने सूचित किया है कि उनके पास इस श्रेणी के अभिलेख नहीं हैं और सूचना को 'शून्य' समझा जाए।

14.6 Analysis—It has been observed that very few Ministries/Departments have taken the necessary initiative and constructive steps in respect of microfilming of 'A' category records. Most of the creating agencies have informed that no such category of records is available with them and the information may be treated as 'nil'.

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के विस्तारित नियम 5 के अनुसार अभिलेखागार महानिदेशक को मूल्यांकन करने और स्थायी प्रकृति के जमा किए गए अभिलेख और अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे हुए हैं, को स्वीकार करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसी प्रकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत विभागीय अभिलेख अधिकारियों को लोक अभिलेखों, जो पच्चीस वर्ष से अधिक पुराने हैं, का बनाया गया है। उन्हें इन अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है ताकि वे स्थायी महत्व के अभिलेखों की पहचान कर सकें और उन्हें वैज्ञानिक परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित कर सकें।

- 15.1 इस विभाग ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव की अनुमोदित कार्य-योजना को भी अग्रेषित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों, आदि के स्वतंत्रता-पूर्व अवधि के अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन और स्थानांतरण शामिल हैं।
- 15.2 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 2,48,108 अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया है। इनमें से 2,76,597 फाइलों को स्थायी तौर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखने के लिए स्थानांतरित किया था। इन आंकड़ों में कुछ ऐसी फाइलें हैं जिनका पूर्व के वर्षों में मूल्यांकन किया गया था। यह कार्य "विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अप्रचलित लोक अभिलेखों के सर्वेक्षण, निरीक्षण और स्थानांतरण की परियोजना के अंतर्गत इस विभाग के पुरालेखपालों और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण" के अंतर्गत 27 पुरालेखपाल सहायकों द्वारा किया गया है।
- 15.3 अभिलेख सर्जक एजेंसियां जिनके अभिलेखों का इस विभाग के पुरालेखपालों और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत पुरालेखपाल सहायकों द्वारा मूल्यांकन किया गया था, निम्न प्रकार हैं:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निर्माण भवन, नई दिल्ली (1949-1986); औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली (1973-1986) विभागीय अभिलेख कक्ष (संरक्षण अनुभाग), एनएआई (1942-1946); अभिलेख-द गढ़वाल राइफल्स, रक्षा मंत्रालय, लैंसडाउन (1928-1948); नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, चम्बा, हिमाचल प्रदेश गृह मंत्रालय, पुनर्वास प्रभाग, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली (1947-1958); स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली (1972-2005); विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली (1949-1982); औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन (1973-1986); भूमि और विकास कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली (1911-1985); भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली (1911-1968); भारतीय निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली (1946-1984); सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (1948-1986); कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

Chapter—15

Appraisal of Non-current Records

Under Section 3(2) of the Public Records Act, 1993 and Rule 5 of the Public Records Rules, 1997, The Director General of Archives has been authorized to undertake the appraisal and also accept for deposit records of permanent nature. Similarly, under section 6 (1)(c) of the Public Records Act, 1993 Departmental Record Officers have been made responsible for appraisal of public records which are more than twenty-five years old in consultation with National Archives of India with a view to identify records of permanent value for subsequent transfer to National Archives of India for scientific preservation.

- 15.1 This Department has also carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on certain critical area projects concerning National Archives of India which includes, *inter-alia*, appraisal and transfer of non-current records of the Post-Independence period of Ministries/Departments etc.
- 15.2 During the period, National Archives of India appraised 2,48,108 non-current public records and 2,76,597 files were transferred to the National Archives of India for permanent retention. The figures include some files that were appraised in the preceding years. This work has been done by 27 Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department under the project "Survey, Inspection and Transfer of Non-Current Public Records of Various Ministries/Departments".
- 15.3 The Records Creating Agencies whose records were appraised by the Archival Assistants under the supervision of the Archivists and Senior Officers of this Department are:

Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi (1949-1986); Department of Industrial Policy & Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi (1973-1986) Departmental Record Room (Preservation Section), NAI (1942-1946); Records- The Garhwal Rifles, Ministry of Defence, Lansdowne (1928-1948); National Hydroelectric Power Corporation Limited, Chamba, HP. Ministry of Home Affairs, Rehabilitation Division, Jaisalmer House, New Delhi (1947-1958); Freedom Fighters Division (MHA), Lok Nayak Bhavan, New Delhi (1972-2005); Ministry of External Affairs, New Delhi (1949-1982); Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhavan (1973-1986); Land and Development Office, Nirman Bhavan, New Delhi (1911-1985); Office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi (1911-1968); Election Commission of India, New Delhi (1946-1984); Ministry of Information and Broadcasting, Shastri Bhavan, New Delhi (1948-1986); Department of Personnel

(1941-1986); भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) मुख्यालय, जनपथ, नई दिल्ली (1907-1972); श्रम और रोजगार मंत्रालय (डीजीईएंडटी), श्रम-शक्ति भवन (1972-1986)।

15.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली ने वर्ष 2011 के दौरान निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों की 1,11,412 फाइलों का मूल्यांकन किया:

गृह मंत्रालय, विविध अनुभाग, नॉर्थ ब्लॉक (1974-1985); खान मंत्रालय, अभिलेख प्रकोष्ठ, सीजीओ कॉम्प्लेक्स (1948-1989); भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली (1955-1981); उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (1949-1975); भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, रेलवे लेखा-परीक्षा, राजस्व लेखा-परीक्षा (1961-1980); श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन (1948-1987); योजना आयोग, योजना भवन (1969-1985); विदेश मंत्रालय, ऐतिहासिक प्रभाग (आर एंड आई अनुभाग) (1959-1981); गृह मंत्रालय, भारतीय नागरिकता धारा (आईसी) (1969-1984); गृह मंत्रालय, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग-डब्ल्यूजेड (1973); भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (1903-1978); ग्रेनेडियर्स रिकॉर्ड्स, जबलपुर का कारपोरेट कार्य मंत्रालय, एकाधिकार एवं प्रतिबंधित तथा प्रतिबंधित व्यापारिक शाखा आयोग (एमआरटीपी आयोग), नई दिल्ली (1973-1985); रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली (1936-1985); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली (1961-1983); सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ए विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

15.5 भारतीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने वर्ष 2011 के लिए अभिलेखों का मूल्यांकन 'शून्य' दर्शाया है।

15.6 अभिलेख केन्द्र, जयपुर ने नमक आयुक्त, जयपुर के कार्यालय के अभिलेखों के मूल्यांकन की सूचना दी है। वर्ष 1955-85 तक की 625 फाइलों का मूल्यांकन किया गया जिसमें से 4809 की स्थायी रूप से रखने तथा 145 को नष्ट करने की सिफारिश की गई थी।

15.7 विश्लेषण-सभी सर्जक एजेंसियों के भाग के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर 25 वर्ष से अधिक पुराने मूल्यांकन न किए गए बल्कि अप्रचलित सार्वजनिक अभिलेखों के संबंध में कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय अभिलेखागार समय पर मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकें तथा तत्पश्चात् उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थायी प्रकृति के अभिलेखों को स्थानांतरित किया जा सके।

and Training, North Block, New Delhi (1941-1986); Archaeological Survey of India, (ASI) HQs, Janpath New Delhi (1907-1972); Ministry of Labour and Employment (DGE&T), Shram-Shakti Bhavan (1972-1986)

15.4 National Archives of India, New Delhi appraised 1,11,412 files of the following Ministries/ Departments during 2011:

Ministry Home Affairs, Miscellaneous Sections, North Block (1974-1985); Ministry of Mines, Records Cell, CGO Complex (1948-1989); Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprise, Udyog Bhavan, New Delhi (1955-1981); Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Shastri Bhavan New Delhi (1949-1975); Office of Comptroller and Auditor General of India Railway Audit, Revenue Audit (1961-1980); Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhavan (1948-1987); Planning Commission, Yojana Bhavan (1969-1985); Ministry of External Affairs, Historical Division (R&I Section) (1959-1981); Ministry of Home Affairs, Indian Citizenship Section (I.C.) (1969-1984); Ministry of Home Affairs, Freedom Fighter Division-WZ (1973); Archaeological Survey of India (1903- 1978); The Grenadiers Records, Jabalpur; Ministry of Corporate Affairs, Monopolies and Restrictive and Restrictive Trade Branches Commission (MRTP Commission), New Delhi (1973-1985); Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi (1936-1985); Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhavan New Delhi (1961-1983); Ministry of Information and Broadcasting, A Wing, Shastri Bhavan New Delhi;

15.5 The National Archives of India, Regional Office, Bhopal mentioned the appraisal of records as during 'Nil' for the year 2011.

15.6 Record Centre, Jaipur reported on the appraisal of records of the office of the Salt Commissioner Jaipur. 625 files of 1955-85 were appraised of which 480 were recommended for permanent retention and 145 for destruction.

15.7 Analysis—Action is required on the part of all creating agencies to inform National Archives of India regarding the bulk of their records which are more than 25 years on top priority basis, so as to enable National Archives of India to take necessary steps for their timely appraisal and subsequent transfer of such type of records of enduring value to the National Archives of India.

संदर्भ माध्यम तैयार करना

संदर्भ माध्यम एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक साधन है, जिसे प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी द्वारा तैयार कराए जाने की जरूरत होती है। तदनुसार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ड.) में निर्धारित अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वस्तु-सूची, संसूची, तालिका के रूप में अपनी अभिरक्षा में रखे अभिलेखों का उपयुक्त संदर्भ माध्यम तैयार करने के प्रयास जारी रखे ताकि अनुसंधान कर्ताओं और प्रशासकों के लिए तत्काल सूचना प्राप्त की जा सके।

16.1 इस विभाग ने लोक-अभिलेखों के संदर्भ मीडिया तैयार करने संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्र की परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव को अनुमोदित कार्य-योजना भी अग्रेषित की है। इस कार्य को इस विभाग के पुरालेखपाल और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में पुरालेखपाल सहायकों द्वारा किया गया है।

16.2 'अर्जित दस्तावेजों की व्याख्यात्मक सूची, खण्ड VI (1831-50)' नामक एक संदर्भ मीडिया तैयार करके प्रकाशित कर दिया गया है। 'फारसी पत्राचार की व्याख्यात्मक सूची' खण्ड ट (1805) नामक एक अन्य संदर्भ मीडिया जल्दी ही प्रकाशित किया जाएगा।

16.3 संदर्भ मीडिया तैयार करना और उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि करना:

निजी अभिलेखों की अभिरक्षा में निम्नलिखित अधिकांश संग्रहों का संदर्भ मीडिया मैनुअली तैयार किया गया था और तत्पश्चात उनकी ऑनलाइन आंकड़ा प्रविष्टि पूरी की गई थी :

1. इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की बैठक के कार्यवृत्त (माइक्रोफिल्म में)

179-मैनुअली और 284-ऑनलाइन

2. जितेन्द्र प्रसाद से संबंधित पेपर :-

217-मैनुअली और 459-ऑनलाइन

3. सोमनाथ चटर्जी से संबंधित पेपर :-

4094-मैनुअली और 4134 - ऑनलाइन

4. फूल चंद जैन से संबंधित पेपर :-

350 - मैनुअली

Chapter—16

Preparation of Reference Media

Reference Media is an important administrative tool, which needs to be prepared by each and every organisation. Accordingly, National Archives of India, as stipulated under section 3(2) (e) of the Public Records Act, 1993 continued its efforts to prepare suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogues of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

16.1 This Department has also carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on critical area projects on preparation of Reference Media of Public Records etc. This work has been done by the Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department.

16.2 One Reference Media entitled 'Descriptive List of Acquired Documents, Vol. VI (1831-50)' has been prepared and published. Another Reference Media entitled 'Descriptive List of Persian Correspondence' Vol. V (1805) is to be published soon.

16.3 Preparation of reference media and their online entry:

Reference media of most of the following collections in the custody of the Private Archives was prepared manually and then online data entry of them were completed:

1. Minutes of Meeting of the British Committee of the Indian National Congress (in microfilm):-

179-Manually and 284-Online

2. Jitendra Prasada Papers:-

217- Manually and 459-Online

3. Somnath Chatterjee Paper:-

4094-Manually and 4134-Online

4. Phool Chand Jain Papers:-

350-Manually

राष्ट्रीय अभिलेखागार

5. सरदार वल्लभ पटेल पेपर (माइक्रोफिल्म में) :-

3060-मैनुअली और 3430-ऑनलाइन

16.4 1. कार्टोग्राफिक अनुभाग ने महासर्वेक्षक का कार्यालय (एस.जी.ओ.) के 12,000 कार्टन बॉक्स में रखे अभिलेखों पर नम्बर लगाए, उनकी जांच की और उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखा।

2. 3600 मुद्रित तथा प्रकाशित मानचित्रों के पन्नों की जांच करके उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखा।

16.5 विश्लेषण-सभी सर्जक एजेंसियों द्वारा उनके विभागीय अभिलेख कक्ष में उनके पास उपलब्ध सभी अभिलेखों के संदर्भ मीडिया अर्थात् विषय-सूची, अंतरण सूची, मांग-पत्र आदि तैयार करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की जरूरत है। भोपाल स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार के क्षेत्रीय कार्यालय तथा पुडुचेरी और भुवनेश्वर में भोपाल और एनएआई अभिलेख केन्द्रों को शोधकर्ताओं और प्रशासकों द्वारा सूचना को शीघ्र प्राप्त करने के लिए अपने अभिरक्षण में अभिलेखों की मांग-सूची, सूचीकरण, सूची-पत्र के रूप में उपयुक्त संदर्भ मीडिया तैयार करने के लिए आवश्यक उपाय करने का भी निर्देश दिया जा सकता है।

5. Sardar Vallabhbhai Patel Papers (in microfilm):-

3060-Manually and 3430-Online

16.4 1. Cartographic Section docketed, checked, arranged and kept in the carton boxes of 12000 Surveyor General's Office (S.G.O) records

2. Checked, arranged and kept in the folios of 3600 printed and published map

16.5 Analysis—Action is required on the part of all creating agencies to take necessary steps for preparation of reference media i.e. subject lists, transfer lists, catalogues, etc. of all the records available with them in their departmental records room on priority basis. Regional Office of National Archives located at Bhopal and National Archives of India's Records Centres at Puducherry and Bhubaneswar also need to take necessary steps for preparation of suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogues of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ख) के अनुसार महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को अधिनियम की परिधि में आने वाले समस्त अभिलेख सर्जक एजेंसियों से स्थायी प्रकृति के लोक अभिलेखों को स्वीकार करने का अधिकार है। इसी, प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 11(1) में भी ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी अभिलेख की किसी निजी स्रोत से उपहार, खरीद या अन्य ढंग से स्वीकार्य करने का भी प्रावधान है। उपर्युक्त उपबंधों के अनुपालन में, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान लोक अभिलेख श्रृंखला और समस्त निजी कागजात अधिग्रहित किए हैं:-

- 17.1 अभिलेख केन्द्र, जयपुर ने नमक आयुक्त, जयपुर की 480 फाइलों/खण्डों (1955-1985) तथा क्राउन प्रतिनिधि कार्यालय, राजकोट, गुजरात की 5090 फाइलों/खण्डों/फेहरिस्त (1803-1948) की गहन जांच करने के बाद उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखा।
- 17.2 राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल ने वर्ष 2011 के दौरान सार्वजनिक और निजी अभिलेखों के लिए 'शून्य' अधिग्रहण रिपोर्ट दी है।
- 17.3 अभिविन्यास अभिलेख, प्रभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि 588 दस्तावेज, चार पाण्डुलिपियां तथा 34 दुर्लभ मुद्रित पुस्तकों का अधिग्रहण किया गया है।

17.4 निजी कागजातों का अधिग्रहण

लोक अभिलेखों के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध भारतीयों के निजी कागजात तथा विदेशों से भारतीय रुचि वाले कागजातों का अधिग्रहण करना जारी रखा। राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली के निजी कागज संग्रह को निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों के कागजात प्राप्त कर समृद्ध किया गया :-

- (i) बाबू रामेश्वर प्रसाद सिंह पेपर (1927-1997) इसमें 1927-1997 के दौरान 50 पत्र/पत्रव्यवहार तथा समय हिंदी साप्ताहिकी समाचार-पत्र के 63 अंक शामिल थे।
- (ii) श्री फिरोज़ बख्त अहमद पेपर (1954-1956) - मौलाना अबुल कलाम आजाद के चार फोल्डर जिनमें 39 पत्र/पत्रव्यवहार शामिल थे।
- (iii) विमला देवी रामा पेपर्स - इसमें 14 पत्र/पत्रव्यवहार, चार फोल्डर कविताएं, पुष्पांजलि नामक एक पुस्तक तथा बिमला देवी के साथ डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का एक फोटोचित्र शामिल है।

Chapter—17

Acquisitions/ Accessions

As per Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993, the Director General, National Archives of India is empowered to accept public records of permanent nature from all the Records Creating Agencies falling within the purview of said Act. Likewise, Section 11(1) of the said Act also stipulates about the acceptance of any records of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise. Keeping in view the above said provisions, the National Archives of India acquired the following series of public records as well as private papers during the period under report.

- 17.1 Record Centre, Jaipur accessioned 480 File/Vol.(1955-1985) of Salt commissioner Jaipur & 5090 Files/Vols/ Ferrisht (1803-1948) of Crown Representative office, Rajkot Gujarat after thorough checking which were properly arranged well.
- 17.2 The National Archives of India, Regional Centre, Bhopal has given 'nil' accession Report for public and private records during 2011.
- 17.3 Oriental Records Division, National Archives of India, New Delhi has reported that 588 Documents, Four manuscripts and 34 rare printed books have been accessioned.

17.4 Acquisition of Private Papers:

Besides public records, National Archives of India continued to acquire private papers of eminent Indians in various fields as well as of Indian interest from abroad. The private papers collection of National Archives of India, New Delhi was enriched with the accession of papers of the following eminent personalities:-

- (i) Babu Rameshwar Prasad Singh Papers (1927-1997) – Containing 50 letters/ correspondents and 63 issues of Samay weekly Hindi Newspaper during 1927-1997.
- (ii) Shri Firoz Bakht Ahmad Papers (1954-1956)- Containing 39 letters/ correspondents, four folders of Maulana Abul Kalam Azad.
- (iii) Bimla Devi Rama Papers – Containing 14 letters/ correspondents, four folders of poems, a book entitled Pushpanjali and a photograph of Dr. Rajendra Prasad with Bimla Devi.

17.5 विदेशों से माइक्रोफिल्म अर्जित करना :

राष्ट्रीय अभिलेखागार, ब्रिटेन से टी-49, कैब 37 और एफओ 705 सीरीज के 16 माइक्रोफिल्म रोल प्राप्त हुए हैं।

- 17.6 विश्लेषण: राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा उपहार या अन्यथा खरीद द्वारा किसी निजी स्रोत से राष्ट्रीय या ऐतिहासिक महत्व के किसी अभिलेख को प्राप्त करने के लिए देश के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रति वर्ष विज्ञापन प्रकाशित किया जाए और इन अभिलेखों का अधिग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार को अवाप्ति रजिस्ट्रों में इसकी उपयुक्त प्रविष्टियां करनी चाहिए तथा संबंधित लोगों को पावती भी जारी की जानी चाहिए।

अल्प वृत्तचित्रों, प्रदर्शनीयां, इश्तहारों, आदि के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए कि वे किसी प्रकार के देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अभिलेखों को इनके स्थायी संरक्षण तथा विद्वानों/प्रयोक्ताओं/इतिहासकारों के प्रयोग के लिए दान या उपहार स्वरूप दें।

17.5 Acquisition of Microfilms from abroad:

16 Microfilm rolls of T-49, Cab 37 & FO 705 series have been received from National Archives, U.K.

17.6 Analysis-Action is required on the part of National Archives of India to publish an advertisement every year in leading newspapers of the country for the acceptance of any records of national or historical importance from any private source by way of gift or purchase otherwise and after the acquisition of these records, National Archives of India should make suitable entries of the same in the accession registers and also issue acknowledgement to the concerned.

Action is also required to arouse consciousness amongst the people through short documentaries, exhibitions, pamphlets, etc. to donate or gift the records of any type, bearing the historical and cultural values of the country, to National Archives of India for their permanent preservation and the use of scholars/ users/ historians.

अभिलेख सर्जक एजेंसियों के स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की पुनरीक्षा

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(ड.) में यह प्रावधान है कि अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अभिलेख प्रतिधारण सारणी के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। इन अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को पांच वर्ष में एक बार संशोधित किया जाना अपेक्षित है ताकि नए विषय शीर्ष शामिल किए जा सकें जो पांच वर्ष की अवधि में संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों के बदलते और बढ़ते कार्यकलापों के कारण शामिल हो गए हैं। वर्ष 2010 के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने छः मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण सारणियों की पुनरीक्षा की है। विस्तृत सूचना नीचे दी गई है:-

18.1 क. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों की जांच के लिए मौके पर अध्ययन पूरा किया गया तथा रिपोर्टें एवं पुनरीक्षित अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों को संबंधित संगठनों को कार्यान्वयन के लिए भेजा गया था :

- (i) राष्ट्रीय जांच हाउस (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय), कोलकाता।
- (ii) बीसीजी टीका प्रयोगशाला (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), चेन्नई।
- (iii) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), गाजियाबाद।
- (iv) तंबाकू विकास निदेशालय (कृषि मंत्रालय), चेन्नई
- (v) जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली
- (vi) उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), नई दिल्ली
- (vii) टिहरी हाइड्रोक्लेक्ट्रिक विकास निगम इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश।

ख. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/अधिकारियों/पीएसयू की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों का पुनरीक्षण करने के लिए मौके पर अध्ययन भुरु किया गया था और रिपोर्टें अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न चरणों में हैं:-

- (i) विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

Chapter—18

Vetting of Retention Schedules of Records of Substantive Functions of Records Creating Agencies

Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993 provides that the Record Officer shall be responsible for compilation of records retention schedules in consultation with the National Archives of India. These records retention schedules are also required to be revised once in five years with a view to accommodate new subject heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned Records Creating Agencies during the span of preceding five years. Keeping this in view, National Archives of India has vetted records retention schedules of substantive functions of various directorates of six Ministries/ Departments/ Offices/Public Sector Undertakings during 2010. Detailed information is given below:-

18.1 A. On the spot Studies for vetting the Records Retention Schedules of the following Ministries/ Departments/ Officers/ PSUs were taken up, completed and the reports and the vetted Records Retention Schedules were sent for implementation to the respective organizations:

- (i) National Test House (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution), Kolkata.
- (ii) BCG Vaccine Laboratory (Ministry of Health & Family Welfare), Chennai.
- (iii) Central Drug Standard Control Organization. (Ministry of Health & Family Welfare), Ghaziabad.
- (iv) Tambaku Vikas Nideshalaya (Ministry of Agriculture), Chennai.
- (v) Ministry of Water Resources, New Delhi.
- (vi) Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development), New Delhi.
- (vii) Tehri Hydroelectric Development Corporation India Limited, Rishikesh.

B. On the spot Studies for vetting the Records Retention Schedules of the following Ministries/ Departments/ Officers/ Officers/ PSUs were taken up and the reports are under various stages of finalization.

- (i) Ministry of External Affairs, New Delhi.

- (ii) पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
- (iii) आर्थिक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली
- (iv) राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
- (v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली

18.2 राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा जयपुर, भुवनेश्वर और पुडुचेरी में अभिलेख केन्द्रों द्वारा प्रतिधारण सूची का संकलन/पुनरीक्षण:

- (क) राष्ट्रीय अभिलेखागार क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियां वर्ष 2011 के दौरान 'शून्य' हैं।
- (ख) जयपुर में जनवरी-दिसंबर, 2011 के दौरान पुनरीक्षित अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों के संबंध में 'शून्य' रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

18.3 विश्लेषण—यह देखा गया है कि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अभी तक अपनी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियां तैयार नहीं की हैं, तथा अधिकांश मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों का भी संशोधन किया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी सर्जक एजेंसियां राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्राथमिकता के आधार पर उनकी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों को तैयार/पुनरीक्षा/संशोधन करने के लिए आवश्यक सहायता/मार्गदर्शन देने के लिए अनुरोध करें।

भोपाल में एनएआई क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर और पुडुचेरी स्थित उसके अभिलेख केन्द्रों को 'शून्य' रिपोर्ट/रिपोर्टें भेजने की बजाय मामले में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं।

- (ii) Ministry of Panchayati Raj, New Delhi.
- (iii) Department of Economic Affairs, New Delhi.
- (iv) National Archives of India, New Delhi.
- (v) National Commission for Ministries, New Delhi.

18.2 Compilation/ vetting of Retention Schedule by National Archives of India, Regional Office, Bhopal and Record Centres at Jaipur, Bhubaneswar and Puducherry:

- (a) The National Archives of India, Regional Office, Bhopal Records retention Schedules during the year 'Nil' for the year 2011.
- (b) Jaipur have furnished 'Nil' reports regarding the vetted records retention schedules during the year January – December, 2011.

18.3 Analysis—It has been observed that most of the Ministries/Departments/Offices have not prepared their records retention schedules so far and records retention schedules of most of the Ministries/Departments/Offices are also due for revision. Keeping this in view, action is required on the part of all creating agencies to request National Archives of India for necessary help/ guidance for the preparation/ vetting/ revision of their records retention schedules on priority basis.

As regards NAI Regional Office at Bhopal and its Records Centers located at Jaipur and Puducherry, they, too may be instructed for taking the necessary steps in the matter instead of furnishing 'nil' report/s.

परामर्शी कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 3(2)(प) के तहत महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार से यह अपेक्षित है कि वह अभिलेखों के सृजन, निपटान और उनके अर्द्ध-प्रचलित चरण के दौरान अभिलेख प्रबंधन के मानदंडों, तकनीकों और वैज्ञानिक संरक्षण के अनुप्रयोग के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों, इत्यादि को परामर्श दें। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों से संबंधित मामलों पर विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परामर्श देने के प्रयास जारी रखे हैं।

19.1 अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण को अभिलेख प्रबंधन का एक मुख्य कार्य मानते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया और उन्हें मौजूदा स्थितियों को सुधारने के लिए मौके पर सलाह और मार्गदर्शन दिया।

19.2 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित को तकनीकी सलाह दी गई :

(क) रेप्रोग्राफिक सेवाएं :

1. डॉ० भास्कर धतावकर, निदेशक, अभिलेख निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई-400032
2. श्री राजेन्द्र सिंह, निदेशक, केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
3. डॉ० डी.आर. गुप्ता, जी-107, पहला तल, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली- आरटीआई अधिनियम के अधीन
4. श्री बी.बी. कठपालिया, सहायक उपाध्यक्ष, पीटीसी इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
5. श्री एस.एस. खुराना, प्रबंध निदेशक, भारतीय रेलवे कल्याण संगठन, नई दिल्ली
6. श्री अनुज सिंह, आईआरएस सचिव, केन्द्रीय अंगीकार अनुसंधान प्राधिकरण, नई दिल्ली
7. श्री राजीव शर्मा, अपर महानिदेशक (परियोजनाएं) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, महानिदेशालय रक्षा संपदा, रक्षा संपदा भवन, नई दिल्ली
8. सुश्री रेखा त्रिवेदी, निदेशक, उत्तर प्रदेश अभिलेखागार, लखनऊ, उ.प्र.
9. श्री सीतांगशु चक्रवर्ती, अवर सचिव, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली

Chapter—19

Advisory Work

Under Section 3(2) (i) of Public Records Act, 1993, Director General, National Archives of India is required to render advice to all Ministries/Departments etc. on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their semi-current stage. Accordingly, National Archives of India continued its efforts to advise various Records Creating Agencies on the matters related to records management activities.

19.1 Considering the upkeep and preservation of semi-current records as one of the prime areas of the records management, National Archives of India inspected the departmental records rooms of various Ministries/Departments/Offices and provided on the spot advice and guidance for improvement in the existing conditions.

19.2 Technical Advice was provided by the National Archives of India, New Delhi to the following:

(A) Reprographic services:

1. Dr. Bhaskar Dhatavkar, Director, Directorate of Archives, Government of Maharashtra, Mumbai-400032.
2. Sh. Rajinder Singh, Director, Central Forensic Science Labortary, Central Bureu of Investigation, New Delhi
3. Dr. D.R. Gupta, G-107, First Floor, Dilshad Colony, Delhi under RTI Act
4. Mr. B.B. Kathpalia, asst. Vice President, PTC India Ltd., New Delhi.
5. Mr. S.S Khurana, Managing Director, Indian Railway Welfare Organization, New Delhi
6. Sh. Anu J. Singh, I.R.S. Secretary, Central Adoption Resource Authority New Delhi
7. Sh. Rajeev Sharma, Addl. DG (Projects), Government of India, Ministry of Defence, Directorate General Defence Estates, Raksha Sampada Bhawan, New Delhi
8. Ms. Rekha Trivedi, Director, UP State Archives, Lucknow, UP.
9. Sh. Sitangshu Chakraborty, Under Secretary to the Govt. of India, Ministry of Tourism, New Delhi

(ख) निम्नलिखित को संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सूचना (टी.आई.) उपलब्ध कराई गई:

- (i) निदेशक, उ.प्र. राज्य अभिलेखागार, बी-44 महानगर विस्तार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- (ii) विशेष अधिकारी, रबीन्द्र भवन, विश्व-भारती, भातिनिकेतन, पश्चिम बंगाल
- (iii) वरिष्ठ वास्तुविद् (पीएलपी), केन्द्रीय लोक कार्य विभाग, नई दिल्ली
- (iv) राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004

(ग) निम्नलिखित को अभिलेखों के उचित रखरखाव के लिए मौके पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया:

- (i) राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- (ii) सीआरपीएफ अकादमी, कादरपुर, गुडगांव-122101
- (iii) लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली
- (iv) अखिल भारत महिला सम्मेलन, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली
- (v) इन्टैक, आईसीसीआई, भुवनेश्वर द्वारा विश्व भारती, भातिनिकेतन में किए जा रहे संरक्षण कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई।
- (vi) इन्टैक, आईसीसीआई, लखनऊ द्वारा एनएआई, आरसी, जयपुर में किए जा रहे संरक्षण कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई।

19.3 सलाहकारी कार्य क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल और अभिलेख केन्द्र, भुवनेश्वर, पुडुचेरी और जयपुर में किया गया :

- (i) अभिलेख केन्द्र (दक्षिण क्षेत्र) पुडुचेरी - शून्य
- (ii) अभिलेख केन्द्र (पश्चिम क्षेत्र) जयपुर -
 - 10. नमक आयुक्त, जयपुर
 - 11. जनगणना संचालन निदेशालय, जयपुर राजस्थान
 - 12. राज्य अभिलेखागार, राजकोट, गुजरात
- (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

- पर्यावरण और वन मंत्रालय को उनके अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची तैयार करने तथा उनकी फाइलों को नष्ट करने तथा श्रेणी क और ख की फाइलों को राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में स्थानांतरित करने संबंधी तकनीकी सलाह दी गई।

19.4 विश्लेषण-राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों अर्थात् अभिलेख करना, सूचीकरण, समीक्षा करना, अभिलेखों को नष्ट करना, मूल्यांकन करना और अप्रचलित स्थायी प्रकृति के अभिलेखों का अंतरण करना तथा 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाना, आदि से संबंधित मामलों पर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श दे रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा एक/दो दिन की कार्यशालाएं/संगोष्ठियों/स्लाइड शो/पहेली, आदि के जरिए अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न मुद्दों के संबंध में सभी सर्जन एजेंसियों के विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में रुचि/जागरुकता पैदा करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

सर्जक एजेंसियों के संबंध में वे राष्ट्रीय अभिलेखागार से अपने संगठन में अभिलेख प्रावधान पर एक/दो दिन की संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं ताकि उनके विभागीय अभिलेख कक्ष में कार्यरत स्टॉफ को प्रशिक्षित किया जा सके।

(B) Technical Information (T.I.) on various aspects of Conservation was provided to:

- (i) Director, U.P. State Archives, B-44 Mahanagar Vistar, Lucknow, Uttar Pradesh.
- (ii) Special Officer, Rabindra-Bhavana, Vishwa- Bharti, Shantiniketan, West Bengal.
- (iii) Senior Architect (PLP), Central Public Works Department, New Delhi.
- (iv) Presidents's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi-110004.

(C) On the spot guidance for proper upkeep of records was provided to the following:

- (i) National Rail Museum, Chankyapuri, New Delhi.
- (ii) CRPF Academy, Kadarapur, Gurgaon- 122101
- (iii) Lok Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi.
- (iv) All India Womens Conference, Sarojani House, Bhagwan Dass Road, New Delhi.
- (v) Examined the quality of conservation work being carried out by INTACH, ICI, Bhubaneswar at Vishwa-Bharti, Shanti Niketan.
- (vi) Examined the quality of conservation work being carried out by INTACH, ICCI, Lucknow at NAI, RC, Jaipur.

19.3 Advisory Work undertaken in Regional Office, Bhopal and Records Centre, Bhubaneswar, Puducherry and Jaipur:

- i. Records Centre (Southern Zone) Puducherry – Nil
- ii. Records Centre (West Zone) Jaipur:
 10. Salt Commissioner Jaipur
 11. Directorate of Census operation, Jaipur Rajasthan
 12. State Archives Rajkot, Gujrat

iii. Regional Office, Bhopal

- Provided technical advice to the Ministry of Environment and Forests in regard to prepare Record Retention Schedule of their records and to weed out their Files and also to transfer the Files of Category A and B to the National Archives of India, Regional Office, Bhopal.

19.4 Analysis-National Archives of India is rendering advice to all Ministries/Departments/ Offices/Public Sector Undertakings etc. on the matters related to records management activities i.e. recording, indexing, reviewing, weeding of records, appraisal and transfer of non-current permanent nature records and microfilming of 'A' category records etc. Efforts are required on the part of National Archives of India to develop interest/ awareness amongst the officers/officials working in the Departmental Records Rooms of all Records Creating Agencies in respect of various issues of records management through one/ two day(s) workshops/ seminars/ slideshows/ quizzes etc.

As regards the Records Creating Agencies, they should also request National Archives of India for organizing one/ two day(s) seminars on records management in their organization to train their staff working under their Departmental Records Room.

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार का अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय अभिलेखीय अध्ययनों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा। इनमें अभिलेख और रिकार्ड प्रबंधन में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम; अभिलेखागार प्रबंधन, रेप्रोग्राफी, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखों की सर्विसिंग और मरम्मत, पुस्तकों की देखभाल और संरक्षण, एमएसएस तथा उप-व्यावसायिक स्तर पर अभिलेखागारों में अल्पकालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवा सकते हैं। इसके अलावा, सचिवों की समिति के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निर्दिष्ट विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम शुरू किया ताकि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1933 की धारा 6(1) के तहत यथानिर्धारित कार्य करने में समर्थ हो सकें। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वर्ष 2011 के दौरान आठ अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। वर्ष 2011 के दौरान अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-IV** में देखी जा सकती है।

20.1 अभिलेख अध्ययन विद्यालय में भूरी किए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

- (1) अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन 2010-11 में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र (1 नवंबर, 2010 से 31 अक्टूबर, 2011)
4 प्रायोजित उम्मीदवारों सहित 23 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण लिया। सफल निजी उम्मीदवारों का एक वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद सफल उम्मीदवारों के लिए छः माह की इंटर्नशिप आयोजित की गई।
- (2) रेप्रोग्राफी में 63 अल्पावधि प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (4 अप्रैल से 13 मई, 2011) - 12 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- (3) अभिलेखों का रखरखाव और मरम्मत में 73वां अल्पावधि प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (9 मई, 2011-17 जून, 2011 तक) - 17 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- (4) पुस्तकों और अभिलेखों की देखभाल और संरक्षण में 64वां अल्पावधि पाठ्यक्रम (4 जुलाई से 26 अगस्त, 2011) - 12 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- (5) अभिलेख प्रबंधन में 73वां अल्पावधि प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (1-30 सितंबर, 2011) - 17 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

Chapter—20

Training

The School of Archival Studies of the National Archives of India continued to conduct training courses in various disciplines of Archival Science at both professional and sub-professional levels. These comprise One-Year Diploma Course in Archives and Records Management; Short Term Certificate Courses in Archives Management, Reprography, Records Management, Servicing and Repairing of Records, Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives at sub-professional level. Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc. can avail of this facility and get their staff working in Departmental Records Room trained. Besides, as per the directives of the Committee of Secretaries, National Archives of India started five days Orientation Courses in Records Management for designated Departmental Record Officers with a view to enable them to discharge various functions as stipulated under Section 6 (1) of the Public Records Act, 1993. The National Archives of India conducted eight Orientation courses during the year 2011. A list of Departmental Record officers who have attended the orientation courses in records management during the year 2011 may please be seen in *Annexure-IV* of the report.

20.1 Training Courses being undertaken in School of Archival Studies

- (1) One Year Diploma Course in Archives and Records Management 2010-11 session (1 November 2010 to 31 October 2011)
23 candidates including 4 sponsored ones have undergone training. Internship of Six months was conducted for successful candidates after the completion of One year Course for successful Private candidates.
- (2) 63rd Short Term Certificate Course in Reprography(4 April to 13 May 2011) 12 candidates have undergone training
- (3) 73rd Short Term Certificate Course in Servicing and Repair of Records (9 May 2011-17 June 2011) 17 candidates have undergone training
- (4) 64th Short Term Certificate Course in Care and Conservation of Books, Mss and Archives (4 July to 26 August 2011) 12 candidates have undergone training
- (5) 73rd Short Term Certificate Course in Records Management (1-30 September 2011) 17 candidates have undergone training

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- (6) रेप्रोग्राफी में 64वां अल्पावधि प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (19 सितंबर से 28 अक्टूबर, 2011) – 9 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- (7) अभिलेखों के रखरखाव और मरम्मत में 74वां अल्पावधि प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (5 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2011) – 18 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- (8) पुस्तकों, पाण्डुलिपियों और अभिलेखों की देखभाल और संरक्षण में 65वां अल्पावधि प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (1 नवंबर से 23 दिसंबर, 2011 तक) – 5 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- (9) अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन 2011-12 सत्र में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (2 नवंबर, 2011 से 30 अक्टूबर, 2012) – 8 प्रायोजित उम्मीदवारों सहित 24 उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

II. कार्यशालाएं/संगोष्ठियां

- (i) अभिलेख प्रबंधन, माइक्रोफिल्म बनाने/डिजिटलीकरण तथा संरक्षण में मानव संसाधन विकास पर चार दिवसीय कार्यशाला। अभिलेख प्रबंधन, माइक्रोफिल्म बनाने/डिजिटलीकरण करने तथा संरक्षण में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली में 25.04.2011 से 28.04.2011 तक मानव संसाधन विकास पर चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
 - (ii) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अहमदाबाद के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र में अभिलेख प्रबंधन में मानव संसाधन विकास पर दो दिवसीय कार्यशाला (दो बार)।
 - (iii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार में अभिलेख प्रबंधन में मानव संसाधन विकास पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 19-20 जुलाई, 2011 को आयोजित किया गया।
- 20.2 विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रम का ब्योरा:

क्र.सं.	स्थल	पाठ्यक्रम की अवधि	भागीदारों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	17-21 जनवरी, 2011	24	96वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
2.	एनएआई, नई दिल्ली	14-18 फरवरी, 2011	14	97वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
3.	एनएआई, नई दिल्ली	20-25 जून, 2011	13	98वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
4.	अभिलेख केन्द्र (दक्षिण क्षेत्र), पुडुचेरी	8-12 अगस्त, 2011	30	99वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
5.	एनएआई, नई दिल्ली	12-16 सितंबर, 2011	20	100वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
6.	एनएआई, नई दिल्ली	17-21 अक्टूबर, 2011	20	101वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	14-18 नवंबर, 2011	21	102वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम
8.	अभिलेख केन्द्र (दक्षिण क्षेत्र) जयपुर	19-23 दिसंबर, 2011	21	103वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम

- (6) 64th Short Term Certificate Course in Reprography (19 September to 28 October 2011) 9 candidates have undergone training
- (7) 74th Short Term Certificate Course in Servicing and Repair of Records (5 September to 14 October 2011) 18 candidates have undergone training
- (8) 65th Short Term Certificate Course in Care and Conservation of Books, Mss and Archives (1 November to 23 December 2011) 5 candidates have undergone training.
- (9) One Year Diploma Course in Archives and Records Management 2011-12 Session (2 November 2011 to 31 October 2012) 24 candidates including 8 sponsored candidates are undergoing training.

II Workshops/ Seminars

- (i) Four Days Work shop on Human Resource Development in Records Management, Microfilming/ Digitization and Conservation. Conducted four days work shop on Human Resource Development in Records Management, Microfilming/Digitization and Conservation from 25.4.2011 to 28.4.2011 at Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi.
- (ii) Two Days Work shop (Twice) on Human Resource Development in Records Management at Space Application Centre of Indian Space Research Organization, Ahmadabad.
- (iii) Two Days Training Programme on Human Resource Development in Records Management to the Dept. of Administrative Reforms & Public Grievances, Min. of Personnel, Public Grievances & Pensions, Govt. of India from 19,20 July 2011.

20.2 Details of Orientation Course in Records Management for Departmental Records Officers:

S.No.	Venue	Duration of course	No. of participants	Remarks
1.	Regional Office, Bhopal	17-21 January 2011	24	96 th Orientation Course
2.	NAI, New Delhi	14-18 February 2011	14	97 th Orientation Course
3.	NAI, New Delhi	20-25 June 2011	13	98 th Orientation Course
4.	Records Centre (South Zone), Puducherry	8-12 August 2011	30	99 th Orientation Course
5.	NAI, New Delhi	12-16 September 2011	20	100 th Orientation Course
6.	NAI, New Delhi	17-21 October 2011	20	101 st Orientation Course
7.	Regional Office, Bhopal	14-18 November 2011	21	102 nd Orientation Course
8.	Records Centre (West Zone), Jaipur	19-23 December 2011	21	103 rd Orientation Course

अभिलेख जागरुकता कार्यक्रम

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(घ) के तहत अभिलेख महानिदेशक को लोक अभिलेखों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने संबंधित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित कीं और अन्य कार्यक्रमलाप भी किए गए।

21.1 जनवरी-दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य मढ़े पूरी की गई।

क. प्रदर्शनियां:

- (i) फोर्ट विलियम कॉलेज संग्रह पर प्रदर्शनी: ईरान कल्चर हाउस, इंटरनेशनल नूर माइक्रोफिल्म सेंटर, नई दिल्ली के साथ आर्ट गैलरी इंडिया इंटरनेशनल केन्द्र, एनेक्सी में 12 जनवरी, 2012 को दुर्लभ प्राच्य पुस्तकों के एक संग्रह पर प्रदर्शनी लगाई गई। इनका उद्घाटन सुश्री विजयलता रेड्डी, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया।
- (ii) विभाग द्वारा सुलतान काबूस यूनिवर्सिटी, मस्कट में 27 फरवरी - 1 मार्च, 2011 तक आयोजित 'भारत और ओमान - संभावनाएं और सभ्यता' विषय पर एक संयुक्त भौक्षिक संगोष्ठी के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार के संग्रह से भारत-ओमान संबंधों पर ऐतिहासिक दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया। यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली का एक संयुक्त उद्यम था।
- (iii) मारिशस के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेयर पार्लर, पोर्ट लूईस, मारिशस में 14-18 मार्च, 2011 को "भारत से मारिशस तक गिरमिटिया इंडेंचर्ड श्रमिक आंदोलन : गिरमिटिया की यात्रा" विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई।
- (iv) दक्षिण एशिया अध्ययन संस्थान, सिंगापुर के प्रतिनिधियों के दौरे के अवसर पर 11 अप्रैल, 2011 को "भारत-सिंगापुर" संबंधों पर ऐतिहासिक दस्तावेजों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- (v) उ.प्र. राज्य अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर "राजधानी : नई दिल्ली की नींव" नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- (vi) इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 2-4 सितंबर, 2011 तक "दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व तुलनात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विभाजन की पूर्व निर्धारित नियति" नामक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर "गणतंत्र की स्वतंत्रता" नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- (vii) पूर्व राष्ट्रपति साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के प्रो. गोपी चंद नारंग द्वारा अल अहमद सुरूर संग्रह पर 10 अक्टूबर, 2011 को एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

Chapter—21

Archival Awareness Programme

Under Section 3(2) (d) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives is authorized by the Central Government to hold exhibition of public records so as to create archival awareness among the masses. Accordingly, National Archives of India mounted the following exhibitions and also undertook other activities during the period under report.

21.1 The following items of work were completed during the period January-December 2011.

A. Exhibitions:

- (i) The exhibition on Fort William college collection: A Collection of Rare Oriental Books was jointly organized with the Iran Culture House, International Noor Microfilm Centre, New Delhi at Art Gallery, India International Center, Annexe on 12 January 2012. It was inaugurated by Ms. Vijyalatha Reddy, Secretary (East), Ministry of External Affairs.
- (ii) The historical documents on Indo-Oman Relations from the collection of National Archives of India were displayed by the Department during Joint Academic Symposium on 'India and Oman-Prospects and Civilization' held from 27 February- 1 March 2011 at Sultan Qaboos University, Muscat. This was a joint venture with Indian Council for Cultural Relations, Ministry of External Affairs, New Delhi
- (iii) On the Occasion of National Day of the Republic of Mauritius, an exhibition entitled "The Journey of Girmitya: Movement of Indentured Labour from India to Mauritius" was organized at Mayor Parlor, Port Louis, Mauritius from 14-18 March, 2011.
- (iv) A display of historical documents on "Indo- Singapore" relations was organized on 11th April, 2011 on the occasion of the visit of the delegates of the Institute of South Asian Studies, Singapore.
- (v) An exhibition entitled "Foundation of the Capital: New Delhi" was displayed the occasion of International Archives Day celebrated by U.P. State Archives, Lucknow.
- (vi) The exhibition entitled "Independence to Republic" was organized on the occasion of International Seminar entitled "Trajectories of Partition in South Asia and Middle East Comparative Historical Perspective" from 2-4 September, 2011 at India International seminar Centre, New Delhi.
- (vii) An exhibition on Ale Ahmad Suroor Collection was inaugurated by Prof. Gopi Chand Narang, former President Sahitya Academy, New Delhi on 10th October, 2011.

- (viii) 59वें भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, जिसे भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के रूप में पुनः नामित किया गया है, के अवसर पर उन्नत अध्ययन केन्द्र, इतिहास विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में "सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन" नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।"
- (ix) ब्रिटिश काउंसिल, नई दिल्ली के सहयोग से "बियॉड द फ्रेम: इंडियन इन ब्रिटेन 1858-1950" नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। द ओपन यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश लाइब्रेरी तथा आर्ट्स ह्यूमैनिटीज रिसर्च परिषद, लंदन।

21.2 अभिलेख केन्द्र, जयपुर में प्रदर्शनियां :

- (क) प्रदर्शनी का शीर्षक — "गणतंत्र की स्वतंत्रता"
- (ख) अवधि — 24 जनवरी से 4 फरवरी 2011

21.3 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में प्रदर्शनियां :

- (क) प्रदर्शनी का शीर्षक — "गणतंत्र की स्वतंत्रता"
- (ख) अवधि : दो चरण — (i) 26 जनवरी, 2011 से 11 फरवरी, 2011
(ii) 18 मई, 2011 से 24 मई, 2011

21.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार में आगंतुक :

- (i) माननीय संस्कृति मंत्री कुमारी भौलजा ने निदेशक (एस) के साथ 24 फरवरी, 2011 को एनएआई का दौरा किया। प्रो० मुशिरूल हसन ने उन्हें भावी अभिलेखीय विरासत का संरक्षण करने के लिए विभाग द्वारा शुरू किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यकलापों के बारे में अवगत कराया। मंत्री महोदया ने विभाग के सभी महत्वपूर्ण प्रभागों के दौरे के दौरान इन कार्यकलापों में गहरी दिलचस्पी दिखाई।
- (ii) ईरान सोसायटी ऑफ हिस्ट्री से एक प्रतिनिधिमण्डल ने 11 फरवरी, 2011 को इस विभाग का दौरा किया और डीजीए तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभिलेखीय विरासत का परिरक्षण करने से संबंधित परस्पर हित के मुद्दों पर बैठक की।
- (iii) ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन से कागज संरक्षक सुश्री ईमिला रैम्पटन, जो सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण के अध्ययन के लिए भारतीय एसोसिएशन, नई दिल्ली की प्रतिष्ठित अतिथि हैं, ने 18 फरवरी, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
- (iv) डॉ० काराएव, अजरबैजान के राजदूत ने 10 मार्च, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और समान हित के मुद्दों पर महानिदेशक, अभिलेखागार के साथ बैठक की।
- (v) सिंगापुर से 25 आगंतुकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनएआई, नई दिल्ली में आयोजित "भारत-सिंगापुर संबंध" विषय पर एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के संबंध में 11 अप्रैल, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
- (vi) श्री अब्दुल मोहसिन बिन, सैद बिन सुल्तान अल-हनई, महानिदेशक डाक्यूमेंट अरेंजमेंट एजेंसी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल ने भारत-ओमान सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत 18 अप्रैल से 5 मई, 2011 तक राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने समान हित वाले मुद्दों अर्थात् अभिलेखीय रिकार्डों पर चर्चा करने के लिए महानिदेशक अभिलेखागार तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया तथा उन्होंने दिल्ली अभिलेखागार का भी दौरा किया।

- (viii) On the occasion of 59th session of Indian Historical Records Commission which has been redesignated as Indian Historical Records Committee, an exhibition entitled “Sir Syed Ahmed Khan and Aligarh Movement” was organized at Centre of Advanced Study, Department of History, Aligarh Muslim University, Aligarh.
- (ix) An exhibition entitled “Beyond the Frame: India in Britain 1858-1950” was organized in collaboration with British Council, New Delhi. The Open University, British Library and Arts Humanities Research Council, London.

21.2 Exhibitions at Record Centre, Jaipur:

- (a) Title of Exhibition — “Independence to Republic”
- (b) Duration — 24th January to 4th February, 2011

21.3 Exhibition at Regional Office, Bhopal:

- (a) Title of the Exhibition: “Independence to Republic”
- (b) Duration: Two phases
 - ii. 26th January, 2011 to 11th February, 2011.
 - iii. 18th May, 2011 to 24th May, 2011.

21.4 Visitors to the National Archives of India:

- (i) Hon’ble Minister of Culture, Km. Seilja accompanied by Director (AS) paid a visit to the NAI on 24th February, 2011. Prof Mushirul Hasan apprised her of the important activities being undertaken by the Department in preserving our archival heritage for the future. Minister showed a keen interest in these activities during her visit to all the important Divisions of the Department.
- (ii) A delegation from the Iran Society of History visited this Department on 11 February, 2011 and held meeting with DGA and other senior officers of the Department on issues of mutual interest related to preserving archival heritage.
- (iii) Ms. Emilla Rampton, Paper Conservator from British Museum, London, a distinguished guest of the Indian Association for the study of Conservation of Cultural Property, New Delhi paid a visit to National Archives of India on 18 Feb. 2011.
- (iv) Dr. Karaev, Ambassador of Azerbaijan visited National Archives of India on 10 March, 2011 and held meeting with Director General of Archives on issues of common interest.
- (v) A delegation of 25 visitors from Singapore visited National Archives of India on 11 April, 2011 in connection with the inauguration of an exhibition on “Indo-Singapore Relations” held at NAI, New Delhi.
- (vi) A delegation from Oman headed by Mr. Abdul Mohsin Bin, Said Bin Sultan Al-Hanai, Director General of the Documents Arrangement Agency visited the National Archives of India from 18 April to 5 May 2011 under Indo-Oman Cultural Exchange Programme. They held meeting with DGA and other Senior Officers of the Department to discuss issues of common interest i.e archival records. They were shown round the Department and also visited Delhi Archives.

- (vii) डॉ. गौरी कृष्णन, उप निदेशक, भारतीय विरासत केन्द्र, सिंगापुर ने 25 अप्रैल, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
- (viii) सुश्री लूथरा लिनार्ड, निदेशक, बैकर लाइब्रेरी कलेक्शन्स, नोलोज एंड लाइब्रेरी सर्विसेज तथा सुश्री रचना चावला, अनुसंधान समन्वयक, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बोस्टन, अमेरिका ने 27 अप्रैल, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने समान हित के मुद्दों पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।
- (ix) सीईपी के अंतर्गत पोलैण्ड से एक शिष्टमंडल ने 25 मई, 2011 को एनएआई का दौरा किया तथा डीजीए तथा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की तथा समान हित के मुद्दों पर चर्चा की।
- (x) डॉ. सैयद मखाडू रहीम, सूचना एवं संस्कृति मंत्री, अफगानिस्तान सरकार ने 26 मई, 2011 को अपने प्रतिनिधिमंडल (4 सदस्यों) के साथ राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया तथा समान हित के मुद्दों पर डीजीए तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
- (xi) श्री पी. विनसेंट, द टेलिग्राफ के स्टाफ संवाददाता ने 14 जुलाई, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
- (xii) राष्ट्रीय मलेशिया विश्वविद्यालय की अध्येता सुश्री पी. रंगास्वामी ने 22-26 अगस्त, 2011 तक राष्ट्रीय अभिलेखागार से अपने रुचि की सामग्री प्राप्त करने और उसका चयन करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
- (xiii) दिल्ली विकास प्राधिकरण से सदस्यों के समूह ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख कक्ष में स्थापित केन्द्रीकृत एसी की स्थापना और प्रचालन की जानकारी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
- (xiv) राष्ट्रीय वन पुस्तकालय और सूचना केन्द्र, देहरादून से स्टॉफ सदस्यों के एक समूह ने अपने केन्द्र, देहरादून में राष्ट्रीय वन अभिलेखागार की स्थापना करने के संबंध में 8 सितम्बर, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
- (xv) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गाजियाबाद से 22 अधिकारियों के एक समूह ने 23 सितम्बर, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
- (xvi) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से 22 प्रशिक्षुओं के एक समूह ने 23 सितम्बर, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
- (xvii) सुश्री टीना ठाकेर, विशेष संवाददाता क्रोनिकल, द एशियन ऐज ने 10 अक्टूबर, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।
- (xviii) विधायकों के एक समूह, जो उड़ीसा विधान सभा की अभिलेखागार और प्रलेखन संबंधी पुस्तकालय उप-समिति के सदस्य हैं, ने राष्ट्रीय अभिलेखागार का 8 नवंबर, 2011 को दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।
- (xix) ब्रिटिश लाइब्रेरी, यू.के. से एम. पेन्नी ब्रूक की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल दल ने 23 नवम्बर, 2011 को दौरा किया तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार में ओपन यूनिवर्सिटी तथा ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटेन की भागीदारी से "बियोड द फ्रेम: इंडिया इन ब्रिटेन 1858-1950" विषय पर एक प्रदर्शनी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रीय अभिलेखागार में 29 नवम्बर, 2011 को किया गया।

- (vii) Dr. Gauri Krishnan, Deputy Director, Indian Heritage Centre, Singapore visited National Archives of India on 25 April, 2011. She held meeting with Senior. Officers of the Department.
- (viii) Ms. Luthra Linard, Director of Baker Library Collections, Knowledge and Library Services and Ms. Rachna Chawla, Research Coordinator of Harvard Business School, Boston, USA visited National Archives of India on 27 April 2011. They held meeting with Senior Officers of the Department on issues of common interest. They were shown round the Department.
- (ix) A delegation from Poland under CEP paid a visit to NAI on 25 May 2011 and held meeting with DGA and other Officers of the Department and discussed on the matters of common interest.
- (x) Dr. Sayed Makhdoo Raheem, Minister of Information and Culture, Government of Afghanistan paid a visit to National Archives of India along with his delegation (4 members) on 26 May 2011 and had meeting with DGA and other Senior Officers and discussed on matters of common interest.
- (xi) Sh. P. Vincent, Staff Correspondence of The Telegraph visited NAI on 14 July 2011. and had meeting with Sr. Officers of the Department.
- (xii) Ms. P. Rangasamy, a scholar from National University of Malaysia paid a visit to National Archives of India to access and select material of their interest from National Archives of India from 22-26 August, 2011.
- (xiii) A group of members from Delhi Development Authority visited NAI on 9 September to familiarize with the setup and operation of the centralized AC installed in the Record Room of NAI.
- (xiv) A group of staff members from National Forest Library and Information Centre, Dehradun visited NAI on 8 September 2011 in connection with the setting up of a National Forest Archives at its Centre, Dehradun.
- (xv) A group of 22 Officers from the Ministry of Communication and IT, Ghaziabad visited NAI on 23 September, 2011.
- (xvi) A group of 22 trainees from Indian Institute of Public Administration, New Delhi paid a visit to NAI on 23rd September, 2011.
- (xvii) Ms. Teena Thaker, Special Correspondence Chronicle, The Asian Age paid a visit to NAI on 10th October, 2011. She was shown round the Department.
- (xviii) A group of MLAs who are members of the "Library Sub- Committee on Archives and Documentation of Orissa Legislative Assembly" visited NAI on 8th November, 2011. They held meeting the senior officers of the National Archives of India and were shown round the department.
- (xix) A team of delegation headed by M. Penny Brook from British Library, UK, visited NAI on 23 November 2011 and held meeting with senior officers regarding display of exhibition entitled "Beyond the Frame: India in Britain 1858-1950" in partnership with Open University and British Library, UK at NAI. The Exhibition was inaugurated on 29 November, 2011 at NAI.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- (xx) डीएससीआई से 16 सदस्यों के एक समूह ने 25 नवम्बर, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया तथा विभाग के कार्यकलापों और तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई।
- (xxi) रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से तीन स्टॉफ सदस्यों ने 5 दिसम्बर, 2011 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।

21.5 अतिरिक्त सूचना :

अनुसंधान कक्ष :

- (1) कुल नामित भारतीय अनुसंधान अध्येताओं की संख्या : 712
- (2) कुल नामित विदेशी अनुसंधान अध्येताओं की संख्या : 151

कुल : 863

- (xx) A group of 16 members from DSCI visited NAI on 25 November, 2011. They were shown round the Department and were shown the activities and techniques of the department.
- (xxi) Three Staff members from the Ministry of Defence, New Delhi visited NAI on 5th December, 2011. They were shown round the department.

21.5 Additional Information:

Research Room:

- | | |
|--|---------------------|
| (1) Total number of Indian research scholars enrolled | : 712. |
| (2) Total number of foreign research scholars enrolled | : <u>151</u> |
| Total | : <u>863</u> |

अनुलग्नक-I

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची

क. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों:

कृषि मंत्रालय:

1. केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला

नागरिक विमानन मंत्रालय:

2. प्रधान लेखा अधिकारी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

3. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
4. आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय
5. केन्द्रीय पल्प एवं पेपर अनुसंधान संस्थान (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय)

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय:

6. डाक विभाग (पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, मध्य क्षेत्र, कोच्चि)

रक्षा मंत्रालय:

7. क्षेत्रीय सैन्य उपयुक्तता विकास केन्द्र, एचएएल जवतू, कोरवा, सुल्तानपुर
8. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)

वित्त मंत्रालय:

9. नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय:

10. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर
11. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई

Annexure—I

Names of Records Creating Agencies that have furnished information on implementation of Public Records Act, 1993

A. Ministries/ Departments/Offices:

Ministry of Agriculture:

1. Central Agmark Laboratory

Ministry of Civil Aviation:

2. Principal Accounts Officer

Ministry of Commerce & Industry:

3. Deptt of Industrial Policy & Promotion
4. Directorate General of Supplies & Disposals
5. Central Pulp & Paper Research Institute (autonomous body under the administrative control of Dept. of Industrial Policy & Promotion)

Ministry of Communications & Information Technology:

6. Department of Posts (Office of the Postmaster General, Central Region, Kochi)

Ministry of Defence:

7. Regional Centre for Development of Military Airworthiness, HAL Korwa, Sultanpur
8. Ministry of Environment & Forests (Northern Regional Office, Chandigarh)

Ministry of Finance:

9. Office of the Salt Commissioner, Jaipur

Ministry of Health & Welfare:

10. Central Government Health Scheme, Jabalpur
11. Central Government Health Scheme, Mumbai

गृह मंत्रालय

12. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
13. महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)
14. रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय:

15. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (मध्य), कोच्चि
16. व्यावसायिक विकलांग पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना

खान मंत्रालय:

17. भारतीय खान ब्यूरो

कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन:

18. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी

रेलवे मंत्रालय:

19. रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
20. रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन मंत्रालय:

21. मुख्य अभियंता एवं प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर

जल संसाधन मंत्रालय:

22. केन्द्रीय जल आयोग
23. बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा, मध्य प्रदेश
24. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड
25. बेतवा नदी बोर्ड

ख. अन्य अभिलेख सर्जक एजेंसियां:

26. प्रधानमंत्री कार्यालय
27. उप राष्ट्रपति सचिवालय
28. परमाणु ऊर्जा विभाग
29. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर

ग. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम:

30. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)
31. वैपकोस लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय)

Ministry of Home Affairs:

12. Central Industrial Security Force
13. Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF)
14. Office of the Registrar General

Ministry of Labour & Employment:

15. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Kochi
16. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ludhiana

Ministry of Mines:

17. Indian Bureau of Mines

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions:

18. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie

Ministry of Railway:

19. Railway Staff College, Vadodara
20. Railway Board

Ministry of Shipping:

21. Office of the Chief Engineer & Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair

Ministry of Water Resources:

22. Central Water Commission
23. Bansagar Control Board, Rewa, Madhya Pradesh
24. Upper Yamuna River Board
25. Betwa River Board

B. Other Record Creating Agencies:

26. Prime Minister's Office
27. Vice President's Secretariat
28. Department of Atomic Energy
29. Narmada Control Authority, Indore

C. Public Sector Undertakings/ Corporations:

30. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum & Natural Gas)
31. WAPCOS Limited (Ministry of Water Resource)

राष्ट्रीय अभिलेखागार

32. राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय)
33. बंगाल रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)
34. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (औषध विभाग, रसायन एवं औषध मंत्रालय)
35. खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर (खान मंत्रालय)
36. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
37. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जहाजरानी मंत्रालय)
38. राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) (खान मंत्रालय)
39. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय)
40. मैजागन डॉक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय)
41. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय)
42. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ (वस्त्र मंत्रालय)
43. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (रक्षा मंत्रालय)
44. (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड) (ट्राइफेड)

32. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad (Ministry of Power)
33. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Ministry of Chemicals & Fertilizers)
34. Hindustan Antibiotics Limited (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Pharmaceuticals)
35. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur(Ministry of Mines)
36. State Trading Corporation of India Limited (Ministry of Commerce & Industry)
37. Dredging Corporation of India Limited (Ministry of Shipping)
38. National Aluminium company Limited (NALCO)(Ministry of Mines)
39. Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence)
40. Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence)
41. National small Industries Corporation Limited, New Delhi (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprise)
42. National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow (Ministry of Textiles)
43. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad (Ministry of Defence)
44. (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited) (TRIFED)

अनुलग्नक-II

अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

क्र.सं.	अभिलेख सर्जक एजेंसी का नाम	प्राप्त छमाही विवरणियों की संख्या
	कृषि मंत्रालय:	
1.	केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला	02
	नागरिक विमानन मंत्रालय:	
2.	प्रधान लेखा अधिकारी	02
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय:	
3.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	02
4.	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय	02
	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय:	
5.	डाक विभाग (पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, मध्य क्षेत्र, कोच्चि)	02
	रक्षा मंत्रालय:	
6.	क्षेत्रीय सैन्य उपयुक्तता विकास केन्द्र, एचएएल कोरवा, सुल्तानपुर	01
	पर्यावरण और वन मंत्रालय:	
7.	(उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय), चंडीगढ़	02
	वित्त मंत्रालय:	
8.	नमक आयुक्त, जयपुर	02
	स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय:	
9.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	
	(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), मुंबई	01

Annexure—II

List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Returns in June & December on Recording, Reviewing, Indexing and Weeding of Semi Current Records

S.No.	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
	Ministry of Agriculture:	
1.	Central Agmark Laboratory	02
	Ministry of Civil Aviation:	
2.	Principal Accounts Officer	02
	Ministry of Commerce & Industry:	
3.	Department of Industrial Policy & Promotion	02
4.	Directorate General of Supplies & Disposals	02
	Ministry of communications & Information Technology:	
5.	Department of Posts (Office of the Postmaster General, Central Region, Kochi)	02
	Ministry of Defence:	
6.	Regional Centre for Development of Military Airworthiness, HAL Korwa, Sultanpur	01
	Ministry of Environment & Forests	
7.	(Northern Regional Office), Chandigarh	02
	Ministry of Finance:	
8.	Office of the Salt Commissioner, Jaipur	02
	Ministry of Health & Welfare:	
09.	Central Government Health Scheme (M/O Health & Family Welfare), Mumbai	01

राष्ट्रीय अभिलेखागार

गृह मंत्रालय:

10. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	02
11. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	02
12. रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय	01

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

13. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (मध्य), कोच्चि	01
14. विकलांग पुनर्वास व्यावसायिक केन्द्र, लुधियाना	01
15. मुख्य अभियंता एवं प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर	
16. पोत परिवहन मंत्रालय	01

जल संसाधन मंत्रालय:

17. बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा, मध्य प्रदेश	02
18. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	02

ख. अन्य अभिलेख सर्जक एजेंसियां:

19. उप राष्ट्रपति सचिवालय	02
---------------------------	----

ग. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कॉर्पोरेशन :

20. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	02
21. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय)	02
22. बंगाल रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)	01
23. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (खान मंत्रालय)	02
24. वैपकोस (जल संसाधन मंत्रालय)	01

Ministry of Home Affairs:	02
10. Central Industrial Security Force	
11. Directorate General, Central Reserve Police Force	02
12. Office of the Registrar General	01
Ministry of Labour & Employment	01
13. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Kochi	
14. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ludhiana	01
15. Office of the Chief Engineer & Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair	
16. Ministry of Shipping:	01
Ministry of Water Resources:	02
17. Bansagar Control Board, Rewa, Madhya Pradesh	02
18. Upper Yamuna River Board	02
B. Other Record Creating Agencies:	
19. Vice President's Secretariat	02
C. Public Sector Undertakings/ Corporations:	
20. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum & Natural Gas)	02
21. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad (Ministry of Power)	02
22. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Ministry of Chemicals & Fertilizers)	01
23. Mineral Exploration Corporation Limited (Ministry of Mines)	02
24. WAPCOS (Ministry of Water Resources)	01

अनुलग्नक-III

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

क्र.सं. अभिलेख सर्जक एजेंसी का नाम

प्राप्त छमाही विवरणियों की संख्या

1. रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, सुल्तानपुर (रक्षा मंत्रालय)	01
2. खान मंत्रालय	01
ग. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम:	
3. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	02
4. वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय)	01
5. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय)	01
6. बंगाल रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)	01

Annexure—III

List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Returns in June & December on Downgrading of classified files (Blue indicates positive response; no. of reports received to be added)

S.No.	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
1.	Defence Research Development Organisation, Sultanpur (Ministry of Defence)	01
2.	Ministry of Mines	01
C.	Public Sector Undertakings/ Corporations:	
3.	Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai (Ministry of Petroleum & Natural Gas)	02
4.	WAPCOS Limited, New Delhi (Ministry of Water Resource)	01
5.	National Hydroelectric Power Corporation Limited(NHPC), Faridabad (Ministry of Power)	01
6.	Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata (Ministry of Chemicals & Fertilizers)	01

अनुलग्नक-IV

वर्ष 2011 में पांच दिवसीय अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभिलेख अधिकारियों के नाम
क. राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में दिनांक 17 से 21 जनवरी, 2011 तक आयोजित 96वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

क्र.सं.	नाम व पदनाम	प्रायोजित संस्थान का ब्यौरा
1.	श्री डी.डी. गजमिये, सहायक निदेशक (धातु) ग्रेड-1,	एमएसएमई विकास संस्थान, एमएसएमई मंत्रालय 10, औद्योगिक एस्टेट पोलोग्राउंड, इंदौर-452015
2.	श्री धनंजय राधके, कार्यालय अधीक्षक	एमएसएमई विकास संस्थान, एमएसएमई मंत्रालय 10, औद्योगिक एस्टेट पोलोग्राउंड, इंदौर-452015
3.	श्री ई. गोविंद स्वामी, वरिष्ठ क्लर्क, सतर्कता विभाग	रेल व्हील फैक्टरी, (रेल मंत्रालय) महाप्रबंधक कार्यालय, कार्मिक शाखा, येलाहंका, बंगलौर-560106
4.	श्री रॉय सैम्युअल, अनुभाग अधिकारी	अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष भवन, नई बेल रोड, बंगलौर-560094
5.	श्री अशोक पुटाटुंडा, अनुभाग अधिकारी	भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, 4, राजा एस.सी. मुल्लोक रोड, जादवपुर, कोलकाता-700032
6.	श्री ए. स्टीफेंसन, प्रमुख कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लिक्वड प्रोपलेशन सिस्टम्स सेंटर, अंतरिक्ष विभाग, वालियामाला डाकघर, तिरुवनंतपुरम-895547
7.	श्री के.एन. हरि, प्रशासनिक अधिकारी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लिक्वड प्रोपलेशन सिस्टम्स सेंटर, अंतरिक्ष विभाग, वालियामाला डाकघर, तिरुवनंतपुरम-895547
8.	सुश्री नीलम गौड़, सहायक प्रबंधक	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय. छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई 400099
9.	श्री जे.के. माहेश्वरी, अनुभाग अधिकारी (प्रशा.)	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल-462011

ANNEXURE—IV

Name of Records Officers who have Attended Five-day Orientation Courses on Records Management in 2011
Sponsoring Authority (in alphabetical order)

A. 96th Orientation Course in Records Management from 17th to 21st January, 2011 held at National Archives of India, Regional Office Bhopal.

S.No.	Name & Designation	Details of the sponsoring Institution
1.	Shri D.D. Gajmiye, Assistant Director (Metal) Grade-I,	MSME Development Institute, Ministry of MSME 10, Industrial Estate Pologround, Indore-452015
2.	Shri Dhananjay Radke, Office Supdt.	MSME Development Institute, Ministry of MSME 10, Industrial Estate Pologround, Indore-452015
3.	Shri E.Govind Swamy, Sr. Clerk, Vigilence Department	Rail Wheel Factory, (Ministry of Railways) General Manager's Office, Personnel Branch, Yelahanka, Bangalore-560106.
4.	Shri Roy Samuel, Section Officer	Department of Space, Antariksh Bhavan, New Bel Road, Bangalore-560094
5.	Shri Asok Putatunda, Section Officer	Indian Institute of Chemical Biology, 4, Raja S.C. Mullok Road, Jadavpur, Kolkata-700032.
6.	Shri A. Stephenson, Head Personnel & General Administration	Sr. Administrative Officer Liquid Propulsion Systems Centre, Department of Space, Valiamala P.O., Thiruvananthapuram-895547
7.	Shri K.N. Hari, Administrative Officer	Sr. Administrative Officer Liquid Propulsion Systems Centre, Department of Space, Valiamala P.O., Thiruvananthapuram-895547
8.	Ms. Neelam Gaur, Asstt. Manager	Airport Authority of India, Western Region Hqrs. Chhatrapati Shivaji International Airport Mumbai-400099.
9.	Shri J.K. Maheshwari, Section Officer (Admn.)	Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Bhopal-462011.

10.	श्री एम.एल. सियोटे, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, नबी बाग, बैरसिया रोड, भोपाल-462038
11.	श्री एस. केरकेटा, ओएस- I/सीएमडी कार्यालय/एसईसीआर	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय. एसईसी रेलवे, कैम्पटी रोड, नागपुर-440004 (महाराष्ट्र)
12.	श्री धर्मा राव ओएस- I/सीएमएस कार्यालय/एनजीपी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय. एसईसी रेलवे, कैम्पटी रोड, नागपुर-440004 (महाराष्ट्र)
13.	श्री डी.के. धर, ओएस- II/सीएमएस कार्यालय/बीएसपी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय एसईसी रेलवे, कैम्पटी रोड, नागपुर-440004 (महाराष्ट्र)
14.	श्री कोठारी, एसपीओ-सीआरडब्ल्यूएस, भोपाल कारखाना	कार्यालय, कार्मिक शाखा, इंदिरा मार्केट, जबलपुर
15.	श्री अदलखा, एपीओ-मुख्यालय मुख्यालय	कार्यालय, कार्मिक शाखा, इंदिरा मार्केट, जबलपुर
16.	श्री चटर्जी, एपीओ-बीपीएल भोपाल मंडल	कार्यालय, कार्मिक शाखा, इंदिरा मार्केट, जबलपुर
17.	श्री तिवारी, एपीओ- जबलपुर मंडल	कार्यालय, कार्मिक शाखा, इंदिरा मार्केट, जबलपुर
18.	श्री राजेन्द्र सिंह, टी-6, एनआरसीएएफ, झांसी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली -110114
19.	श्री के संजीव, एएओ, डीसीआर, पुत्तूर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली -110114
20.	श्री ए.ए. गोस्वामी एएओ, डीएसआर (एनआरसी सोयाबीन), इंदौर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली -110114
21.	श्री एस.एल. हैदराबाद, एएओ, एनआरसी खरपतवार विज्ञान, जबलपुर इंदौर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली -110114

10.	Shri M.L. Siyote, Asstt. Administrative Officer	Central Institute of Agricultural Engineering, Nabi Bagh, Berasia Road, Bhopal-462038.
11.	Shri S.Kerketta, OS-I/CMD Office/SECR	Office of the Chief Medical supdt. SEC Railway, Kamptee Road, Nagpur-440004,(Maharashtra)
12.	Shri Dharma Rao, OS-I/CMS Office/NGP	Office of the Chief Medical supdt. SEC Railway, Kamptee Road, Nagpur-440004,(Maharashtra)
13.	Shri D.K. Dhar, OS-II/CMS Office/BSP	Office of the Chief Medical supdt. SEC Railway, Kamptee Road, Nagpur-440004,(Maharashtra)
14.	श्री कोठारी, SPO-CRWS, भोपाल कारखाना	कार्यालय, कार्मिक शाखा, इंदिरा मार्केट, जबलपुर
15.	श्री अदलखा, APO-HQ मुख्यालय	कार्यालय, कार्मिक शाखा, इंदिरा मार्केट, जबलपुर
16.	श्री चटर्जी, APO-BPL भोपाल मंडल	कार्यालय, कार्मिक शाखा, इंदिरा मार्केट, जबलपुर
17.	श्री तिवारी, APO-JBP जबलपुर मंडल	कार्यालय, कार्मिक शाखा, इंदिरा मार्केट, जबलपुर
18.	Shri Rajender Singh, T-6, NRCAF, Jhansi	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi 114.
19.	Shri K. Sanjeeva, AAO, DCR, Puttur	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi 114.
20.	Shri A.A. Goswami, AAO, DSR (NRC Soyabean), Indore	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi 114.
21.	Shri S.L. Hydrabad, AAO, NRC Weed Science, Jabalpur Indore	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi 114.

22.	श्री एम.के. सोनी, अनुभाग अधिकारी (स्थापना)	कार्यालय प्रमुख सुरक्षा पेपर मिल, होशंगाबाद - 461005 (मध्य प्रदेश)
23.	श्री के.ए. कुरैशी, महाप्रबंधक के निजी सचिव	कार्यालय प्रमुख सुरक्षा पेपर मिल, होशंगाबाद - 461005 (मध्य प्रदेश)

ख. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में दिनांक 14 से 18 जनवरी, 2011 तक आयोजित 97वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

24.	श्री एस.सी. शर्मा, कार्यालय (एचआर) धौलीगंगा पॉवर स्टेशन	एनएचपीसी लिमिटेड एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर : 33, फरीदाबाद हरियाणा-121 003.
25.	श्री स्वामी राज, एएओ, दुलहस्ती पॉवर स्टेशन	एनएचपीसी लिमिटेड एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर:33, फरीदाबाद हरियाणा-121 003.
26.	श्री प्रेम चंद, वरिष्ठ सहायक	एनएचपीसी लिमिटेड एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर : 33, फरीदाबाद हरियाणा-121 003.
27.	श्री बिनय सतपथी, कनिष्ठ कार्यपालक (पीएंडए)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110 003
28.	श्री बी. संतोष पटनाइक कनिष्ठ कार्यपालक (एचआर)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110 003
29.	श्री संजय पी. प्रजापति, कनिष्ठ कार्यपालक (पीएंडए)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110 003
30.	श्री दिनेश कुमार औदिकिया	वैगन मरम्मत कार्यशाला झांसी एन.सी.आर. रेलवे (डब्ल्यू/एस) झांसी

22.	Shri M.K. Soni, Section Officer (Establishment)	Head of the Office Security Paper Mill, Hoshangabad – 461005 (M.P.)
23.	Shri K.A. Quraishi, PS to General Manager	Head of the Office Security Paper Mill, Hoshangabad – 461005 (M.P.)

B. 97th Orientation Course in Records Management from 14th to 18th February, 2011 held at National Archives of India, New Delhi.

24.	Shri S.C. Sharma, Officer (HR)Dhauliganga Power Station	NHPC Ltd. NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad Haryana-121 003.
25.	Shri Swami Raj, AAO,Dulhasti Power Station	NHPC Ltd. NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad Haryana-121 003.
26.	Shri Prem Chand, Sr. Asstt.	NHPC Ltd. NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad Haryana-121 003.
27.	Shri Binay Satpathy, Junior Executive (P&A)	Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhavan, Safdarjung Airport, New Delhi-110 003.
28.	Shri B.Santosh Patnaik, Junior Executive (HR)	Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhavan, Safdarjung Airport, New Delhi-110 003.
29.	Shri Sanjay P. Prajapati, Junior Executive (P&A)	Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhavan, Safdarjung Airport, New Delhi-110 003.
30.	Shri Dinesh Kumar Audichya.	Wagon Repair Workshop Jhansi N.C R.railway. (W/S) Jhansi

31.	श्रीमती बिंदया के.आर., प्रशासनिक अधिकारी	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान अंतरिक्ष विभाग (डीओएस), वालियामाला डाकघर तिरुवनंतपुरम-695547 केरल
32.	श्री उमेश गुप्ता, अनुभाग अधिकारी (जी), विभागीय रिकार्ड अधिकारी	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, डा. के.एस. कृष्ण रोड, नई दिल्ली.110 012
33.	डा. एन.एस. अजाद ठाकुर, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी, आईसीएआर, एनईएच, बारापानी	कृषि अनुसंधान, कृषि भवन, नई दिल्ली - 114
34.	श्री बहादुर राम, एएओ, पीपीकेएस, अल्मोड़ा	कृषि अनुसंधान, कृषि भवन, नई दिल्ली - 114
35.	श्री जोहान्स वाहलंग, टी-6, जेडपीडी, बारापानी	कृषि अनुसंधान, कृषि भवन, नई दिल्ली - 114
36.	श्री गौतम मजूमदार, सहायक सचिव	दिल्ली महिला आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दूसरा तल, सी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली
37.	श्री प्रवेश चंद, अनुभाग अधिकारी (सामान्य)	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद)

ग. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में दिनांक 20 से 24 जून, 2011 तक आयोजित 98वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

38.	सुजीत श्री कुमार, एएम (एचआर), टीएलडीपी- IV	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121003 (हरियाणा)
39.	श्री रूपन रंजन, अधिकारी (एचआर), ईडी-सिलीगुड़ी	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121003 (हरियाणा)
40.	सुश्री वीणा बेदी, ओएस, आरएमडी (सीओ)	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121003 (हरियाणा)

31.	Smt. Bindya K.R., Administrative Officer	Indian Institute of Space Science and Technology Department of Space (DOS) Valiamala P.O. Thiruvananthapuram-695547 Kerala
32.	Shri Umesh Gupta, Section Officer (G), Departmental Record Officer.	National Physical Laboratory, Dr. K.S. Krishnan Road, New Delhi-110 012
33.	Dr. N.S. Azad Thakur, Pr. Sci. & Incharge, ICAR, NEH, Barapani	Agricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi-114
34.	Shri Bahadur Ram, AAO, VPKAS, Almora	Agricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi-114
35.	Shri Johannes Wahlang, T-6, ZPD, Barapani	Agricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi-114
36.	Shri Gautam Majumdar, Asstt. Secretary	Delhi Commission for Women Govt. of NCT of Delhi, 2 nd Floor, C-Block, Vikas Bhawan, I.P. Extension, New Delhi
37.	Shri Pravesh Chand, Section Officer (Gen.)	Indian Institute of Petroleum (Council of Scientific & Industrial Research)

C. 98th Orientation Course in Records Management from 20th to 24th June, 2011 held at National Archives of India, New Delhi.

38.	Sujit Shri Kumar, AM (HR), TLDP- IV	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., N.H.P.C. Office Complex, Sector-33, Faridabad - 121 003 (Haryana).
39.	Shri Rupan Ranjan, Officer (HR) ED- Silliguri	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., N.H.P.C. Office Complex, Sector-33, Faridabad - 121 003 (Haryana).
40.	Ms. Veena Bedi, OS, RMD (CO)	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., N.H.P.C. Office Complex, Sector-33, Faridabad - 121 003 (Haryana)

राष्ट्रीय अभिलेखागार

41.	श्री आर.के. तिवारी, अवर सचिव आईएससीएस	भारत सरकार अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय, विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली
42.	श्री विलियम एंड्र, अनुभाग अधिकारी ओआरजीआई	गृह मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, इंडिया सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110006
43.	श्री हत्ती राम मीणा	जनगणना संचालन निदेशालय गृह मंत्रालय, सी विंग, पशुपत भवन, मदनगिर, नई दिल्ली - 110062
44.	श्री धर्म पाल, कार्यालय अधीक्षक	रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 2.ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली
45.	श्री गौतम कुमार यादव, अनुभाग अधिकारी	महिला और बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
46.	श्री रामकेश, सहायक निदेशक	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्रीय संचालन प्रभाग) पूर्वी ब्लॉक-6, लेवल 4-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-66
47.	श्री मेघराज सिंह यादव, सहायक ट्रांसपोर्ट प्रबंधक / एफओआईएस	उत्तरी रेलवे मुख्यालय, कार्यालय बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली
48.	श्री जगदीश कुमार, अनुभाग अधिकारी	नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 14 ब्लॉक, जीसीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली:110003
49.	श्री हरीश कुमार, सहायक प्रबंधक (पुस्तकालय)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110 003
50.	श्रीमती वंदना परांजपे, अनुभाग अधिकारी	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली

घ. राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुडुचेरी में दिनांक 8 से 12 अगस्त, 2011 तक आयोजित 99वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

51.	श्री आर. खंडवाल, वरिष्ठ अधिकारी (कार्मिक)	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मणलि, चेन्नई-600 068
52.	श्री बी. शिवकुमार, कार्यालय अधीक्षक	सहायक निदेशक, जनगणना संचालन गृह मंत्रालय, भारत सरकार 250, दूसरा तल, जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट पुडुचेरी-605001.

National Archives of India

41.	Shri R.K. Tiwari, Under Secretary ISCS	Government of India Inter State Council Secretariat, Vigyan Bhavan Annexe, New Delhi
42.	Shri William Aind, Section Officer ORGI,	Ministry of Home Affairs/ Grih Mantralya Office of the Registrar General, India Sewa Bhawan R. K. Puram, New Delhi-11006
43.	Shri Hatti Ram Meena	Directorate of Census Operations Ministry of Home Affairs/ Grih Mantralya Cwing, Pushpa Bhawn, Madangir, New Delhi-110062
44.	Shri Dharam Pal, Office Superintendent	Registrar General of India 2-A, Mansingh Road, New Delhi
45.	Shri Gautam Kumar Yadav, Section Officer	Ministry of Women & Child Development Shastri Bhawan, New Delhi
46.	Shri Ramkesh, Assistant Director	Ministry of Statistics and Programme Implementation National Sample Survey Office, Field Operation Division)East Block-6, Level4.-7, R. K. Puram New Delhi-66
47.	Shri Meghraj Singh Yadav, Assistant Transport Manager/FOIS	Northern Railway HDQRTS, Office Baroda House New Delhi
48.	Shri Jagdish Kumar, Section Officer	Ministry of New & Renewal 14 Block CGO Complex Lodhi Road, New Delhi-110003
49.	Shri Harish Kumar, Assistant Manager (Library)	Airports Authority of India Rajiv Gandhi Bhawan, safdarjung Airport New Delhi-110003
50.	Smt. Vandana Paranjpe, Section Officer	National Commission for Women, New Delhi

D. 99nd Orientation Course in Records Management from 8th to 12th August, 2011 held at National Archives of India, Records Centre (Southern Zone), Puducherry.

51.	Shri R.Kandaval, Sr. Officer (Personnel)	Chennai Petroleum Corporation Ltd., Manali, Chennai-600 068
52.	Shri B. Sivakumar, Office Superintendent	Asstt. Director of Census Operations Ministry of Home Affairs Government of India 250, IInd Floor, Jawaharlal Nehru Street, Puducherry-605001.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

53.	श्री टी.पी. राजागोपालन, कार्यालय अधीक्षक	निदेशक गृह मंत्रालय, भारत सरकार जनगणना संचालन निदेशालय, केरल सीजीओ कॉम्पलैक्स, पूनकुलम, वेल्लायणी (डाकघर) तिरुवनंतपुरम-695522
54.	श्री ए. भांकरा, सुब्रामन्या, एस.आई. ग्रेड. II	सहायक निदेशक एवं मुख्यालय गृह मंत्रालय, भारत सरकार जनगणना संचालन निदेशालय, कर्नाटक ईएंडएफ विंग, 7वां तल, केन्द्रीय सदन, कोरामंगला, बैंगलोर-560034
55.	श्रीमती फ्लोरा एस. सेक्यूरिया, एस.आई. ग्रेड. I	उप निदेशक गृह मंत्रालय, भारत सरकार जनगणना संचालन निदेशालय, गोवा जनगणना भवन, प्लॉट नं. 22, ईडीसी कॉम्पलैक्स, पाट्टो, पणजी, गोवा-403001
56.	श्री मोरे वर एस. सावंत, मुख्य अधीक्षक	सहायक प्रबंधक - प्रशिक्षण और प्रशिक्षु विद्यालय कार्मिक विभाग गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वादेम हाउस, वास्को, गोवा
57.	श्री निखिल पी. कुलकर्णी, जेएसओ विभागीय अभिलेख अधिकारी	सहायक निदेशक राष्ट्रीय खान मजदूर स्वास्थ्य संस्थान, जेएनएआरडीडीसी कैम्पस, वाडी पुलिस स्टेशन के सामने, अमरावती रोड, वाडी, नागपुर-440 023
58.	श्री चर्चिल, कार्यालय अधीक्षक	निदेशक जनगणना संचालन निदेशालय, अंड. व निका. द्वीप समूह गृह मंत्रालय, भारत सरकार पहला तल, राज्य विद्युत आपदा प्रबंधन भवन, वीआईपी रोड, पोर्ट ब्लेयर-744103 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
59.	श्री के.कुमार अय्यर, अधीक्षक	अधीक्षक अभियंता, चेन्नई सेंट्रल सर्किल-II, ए विंग, प्रथम तल, सं. 26, हैडोज रोड, चेन्नई-600006

53.	Shri T.P. Rajagopalan, Office Superintendent	Director Ministry of Home Affairs Government of India Directorate of Census Operations, Kerala CGO Complex, Poonkulam, Vellayani (P.O.) Thiruvananthapuram-695522
54.	Shri A. Shankara, Subramanya, S.I. Gr.II	Assistant Director & Head of Office Ministry of Home Affairs Government of India Directorate of Census Operations, Karnataka, E&F Wing, 7 th Floor, Kendriya Sadan, Koramangala, Bangalore-560034.
55.	Smt. Flora S. Sequeira, S.I. Gr.I	Deputy Director Ministry of Home Affairs Government of India Directorate of Census Operations, Goa, Census House, Plot No.22 EDC Complex, Patto, Panaji, Goa-403001.
56.	Mr. Moreswar S. Sawant, Chief Superintendent	Assistant Manager-Training & Apprentice School Personnel Department Goa Shipyard Ltd. Vadem House, Vasco, Goa
57.	Shri Nikhil P. Kulkarni, JSO Departmental Record Officer	Assistant Director National Institute of Miners' Health, JNARDDC Campus, Opp. Wadi Police Station, Amarawati Road, Wadi, Nagpur-440 023
58.	Shri Churchill, Office Superintendent	Director Directorate of Census Operations, A&N Islands, Ministry of Home Affairs Government of India 1st Floor, State Electricity Disaster Management Building, VIP Road, Port Blair-744103. Andaman & Nicobar Is
59.	Shri K.Kumar Iyer, Superintendent	The Superintending Engineer, Chennai Central Circle-II, A Wing 1st Floor, No.26, Haddows Road, Chennai-600006

राष्ट्रीय अभिलेखागार

60.	श्री ए. सुंदराज, अनुभाग अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी, सीएसआईआर मद्रास कॉम्प्लैक्स, सीएसआईआर कैम्पस, तारामणि, चेन्नई-600113
61.	श्री चार्ल्स इक्का, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य पालन संस्थान प्रौद्योगिकी, सीआईएफटी जंक्शन, मत्स्यपुरी, केरल डाकघर कोचीन-682029
62.	श्रीमती पुष्पलता, विश्वाम्बरन सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य पालन संस्थान प्रौद्योगिकी, सीआईएफटी जंक्शन, मत्स्यपुरी, केरल डाकघर कोचीन-682029
63.	श्री आर. शिवारामाकृष्णन अधीक्षण अधिकारी	सहायक निदेशक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, 572, एचआईजी फ्लैट, अशोक नगर, लॉसपेट, पुदुचेरी-605008
64.	श्री पी. शनमुगम अधीक्षण अधिकारी	सहायक निदेशक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, 572, एचआईजी फ्लैट, अशोक नगर, लॉसपेट, पुदुचेरी-605008
65.	श्री आर. महेश कुमार सहायक प्रबंधक	सचिव प्रभारी, रबड़ बोर्ड, एस्टेट कोर्टायम-2, केरल
66.	श्री एस.के. श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासन कार्यालय	निदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास, स्थापना डीआरडीओ कॉम्प्लैक्स, सी.वी. रमन नगर, बैंगलोर-560093
67.	श्री पी. कुप्पुस्वामी, वरिष्ठ प्रशासन सहायक	निदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास, स्थापना डीआरडीओ कॉम्प्लैक्स, सी.वी. रमन नगर, बैंगलोर-560093

60.	Shri A. Sundaraj, Section Officer	The Administrative Officer, CSIR Madras Complex, CSIR Campus, Taramani, Chennai-600113
61.	Shri Charles Ekka Sr. Administrative Officer	The Senior Administration Officer, Central Institute of Fisheries Technology, CIFT Junction, Matsyapuri, Kerala P.O. Cochin-682029
62.	Smt. Pushpalatha Viswambharan, Assistant Admn. Officer,	The Senior Administration Officer, Central Institute of Fisheries Technology, CIFT Junction, Matsyapuri, Kerala P.O. Cochin-682029
63.	Shri R.Sivaramakrishnan Superintending Officer	The Assistant Director, National Sample Survey Orgn, 572, HIG Flat, Ashok Nagar, Lawspet, Puducherry-605008
64.	Shri P. Shanmugam Superintending Officer	The Assistant Director, National Sample Survey Orgn, 572, HIG Flat, Ashok Nagar, Lawspet, Puducherry-605008
65.	Shri R.Mahesh Kumar Asstt.Manager	The Secretary-in-charge, Rubber Board, Estat Kottayam-2, Kerala
66.	Shri S.K. Srivastava, Chief Administration Office	The Director Electronics & Rader Development, Establishment DRDO Complex, C.V. Raman Nagar, Bangalore-560093.
67.	Shri P. Kuppuswamy, Senior Admn. Asstt.	The Director Electronics & Rader Development, Establishment DRDO Complex, C.V. Raman Nagar, Bangalore-560093.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

68.	श्री आर.टी. मांडेकर, उप निदेशक, खान सुरक्षा, चेन्नई क्षेत्र (एसजेड), चेन्नई	उप निदेशक, खान सुरक्षा (मुख्यालय) श्रम और रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद-826 016
69.	श्री के. महेन्द्र, कार्यालय अधीक्षक	सहायक निदेशक, जनगणना संचालन निदेशक का कार्यालय, (गृह मंत्रालय), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद-020
70.	श्री के. भाक्ति कुमार, सहायक निदेशक	उप निदेशक, खान सुरक्षा (मुख्यालय) श्रम और रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद-826 016

ड. राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110001 में दिनांक 12 से 16 सितंबर, 2011 तक आयोजित 100वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

71.	श्री भौलेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, ईडीसीआईएल	ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, ईडीसीआईएल हाउस, 18ए, सेक्टर 16ए, नौएडा.201301 फैक्स नं. 0120-2515372
72.	श्री परम देव, जिरोक्स ऑपरेटर	राइट्स लिमिटेड, राइट्स भवन नं. 1, सेक्टर-29, गुडगांव-122 001 फैक्स नं. 0124-25711666
73.	श्री हंस राज, कार्यालय अधीक्षक	गृह मंत्रालय, जनगणना भवन, प्लॉट नं. 2-बी, मध्य प्रदेश, सेक्टर-19ए, पोस्ट बॉक्स नं. 764, चंडीगढ़-160019. फैक्स नं. 0172-2542106
74.	श्री एम.आर. भट्ट, कार्यालय अधीक्षक	गृह मंत्रालय, जनगणना संचालन निदेशक का कार्यालय, बिशेम्बर नगर, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर-190001 फैक्स नं. 0194-2477022

68.	Shri R.T. Mandekar, Deputy Director of Mines Safety, Chennai Region, (SZ), Chennai	Deputy Director of Mines Safety (HQ) Ministry of Labour & Employment, Directorate General of Mines Safety, Dhanbad-826 016
69.	Shri K. Mahender, Office Superintendent	Assistant Director Office of the Director of Census Operations,(Ministry of Home Affairs), Andhra Pradesh, Hyderabad-020.
70.	Shri K. Sakthi Kumar, Assistant Director	Deputy Director of Mines Safety (HQ) Ministry of Labour & Employment, Directorate General of Mines Safety, Dhanbad-826 016

E. 100th Orientation Course in Records Management from 12th to 16th September, 2011 held at National Archives of India Janpath New Delhi-110001

71.	Shri Shailendra Sharma, Junior Supervisor of Ed.CIL	EdCIL (India) Ltd., Ed.CIL House, 18A, Sector 16A, Noida-201301 Fax. No. 0120-2515372
72.	Shri Param Dev, Xerox Operator	RITES Ltd., RITES Bhawan, No.1, Sector-29, Gurgaon-122 001. Fax.No. 0124-25711666
73.	Shri Hans Raj, Office Superintend	Ministry of Home Affairs, Janganana Bhawan, Plot No. 2-B, Madhya Marg, Sector-19A, Post Box No. 764, Chandigarh-160019. Fax. No. 0172-2542106
74.	Shri M.R. Bhat, Office Superintendent	Ministry of Home Affairs, Office of the Director of Census Operations, Bishember Nagar, Srinagar, J&K-190001. Fax. No. 0194-2477022

राष्ट्रीय अभिलेखागार

75.	श्री आर.डी. कामतेकर, परीक्षक, ट्रेड मार्क एंड जीआई	पेटेन्ट्स महानियंत्रक का कार्यालय, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आईपीओ बिल्डिंग, बौद्धिक संपदा भवन, एस.एम. रोड, एनटोप हिल, मुंबई-400 037 फैक्स नं. 022-24123322
76.	श्रीमती जयंती सेन, परीक्षक, ट्रेड मार्क एंड जीआई	पेटेन्ट्स महानियंत्रक का कार्यालय, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आईपीओ बिल्डिंग, बौद्धिक संपदा भवन, एस.एम. रोड, एनटोप हिल, मुंबई-400 037 फैक्स नं. 022-24123322
77.	श्री आर.एस. क शणन, परीक्षक, ट्रेड मार्क एंड जीआई	पेटेन्ट्स महानियंत्रक का कार्यालय, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आईपीओ बिल्डिंग, बौद्धिक संपदा भवन, एस.एम. रोड, एनटोप हिल, मुंबई-400 037 फैक्स नं. 022-4123322
78.	श्री जय प्रकाश, परीक्षक, ट्रेड मार्क एंड जीआई	पेटेन्ट्स महानियंत्रक का कार्यालय, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आईपीओ बिल्डिंग, बौद्धिक संपदा भवन, एस.एम. रोड, एनटोप हिल, मुंबई-400 037 फैक्स नं. 022-24123322
79.	श्री सिकंदर सिंह परीक्षक, ट्रेड मार्क एंड जीआई	पेटेन्ट्स महानियंत्रक का कार्यालय, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आईपीओ बिल्डिंग, बौद्धिक संपदा भवन, एस.एम. रोड, एनटोप हिल, मुंबई-400 037 फैक्स नं. 022-24123322

75.	Shri R.D. Kamtekar, Examiner of Trade Marks & GI	Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Ministry of Commerce & Industry, IPO Building, Boudhik Sampada Bhavan, S.M. Road, Antop Hill, Mumbai-400 037. Fax. No. 022-24123322
76.	Smt. Jayanti Sen, Examiner of Trade Marks & GI	Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Ministry of Commerce & Industry, IPO Building, Boudhik Sampada Bhavan, S.M. Road, Antop Hill, Mumbai-400 037. Fax. No. 022-24123322
77.	Shri R.S. Krishnan, Examiner of Trade Marks & GI	Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Ministry of Commerce & Industry, IPO Building, Boudhik Sampada Bhavan, S.M. Road, Antop Hill, Mumbai-400 037. Fax. No. 022-24123322
78.	Shri Jai Prakash, Examiner of Trade Marks & GI	Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Ministry of Commerce & Industry, IPO Building, Boudhik Sampada Bhavan, S.M. Road, Antop Hill, Mumbai-400 037. Fax. No. 022-24123322
79.	Shri Sikander Singh, Examiner of Trade Marks & GI	Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Ministry of Commerce & Industry, IPO Building, Boudhik Sampada Bhavan, S.M. Road, Antop Hill, Mumbai-400 037. Fax. No. 022-24123322

80.	श्री ब्रह्म प्रकाश, उप प्रबंधक (प्रशासन)	प्रशिक्षण सेल, बीएसएनएल कंपनी भारत संचार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110 001. फैक्स नं. 011-23711544
81.	श्री आशीष भूरिया, वैज्ञानिक 'ग'	रक्षा वैज्ञानिक सूचना और दस्तावेज केन्द्र (डीईएसआईडीओसी), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मेटकाफ हाउस, दिल्ली-110 054 फैक्स नं. 011-2390250
82.	श्री ए.के. बिसवास, उप प्रबंधक (सिविल)	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोर-5, स्कोप कॉम्प्लैक्स-7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003 फैक्स नं. 011-24360464
83.	श्री शिव कुमार कार्यालय अधीक्षक	जनगणना संचालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, गृह मंत्रालय, हिमाद्री ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लॉगवुड, शिमला-171 001 फैक्स नं. 011-2651419
84.	श्रीमती वीना खेड़ा, कनिष्ठ अधिकारी, पीई-यांत्रिक	एनटीपीसी लिमिटेड, विद्युत प्रबंधन संस्थान, प्लॉट नं. 5-14, सेक्टर 16ए, नोएडा (उ.प्र.) फैक्स नं. 0120-2517910
85.	श्रीमती सुशमा कुमारी, कनिष्ठ कार्यपालक, आरएमके	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 1, अबुल फैजल रोड, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110 001. फैक्स नं. 011-23354621
86.	श्री रामकृष्णा पी, तकनीकी अधिकारी 'क'	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार विकास स्थापना, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, पी.बी.9324, सी.वी. रमन नगर, बैंगलोर-560093

80.	Shri Brahm Prakash, Deputy Manager (Admn.)	Training Cell, BSNL Co. Bharat Sanchar Bhavan, Janpath, New Delhi-110 001. Fax. No. 011-23711544
81.	Shri Aashish Bhuria, Sc. 'C'	Defence Scientific Information & Documentation Centre (DESIDOC), Defence Research and Development Organisation, Metcalfe House, Delhi-110 054. Fax. No. 011-2390250
82.	Shri A.K. Biswas, Deputy Manager (Civil)	Cement Corporation of India Ltd. Core-5, Scope Complex -7, Lodhi Road, New Delhi-110 003 Fax. No. 011-24360464
83.	Shri Shiv Kumar Office Superintendent	Directorate of Census Operations, Himachal Pradesh, Ministry of Home Affairs Himadri Block, CGO Complex, Longwood, Shimla-171 001. Fax. No. 011-2651419
84.	Smt. Veena Khera, Jr. Officer, PE-MECH	NTPC Ltd., Power Management Institute, Plot No.5-14, Sector 16A, Noida (U.P.) Fax. No. 0120-2517910
85.	Smt. Sushma Kumari, Junior Executive, RMK	Ministry of Women and Child Development, Government of India, 1, Abul Fazal Road, Bengali Market, New Delhi-110 001. Fax. No. 011-23354621
86.	Shri Ramakrishna P, Technical Officer 'A'	Electronics & Radar Development Establishment, Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, P.B.9324, C.V. Raman Nagar, Bangalore-560093.

87.	श्रीमती परमेश्वर, प्रबंधक (सामान्य)	भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली, 16-20, बाराखंभा लेन, नई दिल्ली-110 001ए
88.	श्री आर. चंद्रा, सहायक प्रबंधक, कोलकाता	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121 003 फैक्स नं. 0129-2277941 / 2273740
89.	श्री भारत भूषण, अधिकारी (एचआर), मणिपुर	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121 003 फैक्स नं. 0129.2277941 / 2273740
90.	श्रीमती रजनी सतीश महाले, कार्यालय अधीक्षक	जनगणना संचालन निदेशालय, महाराष्ट्र एक्सचेंज बिल्डिंग, दूसरा तल, श्री शिवसागर रामुलम मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400001 फैक्स नं. 022-22691266

च. राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110001 में दिनांक 17 से 21 अक्टूबर, 2011 तक आयोजित 101वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

91.	श्री परम देव, जिरोक्स ऑपरेटर	राइट्स लिमिटेड, राइट्स भवन, नं. 1, सेक्टर-29, गुडगांव-122 001 फैक्स नं. 0124-2571660
92.	श्री एस.क्यू.जे. अहमद, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 5वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110 003
93.	श्री के.सी. बहुगुणा, उप निदेशक	जनगणना संचालन निदेशालय, उत्तराखंड, गृह मंत्रालय, अभिलेख अनुभाग, 274, फेज-1, बसंत विहार, देहरादून फैक्स नं. 0135-2760085

87.	Smt. Parameshwar, Manager (General)	Food Corporation of India, Head Quarter, New Delhi, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001,
88.	Shri R. Chanda, Asst. Manager, Kolkata	NHPC Ltd. NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad, Haryana-121 003 Fax. No. 0129-2277941/2273740
89.	Shri Bharat Bhushan, Officer (HR), Manipur	NHPC Ltd. NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad, Haryana-121 003 Fax. No. 0129-2277941/2273740
90.	Smt. Rajani Satish Mahale, Office Superintendent	Directorate of Census Operations Maharashtra, Exchange Building, 2 nd Floor, Sir Shivsagar Ramulam Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001. Fax. No. 022-22691266

F. 101th Orientation Course in Records Management from 17th to 21th October, 2011 held at National Archives of India, Janpath New Delhi-110001

91.	Shri Param Dev, Xerox Operator	MITES Ltd., MITES Bhawan, No.1, Sector-29, Gurgaon-122 001 Fax. No. 0124-2571660
92.	Shri S.Q.J. Ahmed, Senior Research Officer	National Commission for Minorities, 5 th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110 003
93.	Shri K.C. Bahuguna, Dy. Director	Directorate of Census Operations, Uttarakhand, Ministry of Home Affairs, Records Section, 274, Phase-1, Basant Vihar, Dehradun Fax.No. 0135-2760085

94.	श्री आर.एस. मीणा उप निदेशक (प्रशासन)	जनगणना संचालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय, लेखराज मार्किट-III, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226 016 फैक्स नं. 0522-2311442
95.	श्री एस. कुंडु, सहायक नियंत्रक, पेटेंट्स एंड डिजाइन्स, साल्ट लेक, कोलकाता	पेटेंट्स महानियंत्रक, डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आईपीओ बिल्डिंग, बौद्धिक संपदा भवन, एस.एम. रोड, एनटोन हिल, मुंबई-400 037 फैक्स नं. 022-24123322
96.	श्रीमती जे. मीणा, सहायक नियंत्रक, गुंडी, चेन्नई	पेटेंट्स महानियंत्रक, डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आईपीओ बिल्डिंग, बौद्धिक संपदा भवन, एस.एम. रोड, एनटोन हिल, मुंबई-400 037 फैक्स नं. 022-24123322
97.	डॉ. कविता टॉक, सहायक नियंत्रक, पेटेंट्स एंड डिजाइन्स, द्वारका, दिल्ली	पेटेंट्स महानियंत्रक, डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आईपीओ बिल्डिंग, बौद्धिक संपदा भवन, एस.एम. रोड, एनटोन हिल, मुंबई-400 037 फैक्स नं. 022-24123322
98.	डॉ. सुनिता बेतगेरी, सहायक नियंत्रक, पेटेंट्स एंड डिजाइन्स, एनटोप हिल, मुंबई	पेटेंट्स महानियंत्रक, डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आईपीओ बिल्डिंग, बौद्धिक संपदा भवन, एस.एम. रोड, एनटोन हिल, मुंबई-400 037 फैक्स नं. 022-24123322
99.	श्री ईश्वर सिंह खंगवाल, कार्यालय अधीक्षक, जनगणना भवन, मध्य मार्ग, पंजाब	संयुक्त निदेशक, निदेशक जनगणना संचालन का कार्यालय, पंजाब गृह मंत्रालय जनगणना भवन, चंडीगढ़
100.	श्री महातम प्रसाद, कार्यालय अधीक्षक, इन्दिरा नगर, लखनऊ	ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, भारत गृह मंत्रालय, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 फैक्स नं. 001-23384852/23383761

94.	Shri R.S. Meena Deputy Director (Admn.),	Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh, Ministry of Home Affairs, Lekhraj Market-III, Indira Nagar, Lucknow-226 016. Fax. No. 0522-2311442
95.	Shri S. Kundu, Assitt. Controller of Patents & Designs, Salt Lake, Kolkata	Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Office of the Controller General of Patenets, Designs & Trade Marks, Ministry of Commerce & Industry IPO Building, Boudhik Sampada Bhavan, S.M. Road, Antop Hill, Mumbai-400 037 Fax.No. 022-24123322
96.	Smt. J. Meena, Asstt. Controller of Patents & Designs, Gundy, Chennai,	Controller General of Patents, Designs and Trade Marks Office of the Controller General of Patenets, Designs & Trade Marks, Ministry of Commerce & Industry IPO Building, Boudhik Sampada Bhavan, S.M. Road, Antop Hill, Mumbai-400 037 Fax.No. 022-24123322
97.	Dr. Kavita Taunk, Asstt. Controller of Patents & Designs, Dwarka, Delhi	Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Office of the Controller General of Patenets, Designs & Trade Marks, Ministry of Commerce & Industry IPO Building, Boudhik Sampada Bhavan, S.M. Road, Antop Hill, Mumbai-400 037 Fax.No. 022-24123322
98.	Dr. Sunita Betgeri, Asstt. Controller of Patents & Designs, Antop Hill, Mumbai	Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Office of the Controller General of Patenets, Designs & Trade Marks, Ministry of Commerce & Industry IPO Building, Boudhik Sampada Bhavan, S.M. Road, Antop Hill, Mumbai-400 037 Fax. No. 022-24123322
99.	Shri Ishwar Singh Khangwal, OS, Janganna Bhawan, Madhya Marg, Punjab	The Joint Director, Office of the Director Census Operations, Punjab. Ministry of Home Affairs/Grih Mantralya, Janganana Bhavan, Chandigarh.
100.	Shri Mahatam Prasad, OS, Indira Nagar, Lucknow	Office of the Registrar General, India, Ministry of Home Aaffairs/Grih Mantralya, Sewa Bhavan, R.K. Puram, New Delhi-110 066. Fax: No. 001-23384852/23383761

राष्ट्रीय अभिलेखागार

101.	श्री आर.पी. फाडतरे, सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	कापस भवन, प्लॉट नं. 3, सेक्टर नं. 10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614 फैक्स नं. 022-27576030
102.	श्री संतोश मुंडा, वैज्ञानिक 'सी'	रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं दस्तावेज केन्द्र (डीईएसआईडीओसी), रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मेटकॉफ हाउस, दिल्ली-110 054. फैक्स नं. 011-23902500
103.	श्री संजय नेगी, लेखा अधिकारी	रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन्स लैब, रक्षा मंत्रालय, पीबी नं. 54, रायपुर रोड, देहरादून-248001 फैक्स नं. 0135-2787290, 2787265
104.	श्री एम.आर. भट्ट	जनगणना संचालन निदेशक का कार्यालय, जम्मू व कश्मीर गृह मंत्रालय, बिशम्बर नगर, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर-190001 फैक्स नं. 01942479472/0194-2477022
105.	श्री सी.एन. विजयकुमार, प्रशासनिक अधिकारी	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार विकास स्थापना, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, पी.बी.9324, सी.वी. रमन नगर, बैंगलोर-560093 फैक्स नं. 080-25242916/25247953
106.	श्री चंदर मोहन कालिया, प्रबंधक (सिविल)	एनएचपीसी लिमिटेड एनएचपीसी कार्यालय कॉम्प्लैक्स सेक्टर-33 फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) फैक्स नं. 0129-2277941/2273740
107.	श्री मोहन लाल शर्मा, अधिकारी	एनएचपीसी लिमिटेड एनएचपीसी कार्यालय कॉम्प्लैक्स सेक्टर-33 फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) फैक्स नं. 0129-2277941/2273740

National Archives of India

101.	Shri R.P. Phadtare, Asstt. Manager (Admn.)	Kapas Bhavan, Plot No. 3A, Sector No. 10, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614 Fax. No. 022-27576030
102.	Shri Santosh Munda, Sc. 'C'	Defence Scientific Information & Documentation Centre (DESIDOC), Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Metcalf House, Delhi-110 054. Fax. No. 011-23902500
103.	Shri Sanjay Negi, Accounts Officer	Defence Electronics Applications Lab. Ministry of Defence PB No. 54, Raipur Road, Dehradun-248001. Fax. No. 0135-2787290, 2787265
104.	Shri M.R. Bhat	Office of the Director of Census Operations, J&K, Ministry of Home Affairs, Bisheembar Nagar, Srinagar, J&K-190001. Fax.No. 01942479472/ 0194-2477022
105.	Shri C.N. Vijayakumar, Admin Officer	Electronics & Radar Development Establishment, Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, P.B.9324, C.V. Raman Nagar, Bangalore -560093. Fax.No. 080-25242916/25247953
106.	Shri Chander Mohan Kalia, Manager (Civil)	NHPC Limited NHPC Office Complex Sector-33 Faridabad-121003 (Haryana) Fax: No. 0129-2277941/2273740
107.	Shri Mohan Lal Sharma, Officer	NHPC Limited NHPC Office Complex Sector-33 Faridabad-121003 (Haryana) Fax: No. 0129-2277941/2273740

राष्ट्रीय अभिलेखागार

108.	श्रीमती अरुणा धीमन	एनएचपीसी लिमिटेड एनएचपीसी कार्यालय कॉम्प्लैक्स सेक्टर-33 फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) फैक्स नं. 0129-2277941/2273740
109.	श्री अजीत सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	एनएचपीसी लिमिटेड एनएचपीसी कार्यालय कॉम्प्लैक्स सेक्टर-33 फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) फैक्स नं. 0129-2277941/2273740
110.	श्री हंस राज, कार्यालय अधीक्षक	गृह मंत्रालय, जनगणना भवन, प्लॉट नं.2-बी, मध्य मार्ग, सेक्टर-19ए, पोस्ट बॉक्स नं. 764, चंडीगढ़-160019 फैक्स नं. 0172.2542106

छ. राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में दिनांक 14 से 18 नवंबर, 2011 तक आयोजित 102वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

111.	श्री भांतनु तेलंग, अनुभाग अधिकारी/डीआरओ	सहायक आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, ई-ब्लॉक, पहला तल, पुराना सचिवालय, सुल्तानिया रोड, भोपाल
112.	श्री रजनीश चतुर्वेदी, सहायक लेखा अधिकारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी (मुख्यालय) वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा निदेशक का कार्यालय, बीएचईएल, भोपाल-462022
113.	श्रीमती रजनी सतीश महाले, कार्यालय अधीक्षक	जनगणना संचालन निदेशालय महाराष्ट्र मुंबई गृह मंत्रालय, एक्सचेंज बिल्डिंग, दूसरा तल, शिवसागर रामगुलाम मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400001

108.	Smt. Aruna Dhiman,	NHPC Limited NHPC Office Complex Sector-33 Faridabad-121003 (Haryana) Fax: No. 0129-2277941/2273740
109.	Shri Ajit Singh, Assistant Admn. Officer	NHPC Limited NHPC Office Complex Sector-33 Faridabad-121003 (Haryana) Fax: No. 0129-2277941/2273740
110.	Shri Hans Raj, Office Supdt	Ministry of Home Affairs, Janganana Bhawan, Plot No. 2-B, Madhya Marg, Sector-19A, Post Box No. 764, Chandigarh-160019. Fax. No. 0172-2542106

G. 102nd Orientation Course in Records Management from 14th to 18th November, 2011 held at National Archives of India, Regional Office Bhopal.

111.	Shri Shantanu Telang, Section Officer/DRO	Subsidiary Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, E-Block, Ist Floor, Old Secretariat, Sultania Road, Bhopal
112.	Shri Rajneesh Chaturvedi Asstt. Audit Officer	Sr. Audit Officer (Hqrs.) Office of Director of Commercial Audit, BHEL, Bhopal-462022
113.	Smt. Rajani Satish Mahale, Office Superintendent	Directorate of Census Operations Maharashtra, Mumbai Ministry of Home Affairs, Exchange Building, 2 nd Floor, Shivsagar Ramgulum Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

114.	डा. सत्येन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक	जनगणना संचालन निदेशक का कार्यालय, झारखंड आईस बिल्डिंग, दूसरा तल, औद्योगिक क्षेत्र, नामकुम, रांची-834010
115.	श्री मनोज कुमार मोर्य, एस.आई. ग्रेड-II	जनगणना संचालन निदेशालय, एम.पी. जनगणना भवन, रेल रोड, भोपाल.462004
116.	श्री अजय प्रकाश उपाध्याय, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, सागर	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, डी-12, माचना कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल.462016
117.	श्री एस.आर. माहोर, सहायक कार्यपालक अभियंता	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, जल संसाधन मंत्रालय, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ए-3, सहयोग परिसर, ई-8, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.)-462 039
118.	श्री एस. चक्रवर्ती,, उप निदेशक, खान सुरक्षा, क्षेत्र सं.II, डब्ल्यूजेड, नागपुर	खान सुरक्षा महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, धनबाद
119.	श्री सुनील डी. हिंजे, उप कनिष्ठ अभियंता (तकनीकी सेवाएं)	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, (भारत सरकार का उपक्रम) रक्षा मंत्रालय, वास्को-डी-गामा, गोवा-403 802
120.	श्री अरविंद कुमार, सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II,	जनगणना संचालन निदेशालय, चंडीगढ़, गृह मंत्रालय, गोविंद सारंग परिसर, तीसरा तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर-492006. (छत्तीसगढ़)
121.	श्री राम कुमार सिंह, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	जनगणना संचालन निदेशालय, बिहार, रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, भारत, पटना

114.	Dr. Satyendra Kumar Gupta, Assistant Director	Office of the Director of Census Operations, Jharkhand Ice Building, 2 nd Floor, Industrial Area, Namkum, Ranchi-834010
115.	Shri Manoj Kumar Maurya, S.I. Gr-II	Directorate of Census Operations, M.P. Janganana Bhawan, Rail Road, Bhopal-462004.
116.	Shri Ajay Prakash Upadhyay, Field Publicity Officer, Sagar	Ministry of Information & Broadcasting, Directorate of Field Publicity, Regional Office, D-12, Machna Colony, Shivaji Nagar, Bhopal-462016
117.	Shri S.R. Mahor, Asstt. Executive Engineer	National Water Development Agency, Ministry of Water Resources Office of the Executive Engineer, Inv. Divn., A-3, Sahyog Parisar, E-8, Shahpura, Bhopal (M.P.)-462 039.
118.	Shri S.Chakraborty, Dy. Director of Mines Safety, Region No.II, WZ, Nagpur	Directorate -General of Mines Safety, Ministry of Labour & Employment, Dhanbad
119.	Shri Sunil D. Hinge, Deputy Junior Engineer (Technical Services)	Goa Shipyard Ltd., (A Government of India Undertaking), Ministry of Defence, Vasco-Da-Gama, Goa-403 802.
120.	Shri Arvind Kumar, Statistical Investigator Grade-II,	Directorate of Census Operations Chhattisgarh, Ministry of Home Affairs, Govind Sarang Parisar, IIIrd Floor, New Rajendra Nagar, Raipur-492006. (Chhattisgarh)
121.	Shri Ram Kumar Singh, Jr. Hindi Translator	Directorate of Census Operations, Bihar, O/o Registrar General, India Patna.

122.	श्री प्रकाश द्विवेदी, सहायक लेखा अधिकारी, प्रशासन-I	लेखा निदेशक कार्यालय (डाक) चौथा तल, डाक भवन, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462027
123.	श्री विनायक एम. वास्ता, मुख्य अधीक्षक (वित्त)	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, (भारत सरकार का उपक्रम), गृह मंत्रालय, वास्को-डी-गामा, गोवा-403 802
124.	श्री के.के. कार्तिकेय, आशुलिपिक ग्रेड-II	क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, पर्यावरण और वन मंत्रालय, लिंक रोड नं. 3, ई-5, रवि ांकर नगर, भोपाल
125.	श्री के.के. वर्मा, सहायक पुरातत्वविद्	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल सर्किल, जी.टी.बी. कॉम्प्लेक्स, बी-ब्लॉक, तीसरा तल, टी.टी. नगर, भोपाल
126.	श्री ओम प्रकाश, हिंदी अभिलेख अधिकारी	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय, नर्मदा सदन, सेक्टर बी, योजना सं. 74, विजय नगर, इन्दौर-452 010 (म.प्र.)
127.	श्री कमलेश कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक	पर्यावरण और वन मंत्रालय, भोपाल
128.	श्री जे.पी. गर्ग, प्रबंधक (डी)	भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, सतना
129.	श्री रमेश देवताले, कनिष्ठ लिपिक	पश्चिमी केन्द्र रेलवे, भोपाल
130.	श्री प्रमोद कुमार त्यागी, ए. ग्रेड-I (डी)	भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, ग्वालियर

122.	Shri Prakash Dwivedi, Asstt. Accounts Officer, Admn.-I	Office of the Director of Accounts (Postal) 4 th Floor, Dak Bhawan, Hoshangabad Road, Bhopal-462027
123.	Shri Vinayak M. Vasta, Chief Superintendent (Finance)	Goa Shipyard Ltd., (A Government of India Undertaking), Ministry of Defence, Vasco-Da-Gama, Goa-403 802.
124.	Shri K.K. Kartikay, Steno Grade-II	Regional Office, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhavan, Ministry of Environment & Forests, Link Road No.3, E-5, Ravishankar Nagar, Bhopal
125.	Shri K.K. Verma, Assistant Archaeologist	Archaeological Survey of India, Bhopal Circle, G.T.B. Complex, B-Block, IIIrd Floor, T.T. Nagar, Bhopa
126.	Shri Om Prakash, Hindi Abhilekh Adhikari	Narmada Control Authority, Ministry of Water Resources, Narmada Sadan, Sector B, Scheme No.74, Vijay Nagar, Indore-452 010 (M.P)
127.	Shri Kamlesh Kumar, UDC	Ministry of Env. & Forests, Bhopal.
128.	Shri J.P. Garg, Manager (D)	Food Corporation of India, Distt. Office, Satna,
129.	Shri Ramesh Deotale, Jr. Clerk	West Central Railway, Bhopal
130.	Shri Pramod Kumar Tyagi, A.Gr.I (D)	Food Corporation of India, District Office, Gwalior

राष्ट्रीय अभिलेखागार

131.	डा. एम.के. पांडे, वैज्ञानिक "ड".	इंस्ट्रुमेंट्स अनुसंधान एवं विकास स्थापना, देहरादून
------	-------------------------------------	---

ज. राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, जयपुर में दिनांक 19 से 23 दिसंबर, 2011 तक आयोजित 103वां अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम

132.	श्री ओइनम जुदिंद्रो सिंह, प्रिंटिंग अधीक्षक, पोरोमपट, इम्फाल	रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, भारत गृह मंत्रालय, सेवा भवन, आर.के. पुरम नई दिल्ली-66
133.	श्री डी. श्रीकांत, एस I ग्रेड. I, शिलांग	रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, भारत गृह मंत्रालय, सेवा भवन, आर.के. पुरम नई दिल्ली-66
134.	श्री रॉयल लेप्चा, एस I ग्रेड. II, गंगटोक, सिक्किम	रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, भारत गृह मंत्रालय, सेवा भवन, आर.के. पुरम नई दिल्ली-66
135.	डॉ. बी. दास गुप्ता, एडीसीओ, मेघालय	रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, भारत गृह मंत्रालय, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-66
136.	श्री एस.के. मंडल, उप निदेशक, खान सुरक्षा, अजमेर	खान सुरक्षा महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, धनबाद
137.	श्रीमती आशा छावड़ा (लिपिकवर्गीय)	नमक आयुक्त का कार्यालय, लवण भवन, 2-ए, लवण मार्ग, झालना डूंगरी, जयपुर-302004
138.	श्री एच.आर. दवे, कार्यालय अधीक्षक	सहायक निदेशक डाक सेवाएं (स्टॉफ) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय गुजरात सर्किल, खानपुर, अहमदाबाद-380001

131.	Dr. M.K. Pande, Scientist "E"	Instruments Research & Development Establishment, Dehradun.
------	----------------------------------	--

H. 103rd Orientation Course in Records Management from 19th to 23th December, 2011 held at National Archives of India, Record Centre Jaipur.

132.	Shri Oinam Judindro Singh, Printing Inspector, Porompat, Imphal	Office of the Registrar General, India Ministry of Home Affairs/Grih Mantralya, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-66
133.	Shri D. Srikanth, SI Gr.I, Shillong	Office of the Registrar General, India Ministry of Home Affairs/Grih Mantralya, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-66
134.	Shri Royal Lepcha, SI Gr. II, Gangtok, Sikkim	Office of the Registrar General, India Ministry of Home Affairs/Grih Mantralya, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-66
135.	Dr. B.Das Gupta, ADCO, Meghalaya	Office of the Registrar General, India Ministry of Home Affairs/Grih Mantralya, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-66
136.	Shri S.K. Mondal, Dy. Director of Mines Safety, Ajmer	Directorate –General of Mines Safety, Ministry of Labour & Employment, Dhanbad
137.	Smt. Asha Chhabra, Superintendent (Ministrial)	Office of the Salt Commissioner, Lavan Bhawan, 2-A, Lavan Marg, Jhalana Doongri, Jaipur-302004.
138.	Shri H.R. Dave, Office Supdt.	The Asstt. Director Postal Services (Staff) O/o the Chief Postmaster General Gujarat Circle, Khanpur, Ahmedabad-380001.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

139.	श्री शिव कुमार केडरे, अन्वेषक	विकास आयुक्त का कार्यालय (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय, 106/111, पहला तल, टोंक फाटक पुलिया, शहीद गाते के सामने, पेट्रोल पंप के पीछे, मानसिंहपुरा टोंक रोड, जयपुर-302018
140.	श्री क्यू.जे. अहमद, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 5वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110 003.
141.	श्री एन.पी. नामदेव, सहायक अभियंता एवं अभिलेख अधिकारी	जल संसाधन मंत्रालय, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति ए ब्लॉक, चौथा तल, नर्मदा भवन, इन्दिरा एवेन्यू, वडोदरा-390001
142.	श्री एस. शंकर, अवर सचिव, डी (ओएंडएम/पीजी)	अवर सचिव, भारत सरकार, कमरा सं.156 बी-विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110105
143.	सुश्री मुक्ता चौहान, उप निदेशक	रक्षा मंत्रालय, रक्षा आर एंड डी संगठन, कार्मिक निदेशालय, 216, 'ए' ब्लॉक, डीआरडीओ भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110105
144.	श्री महमूद अली कनिष्ठ सहायक	सांभर साल्ट्स लिमिटेड (हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी) सांभर झील, बी 427, प्रधान मार्ग, मालवीया नगर, जयपुर 302917
145.	श्री के.एल. माहवर अधीक्षक	मुख्य आयुक्त का कार्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग, झालन डूंगरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जे एल एन मार्ग, जयपुर 302004
146.	श्री जे.के. जैन वरिष्ठ टंकक	मुख्य आयुक्त का कार्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग, झालन डूंगरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जे एल एन मार्ग, जयपुर-302004

139.	Shri Shiv Kumar Kedre, Investigator	Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, 106/111, 1st Floor, Tonk Fatak Pulia, Shaheed Gatte ke samne, Petrol Pump ke Peeche, Mansinghpura Tonk Road, Jaipur-302018.
140.	Shri Sh.Q.J. Ahmed, Senior Research Officer	National Commission for Minorities, 5 th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110 003.
141.	Shri N.P. Namdeo, Assistant Engineer & Record Officer	Ministry of Water Resources, Sardar Sarovar Nirman Salahkar Samiti A Block, 4 th Floor, Narmada Bhavan, Indira Avenue, Vadodara-390001.
142.	Shri S.Sankar's, Under Secretary, D(O&M/PG)	Under Secretary to the Government of India, Ministry of Defence, Room No.156, B-Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110105.
143.	Ms. Mukta Chauhan, Dy. Director	Ministry of Defence, Defence R&D Orgn. Directorate of Personnel, 216, 'A' Block, DRDO Bhawan, Rajaji Marg, New Delhi-110105.
144.	Shri Mahmud Ali Junior Assistant	Sambhar Salts Limited (Subsidiary Company of Hindustan Salts Limited) Sambhar Lake, B 427, Pradhan Marg, Malaviya Nagar, Jaipur 302917
145.	Shri K.L. Mahvar Superintendent	Office of the Chief Commissioner, Khadi & Village Industries, Jhalan Doongri Institutional Area, J L N Marg, Jaipur 302004
146.	Shri J.K.Jain Senior Typist	Office of the Chief Commissioner, Khadi & Village Industries, Jhalan Doongri Institutional Area, J L N Marg, Jaipur 302004

147.	श्री प्रदीप कुमार भारमा वरिष्ठ टंकक	संयुक्त महा निदेशक का कार्यालय विदेश व्यापार विभाग वाणिज्य मंत्रालय, तीसरा तल, उद्योग भवन, जयपुर 302005
148.	श्री वी.एम. मालगांवकर, अनुभागीय अधिकारी	भारत सुरक्षा प्रेस, नासिक रोड-422101 (महाराष्ट्र)
149.	श्री एस.एस. खीची, वैज्ञानिक	इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एंड डेवलेपमेंट सेंटर, एसटीक्यूसी प्रयोगशाला, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ईटीडीसी/11क्यूएम, एमआई एरिया, जयपुर-302017
150.	श्री लालू राम कोली, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं डीआरओ	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (वाया: जयपुर) राजस्थान पिन-304501
151.	श्री राम सिंह, एएओ	पीसीडीए का कार्यालय (एसडब्ल्यूसी), खाटीपुरा रोड, जयपुर-302012

147.	Shri Pradeep Kumar Bharna Senior Typist	Office of the Joint Director General Department of Foreign Trade Ministry of Commerce, Third floor, Udyog Bhawan, Jaipur 302005
148.	Shri V.M. Malgoankar, Sectional Officer	India Security Press, Nashik Road-422101 (Maharashtra)
149.	Shri S.S. Khichi, Scientist	Electronics Test & Development Centre, STQC Laboratory, Department of Information Technology, ETDC/11QM, MI Area, Jaipur-302017
150.	Shri Lalu Ram Koli, Assistant Administrative Officer & DRO	Central Sheep & Wool Research Institute. Avikanagar, (Via: Jaipur) Rajasthan. Pin:304501
151.	Shri Ram Singh, AAO	O/o the PCDA (SWC), Khatipura Road, Jaipur-302012

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

National Archives of India

Janpath, New Delhi-110 001

Tel. Nos.: 23383436, 23381467 Fax No. 23384127

email: archives@nic.in

Website: www.nationalarchives.nic.in